खण्ड-410, अंक-8
बृहस्पतिवार, 1 चैत्र, शक संवत् 1916
(24 मार्च, 1994 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1994)

खण्ड 410 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
नियम 311 की सूचनायें पहले लिये जाने की मांग	1–2
कार्यसूची का सदस्यों के आवासों पर वितरण न किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	2
प्रश्नोत्तर	2–72
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	72
चिकित्साधिकारी (होम्योपैथी) पद हेतु उ० प्र० लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों की सशर्त नियुक्ति करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	72-73
जनपद रायबरेली के ग्राम इन्हौना में हुए अग्निकाण्ड से प्रभावित लोगों को सहायता देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	73
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जल भराव की समस्या के निवारण हेतु बरसाती नाले के निर्माण के लिये धन स्वीकृत करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	73-74
मुण्डेरवा शुगर मिल जिला बस्ती के कुछ कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे अनशन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	74
जनपद शाहजहांपुर में सफाई एवं जल कर्मियों को वेतन न मिलने के कारण अनिश्चित कालीन हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	74
जनपद मथुरा के गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी की समुचित व्यवस्था कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	75
जनपद आगरा के ब्लाक अकोला स्थित ग्राम झब्बा एवं हन्न में सांस रोग की रोकथाम के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	75
श्री राजीव अग्रवाल स० वि० स० उनके साथ के अन्य लोगों को गोली मारकर घायल किये जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना ..	75–91
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें अग्राह्य करने की सूचना	92
जिलाधिकारियों द्वारा विधायकों पर मुकदमें दर्ज करने विषयक औचित्य के प्रश्न के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	92–100
एडवोकेट जनरल की राय लिये बिना मा० सदस्यों पर मुकदमें कायम न किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	100–103
जिलाधिकारियों द्वारा विधायकों पर मुकदमें दर्ज करने विषयक सूचना के संबंध में श्री अधिष्ठाता द्वारा दिये गये निर्णय पर पुनर्विचार तथा श्री अध्यक्ष का निर्णय	103–105
कार्य-मंत्रणा समिति के संशोधित कार्यक्रम का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	105
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1994 (पुरःस्थापित किया गया)	105–106
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को निरस्त करने की सूचना ..	106

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1994 (पारित) ..	106–108
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–2 आवास विभाग (स्वीकृत) ..	109
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–37 नगर विकास विभाग (स्वीकृत)	109–110
विधान सभा में जनता दल के नाम से अभिज्ञात दल के सदस्यों द्वारा समता ग्रुप का गठन किया जाना तथा श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी को ग्रुप का नेता चुना जाना	110–111
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	111
जनपद हरदोई के थाना सुरसा ग्राम ओदरा में घटित नृशंस हत्याकाण्ड के संबंध में दी गयी सूचनाओं पर नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	112–113
शस्त्रों के लाइसेन्स के नवीनीकरण संबंधी शासन की नीति तथा प्रदेश में देश में शस्त्र लेकर चलने की अनुमति विषयक 18 मार्च, 1994 के तारांकित प्रश्न संख्या 12 नत्थी (ग) के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा न किया जाना	113
नत्थी	114–116

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 24 मार्च, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच	परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	पृथ्वी सिंह विकसित, श्री	हरिद्वार
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर	प्रणत पाल सिंह, श्री	मथुरा
अमर सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	प्रवीण सिंह ऐरन, श्री	बरेली
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	प्रीतम सिंह, श्री	देहरादून
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	प्रेमलता कटियार, श्री	कानपुर नगर
अशोक बाजपेई, श्री	हरदोई	बशीर, श्री	हमीरपुर
ओंकार सिंह, श्री	एटा	बाल गोविन्द राजवंशी, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर	ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया	भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़	मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद	महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
गजाधर सिंह, श्री	रायबरेली	माया शंकर पाठक, श्री	वाराणसी
गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री	अल्मोड़ा	मारकण्डेय सिंह, श्री	बलिया
चन्द्र मणिकान्त सिंह, श्री	बहराइच	मुक्ति नाथ, श्री	देवरिया
चन्द्र विजय सिंह उर्फ		मुनीश गौड़, श्री	अलीगढ़
बेबी राजा, श्री	मुरादाबाद	मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
जगदीश मुनि, श्री	हरिद्वार	यशपाल आर्य, श्री	नैनीताल
जगवीर सिंह, श्री	अलीगढ़	यश पाल सिंह चौधरी, श्री	सहारनपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	रघुराज प्रताप सिंह, कुंवर	
जितेन्द्र कुमार जायसवाल		उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर	रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
तेजपाल सिंह पवार, श्री	हरिद्वार	रणधीर सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
त्रिपाल सिंह धामा, श्री	मेरठ	रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
दया सिन्धु शंखधर, श्री	बदायूं	रमेश बहादुर, श्री	प्रतापगढ़
दीनानाथ भास्कर, श्री	वाराणसी	राजीव कुमार, श्री	नैनीताल
धर्मपाल यादव उर्फ		राम किशोर बिन्द, श्री	वाराणसी
डी० पी० यादव, श्री	बुलन्दशहर	राम धनी, श्री	गाजीपुर
धीरेन्द्र बहादुर सिंह, कुंवर	खीरी	राम प्रसाद टम्टा, श्री	अल्मोड़ा
नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद	राम विशुन आजाद, श्री	गोण्डा
नरेश अग्रवाल, श्री	हरदोई	राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	खीरी	राम सेवक सिंह, श्री	बदायूं

राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
वासुदेव, श्री	बुलन्दशहर
विक्रमा सिंह, श्री	बलिया
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय उर्फ बिन्नू, श्री	गोण्डा
विश्वम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्वम्भर सिंह, श्री	मथुरा
वीरेश्वर सिंह उर्फ वीरेश यादव, श्री	अलीगढ़
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
शिवेन्द्र, श्री	महराजगंज
श्रीराम यादव, श्री	जौनपुर
संग्राम सिंह यादव, श्री	बलिया
संदीप अंग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश, श्री	मुरादाबाद
सन्त बक्श रावत, श्री	लखनऊ
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
हरवंश कपूर, श्री	देहरादून

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 24 मार्च, 1994

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

नियम 311 की सूचनायें पहले लिए जाने की मांग

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

नियम 311 सबसे पहले लिया जाता हैं .....

श्री अध्यक्ष–

मैंने गुप्ता जी को बुला लिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, विशेष परिस्थिति में नियम 311 में अनुमति देने की आपकी भी इच्छा है । उस नियम से हम लोगों ने परसों एक औचित्य के प्रश्न के माध्यम से वाल राइटिंग के बारे में जो मुकदमें दायर किये जा रहे हैं, इस संबंध में मामला उठाने का प्रयास किया था आपने कहा था वह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, हम लोगों ने स्वीकार कर लिया । आप जब विश्राम के लिए गये थे उस समय पीठासीन अधिकारी ने उसे अस्वीकार करते हुए यह निर्णय लिया था कि आज हम किसी और रूप में उठा लें । हम लोगों ने नियम देखने का प्रयास किया । जो संगत नियम 311 है उसे देख लें उसमें आपको अधिकार है अगर कोई प्रश्न किसी नियम में नहीं आता है तो आप अपने विवेक से संशोधित करके 311 में आप सुन सकते हैं । आज जो गम्भीर मामला है आप सदन में नियमों को निलम्बित करके इस महत्वपूर्ण मामले पर सुनने की कृपा करें क्योंकि जिस प्रकार हम लोगों पर मुकदमें दायर किये जा रहे हैं, एक बाह्य शक्ति के दबाव में जिसे अधिकार नहीं है, सुनने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

इसे प्रश्न प्रहर के बाद ही शुरू किया जाय (व्यवधान) बाद में ले लेंगे । वर्मा जी प्रश्न-काल के बाद चर्चा शुरू की जाय ।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

ठीक है ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, भाजपा सदस्य श्री राजीव कुमार अग्रवाल साहब जब यहां आ रहे थे उनको गोली मार दी । उनकी जान खतरे में है ।

श्री अध्यक्ष–

इसको जरूर सुनूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

आपकी जो आज्ञा होगी शिरोधार्य होगी। यह जो नियम 311 में प्रस्ताव दिया गया है उसको सारे नियमों को निलम्बित करके पहले ही सुन लीजिये, वैसे आपका जो निर्णय होगा शिरोधार्य होगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न-काल व्यतीत होने के बाद सुनेंगे।

कार्य-सूची का सदस्यों के आवासों पर वितरण न किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज का एजेण्डा जो घर पर वितरित किया जाता है आज वितरित नहीं किया गया इसको कृपया दिखवा लें।

श्री अध्यक्ष–

मैं दिखवा लूंगा।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के फेमिली कोर्ट में लम्बित पड़े मामलों को त्वरित गति से निस्तारित किये जाने की मांग

**1–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

क्या न्याय मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में फेमिली कोर्ट के तहत हजारों मामले वर्षों से लम्बित पड़े हैं ? क्या सरकार ने उक्त लम्बित मामलों से प्रभावित प्रदेश की हजारों महिलाओं की दयनीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इन मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु कोई नीति बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 30-9-93 तक 16,352 वाद लम्बित हैं जिसमें से लखनऊ की सूचना 31-3-93 तक 1,892 हैं।

नये पारिवारिक न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के 16,352 लम्बित वादों के निस्तारण हेतु नये पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना कब तक कर दी जायेगी, क्या इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है ?

दूसरा भरण-पोषण की राशि सी० आर० पी० सी० की धारा 125 के तहत 25 जनवरी, 1974 में मात्र 500 प्रतिमाह अधिकतम निर्धारित की गयी थी जबकि तब से आज तक मंहगाई 10 गुना बढ़ गयी। क्या सरकार महिलाओं की दयनीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इस भरण-पोषण की राशि को बढ़ायेगी। यदि हां, तो कितनी और कब तक ? क्या सरकार पारिवारिक न्यायालयों में भरण-पोषण के

मुकदमों के त्वरित निपटारे हेतु प्रदेश की महिलाओं के उत्पीड़न को देखते हुए कोई समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1984 में एक कानून संसद द्वारा पास कराकर लागू किया गया था और इसके तहत 10 लाख की आबादी वाले शहरों में कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना की बात कही गयी जिसमें विशेष रूप से तलाक संबंधी मामले और पारिवारिक विवाद के मामले लिए जायें जिनको वहां सुलझाया जाये। मान्यवर, इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1986 में यह अधिनियम बना कि दो पारिवारिक न्यायालय एक लखनऊ और दूसरा कानपुर में स्थापित किया जाये। इसके बाद इस प्रदेश में झांसी, इलाहाबाद, मेरठ, बरेली आदि 8 स्थानों पर ऐसे पारिवारिक न्यायालय स्थापित हैं।

(इस समय 11 बजकर 6 मिनट पर अधिष्ठाता श्री ऊदल पीठासीन हुए)

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, एक पत्र मुख्य मंत्री जी को गोरखपुर में फेमिली जज नियुक्त करने के संबंध में दिया था, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर में फेमिली जज कब तक नियुक्त कर दिये जायेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, 10 लाख की आबादी तक प्रस्ताव विचाराधीन है, लेकिन उसके अलावा राज्य सरकार जहां उचित समझे स्थापना कर सकती है, इस समय कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं जिसमें बाद में निर्णय किया जायेगा।

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

मान्यवर, जो नये पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की बात मंत्री जी ने कहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह कब तक कर दिये जायेंगे, क्या उसकी कोई समय सीमा है ?

दूसरा प्रश्न भरण-पोषण की राशि सी० आर० पी० सी० की धारा 125 के तहत 25 जनवरी, 1974 में मात्र 500 रूपये प्रति माह अधिकतम राशि निर्धारित की गयी थी, तबसे आज की महंगाई को देखते हुए क्या उसमें वृद्धि करने पर सरकार विचार करेगी, यदि हां, तो कब तक ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, यह प्रश्न से संबंधित नहीं है। लेकिन शुक्ल जी ने जो गोरखपुर के संबंध में पूछा है तो वहां पहले से ही कुटुम्ब न्यायालय स्थापित हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

अधिष्ठाता महोदय, क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जो फेमिली कोर्ट्स में मामले लम्बित हैं उन मामलों की समय सीमा बांध दी जाये कि उस समय तक इस तरह के विवादों का निपटारा संबंधित अदालतें करें ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, पहले इस प्रकार के मामले दीवानी न्यायालयों में लिए जाते थे और वहां देखा गया कि अधिकांश पति-पत्नियों के मामले होते हैं और तमाम युवा अवस्था में दायर मुकदमें उनके बूढ़े होने तक निपटाये नहीं जाते थे, इसीलिए वर्ष 1986 में हमारे प्रदेश में कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना की गयी और

प्राविधान है कि कोई वकील नहीं रख सकते हैं, यदि जज चाहते हैं तो संबंधित पक्षों से बन्द करने की बात कर सकते हैं और जो कानूनी तकनीकी बारीकियां हैं उनके अलावा बात करके समझौता कर सकते हैं । इसीलिए शीघ्र निस्तारण हेतु कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना की गयी है और जो माननीय वर्मा जी को सन्देह है, उसी सन्देह को ही तो ध्यान में रखकर इन्हें स्थापित किया गया है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो पूरे प्रदेश में फेमिली कोर्ट्स की स्थापना इसलिये की गयी है कि जो पारिवारिक विवाद हैं और दीवानी न्यायालयों में वर्षों से लम्बित पड़े हैं, जिससे लोक न्याय से वंचित रह जाते हैं, तो जो वर्तमान समय में फेमिली कोर्ट्स खोलने के लिए जनसंख्या का मानक 10 लाख का निर्धारित है, क्या उसमें 10 लाख के मानक को कम करने पर सरकार विचार करेगी ? और वर्तमान समय में कितने फेमिली कोर्ट्स है, जो प्रदेश शासन के विचाराधीन हैं और वे कहां-कहां के लिए प्रस्तावित हैं ? और यह कब तक वहां पर खोल दिये जायेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जो इस समय शासन के पास विचाराधीन प्रस्ताव हैं, वह बनारस के लिए है और 10 लाख की आबादी का मानक तो केन्द्र सरकार के कानून के अनुसार है ही, जो करना है, किन्तु राज्य सरकार उससे कम आबादी में भी करना चाहे तो राज्य सरकार के लिए इसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो महिला पुलिस थाने खोले गये हैं महिलओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए, क्या उन्हें चौबीस घण्टे खुला रखने पर सरकार विचार करेगी ? ताकि किसी भी समय महिला उत्पीड़न के मामले में सहायता मिल सके ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मामलों के निस्तारण का अधिकार न्यायालयों को है, राज्य सरकार को नहीं है ।

किसानों के लिए प्रस्तावित पेंशन योजना

**2–श्री श्याम देव राय चौधरी "दादा"–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किसानों के लिए भी कोई पेंशन योजना अलग से लागू करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से और उसका प्रारूप क्या होगा ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री सुन्दर सिंह बघेल)–

विचार किया जा रहा है ।

प्रस्तावित योजना को लागू करने की तिथि तथा प्रारूप इस प्रकरण पर अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त ही निर्धारित किया जा सकेगा ।

श्री श्याम देव राय चौधरी "दादा"–

मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि इस पर विचार किया जा रहा है, तो मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि जो विचार चल रहा है, वह किस स्तर पर चल रहा है ? इसके लिए समिति बनायी गयी है और यह जो किसानों के लिए अलग से पेंशन योजना लागू करने पर विचार कर रही है, तो क्या प्रदेश के

जितने भी किसान हैं, उन सबको इस पेंशन योजना का लाभ अनुमन्य होगा ? सरकार के दिमाग में क्या योजना है ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

यह विचार समिति के माध्यम से किया जा रहा है, जहां तक सभी किसानों को पेंशन देने की बात है, ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन और 2.5 एकड़ तक की जोत वाले किसानों को 100 रुपया मासिक पेंशन देय है । इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान समय में लगभग 7 लाख व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं । इस संख्या में भूमिहीन मजदूर, छोटे किसान तथा नगर क्षेत्र के 225 रुपया प्रतिमाह की आय वाले सम्मिलित हैं । प्रदेश में 3.25 एकड़ जोत वाले किसानों की संख्या लगभग 158.02 लाख, 3.25 एकड़ से 6.26 एकड़ तक की जोत वाले किसानों की संख्या लगभग 26.95 लाख तथा 6.26 एकड़ से अधिक जोत वाले किसानों की संख्या लगभग 15.76 लाख है । इन तीनों श्रेणियों के किसानों की कुल संख्या 200.74 लाख होती है । यदि यह मान लिया जाय कि लगभग 10 प्रतिशत किसान इसमें से 60 वर्ष से अधिक आयु वाले होंगे तो उपर्युक्त श्रेणियों में से प्रथम श्रेणी के लाभार्थी किसानों की संख्या 15.80 लाख, दूसरी श्रेणी के लाभार्थी किसानों की संख्या लगभग 2.69 लाख तथा तीसरी श्रेणी के लाभार्थी किसानों की संख्या लगभग 1.57 लाख होगी । विचाराधीन योजना के अन्तर्गत 150 रुपये प्रतिमास किसानों को पेंशन देय होगी । यदि इन सभी किसानों को पेंशन का पात्र माना जायेगा तो प्रतिवर्ष पेंशन पर लगभग 361.08 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है । इन लाभार्थियों में कुछ लाभार्थी ऐसे भी होंगे जो पहले से चली आ रही वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत 100 रुपये मासिक दर पर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं । ऐसे व्यक्तियों को केवल 50 रुपये प्रतिमास वृद्धि का ही लाभ प्राप्त होगा ।

(श्री श्याम देव राय चौधरी दादा का नाम पुकारे जाने तथा श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

राम आसरे वर्मा जी, आप ही पूछ लें प्रश्न ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय मंत्री जी ने सभी आने वाले सम्भावित सवालों का जवाब तक दे दिया है । कोई बात नहीं रह गयी है । मैं माननीय चौधरी जी से अनुरोध करूंगा कि अब क्या प्रश्न पूछेंगे ?

श्री मित्रसेन यादव–

माननीय वर्मा जी कह रहे हैं कि सब जानकारी आ गयी है कोई बात नहीं रह गयी है तो उन्हें तो इसका स्वागत करना चाहिए । हम माननीय मंत्री जी से इतना जानना चाहेंगे कि यह योजना कब से लागू कर रहे हैं ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

इस पर विचार किया जा रहा हे और शीघ्र ही लागू किया जायेगा ।

श्री श्याम देव राय चौधरी "दादा"–

मान्यवर, इसी सत्र में 17 माच को मेरा एक प्रश्न था वृद्धाओं, विकलांगों और विधवाओं के पेंशन के बारे में कि इस पर निर्भर जो लोग हैं, उनको नियमित पेंशन न मिलने के कारण आर्थिक कठिनाई होती है, क्या सरकार इन लोगों को नियमित पेंशन मिले, इसकी कोई व्यवस्था करेगी ? तो मान्यवर, यह उत्तर दिया गया था कि उत्तर प्रदेश में आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण उनको नियमित पेंशन दिया जाना सम्भव नहीं है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पहले प्रदेश के अन्दर वृद्ध 25969 और 6 लाख 4 हजार विधवा और इसी प्रकार से और विकलांग पेंशनधारी होंगे । उनको ही पेंशन दिया जाना वर्तमान आर्थिक संसाधनों में कमी के कारण सम्भव नहीं हो पा रही है तो यह किसानों को पेंशन दिये जाने की बात जो कही गयी है कि उस पर विचार किया जा रहा है उसके तहत वर्तमान आर्थिक संसाधनों को देखते हुए किसानों को पेंशन दिया जाना सम्भव नहीं होगा । मुझे तो ऐसा लगता है कि [x x x] यह योजना बनायी गयी है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह आप आक्षेप कर रहे हैं ।

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

मान्यवर, माननीय सदस्य का कहना और जो उन्होंने शंका जाहिर की है, अपनी जगह ठीक है क्योंकि पिछली सरकार ने किसानों के हित के लिए चाहे कोई पेंशन का मामला रहा हो या अन्य सुविधाओं का, कोई कार्य नहीं किया है इसलिए इनके मन में यह शंका पैदा होना स्वाभाविक है । यह सरकार किसानों के पेंशन के लिए और अन्य सुविधायें उन्हें देने के लिए कृत संकल्प है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी "दादा"–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उत्तर प्रदेश सरकार देयों एवं सहकारी देयों की तहसीलों द्वारा की जाने वाली वसूली पर संग्रह व्यय न लिया जाना

*1–श्री किरन पाल सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह तथा श्री निरवेन्द्र कुमार "मुन्ना"–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अन्दर किसानों व मजदूरों पर सरकारी, सहकारी देयों की तहसीलों के द्वारा की जाने वाली वसूली पर वसूली रकम का 10 प्रतिशत रिकवरी चार्ज किसानों व मजदूरों से वसूल किया जाता है ? क्या सरकार इसे समाप्त करने की घोषणा करेगी ?

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

राजस्व मंत्री (श्री बाबू राम यादव)–

प्रदेश सरकार के देयों एवं सहकारी देयों की तहसीलों द्वारा की जाने वाली वसूली पर कोई संग्रह व्यय नहीं लिया जाता, लेकिन सहकारी अति देयों की वसूली पर रिकवरी चार्ज लिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मैं राजस्व मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 10 परसेन्ट रिकवरी चार्ज का औचित्य क्या है ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैंने माननीय सदस्य को अभी बताया उनके प्रश्न के उत्तर में, कि सरकारी और सहकारी जो देय हैं उन पर कोई रिकवरी चार्ज ही नहीं लगता है आप कह रहे हैं कि इसका औचित्य क्या है।

श्री किरन पाल सिंह–

यह इण्टर कालेज में रहे हैं मैं डिग्री कालेज में रहा हूं ऐसी बात नहीं है आपने खुद जबाव दिया है ? वसूली पर रिकवरी चार्ज लिया जाता है।

श्री बाबू राम यादव–

डिग्री कालेज की डिग्री कहीं फर्जी तो नहीं है।

श्री किरन पाल सिंह–

आपने बताया है कि सहकारी अतिदेयों की वसूली पर रिकवरी चार्ज लिया जाता है और आप कह रहे हैं कि रिकवरी चार्ज नहीं लेते हैं।

श्री बाबू राम यादव–

रिकवरी चार्ज उन देयों पर है जो भुगतान की तिथि निर्धारित की जाती है उस तिथि तक भुगतान नहीं करते हैं सरकारी देयों को अदा नहीं करते हैं।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

10 प्रतिशत बढ़ाकर लेने का क्या औचित्य है ?

श्री अधिष्ठाता–

आप उत्तर सुन लें।

श्री बाबू राम यादव–

चूंकि देयों की वसूली समय से नहीं होती है तो विभाग रिकवरी के लिए आर० सी० भेजते हैं उस आर० सी० में उल्लिखित तहसील वाले वसूलते हैं। जो वसूली पर व्यय आता है उससे ज्यादा तो गाड़ियों के डीजल पेट्रोल पर खर्च हो जाता है। हमारे कर्मचारी जो जाते हैं उससे भी कम हम उनसे लेते हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

यदि कालेज से शुरू करें और उधर से शुरू करें तो जूनियर हाई स्कूल, इण्टर और किरन पाल सिंह जी ने डिग्री बताया और मैं यूनीवर्सिटी में रहा हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी सवाल के जबाव में टाल-मटोल कर रहे हैं जो आर० सी० तहसील पहुंच जांती है उसके बद 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्ज या रिकवरी चार्ज पर लिया जाता है। वह शायद माननीय मंत्री जी को व्यवहारिक जीवन में झेलना पड़ा होता। आप उनको तनख्वाह देते हैं खर्चा देते हैं फिर 10 फीसदी वसूली किये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री बाबू राम यादव–

जो व्यय आता है उससे कम लेते हैं। 1990-91 आर० सी० के कलेक्शन पर व्यय 23% है। 1991-92 में 19.67% है और 1992-93 में जो व्यय आया है वसूली पर वह 14.57 प्रतिशत आया है। हम तो केवल 10 प्रतिशत ही लेते हैं। हमारा खर्च होता है। गाड़ियों पर, कर्मचारियों पर उससे भी कम लेते हैं।

श्री बदन सिंह–

सरकारी अमीन होते हैं, सरकारी गाड़ियां होती हैं। फिर भी 10 प्रतिशत किसानों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है तो क्या माननीय मंत्री जी इसको माफ करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

मैं बता रहा हूं कि राजस्व की वसूली पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगाया जाता है। माल गुजारी है, सिंचाई कर्जा है यह सब जब तहसील में जाते हैं तो खर्चा बढ़ जाता है इसलिए इसके माफ करने का सवाल नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय मंत्री जी के उत्तर से मैं सन्तुष्ट हूं कि जो अतिरिक्त खर्चा होता है वसूली करने में उसी के संबंध में 10 प्रतिशत अतिरिक्त धन लिया जाता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विभिन्न योजनाओं पर बुनकर, किसान, गरीब तमाम ऐसे लोन लेते हैं जिसके बारे में उनको मालूम नहीं होता है। माननीय मंत्री जी भी क्षेत्र में जाते हैं मैं भी कल क्षेत्र में गया था। किसी ने रिक्शा बहुत पहले लिया था उसका ढ़ाई हजार रुपया आया । किसी दूसरे के नाम पर कोई पैसा ले लेते हैं जो उस गरीब, किसान, बुनकर को पता भी नहीं होता है। कई वर्षों के बाद तहसील में उसकी रिकवरी सर्टीफिकेट जाता है क्या उसको माफ करने का विचार माननीय मंत्री जी करेंगे या उसको 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत करने पर विचार करेंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

इस पर 23 प्रतिशत खर्चा आता है 10 प्रतिशत हम लेते हैं, इसलिए उसको माफ करने का विचार ही नहीं है।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि वह बनिये की दुकान चला रहे हैं। जो भी कल्याणकारी छूट मिलती है। जैसे अन्त्योदय है–भैंस खरीदने के लिए, घोड़ा तांगा खरीदने के

लिए तथा औजार खरीदने के लिए । इनकी वसूली के लिए तहसील भेज दिया जाता है । यह लोग गरीब होते हैं और उनको दो वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होती है । मुझे याद है कि इसके पहले भी वर्मा जी और हमने मांग सरकार से की थी कि इसको खत्म कर देना चाहिए उस वक्त आप भी साथ थे । मैं जानना चाहता हूं कि जिस वक्त विभिन्न समुदायों, व्यक्तियों को कर्जा दिया जाता है या बैंक द्वारा दिया जाता है । विद्युत कनेक्शन दिया जाता है । उस वक्त यह शर्त होती है कि अगर आप पैसा नहीं जमा करेंगे तो वह तहसील में भेज दिया जायेगा और 10 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज लगा दिया जायगा । जब यह शर्त कर्जा लेते वक्त नहीं होती है तो उसको समाप्त करिये, इसको बनिया की दुकान मत बनाइये ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, माननीय नेता जनता दल ने कहा कि किसान की भैंस, घोड़ा मर जाता है तो वसूली होती है । मान्यवर, इसके लिए बीमे का प्राविधान है यदि जानवर की मृत्यु हो जाती है तो पूरी धनराशि बीमे के माध्यम से मिलती है । मान्यवर, जहां तक माफ करने का प्रश्न है तो यदि यह परम्परा चालू हो गयी और सारा रुपया माफ ही होता गया तो सरकार फिर कर्जे देने के लिए पैसे कहां से लायेगी । इस प्रथा को कण्डम करने के लिए यह धनराशि ली जाती है ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, सरकार रिकवरी चार्जेज को माफ नहीं कर रही है । इससे गरीबों, किसानों, मजदूरों का उत्पीड़न हो रहा है । सरकार की इस नीति के विरोध में मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री किरन पाल सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

(नत्थी ग तारांकित प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने पर ।)

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर दिलवा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं आगे बढ़ गया हूं, मैंने बैदन सिंह का प्रश्न ले लिया है ।

श्री दल बहादुर कोरी–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है । वसूली के संबंध में मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं ।

नोट :– [xxx] यह अंश श्रीअधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

आप नियम 49 में लिखकर दीजिये, आप बहस करा लीजिये आर० सी० के बारे में । मैंने अगला प्रश्न ले लिया है ।

[गुरुवार, दिनांक 24-3-94 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्राकृतिक आपदाओं से फसल नष्ट होने के फलस्वरूप किसानों को दी जाने वाली राहत व्यवस्था

(माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर पढ़ना प्रारम्भ करने पर)

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी उत्तर पढ़ दें ।

*1–श्री बदन सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि तथा आग से किसानों की फसल को होने वाली अप्रत्याशित क्षति के वित्तीय समाधान की शासन द्वारा क्या प्रभावी व्यवस्था की गयी है ? क्या यह सही है कि बड़े-बड़े किसानों की क्षति होने पर उन्हें सभी प्रकार की राहत व्यवस्थाओं से वंचित रखा जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि तथा आग से फसलों के क्षति होने पर शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड से वित्तीय समाधान की निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है :–

बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, आग जैसे आपदाओं की स्थिति में प्रभावित कृषकों को त्वरित राहत देने के ध्येय से क्षतिग्रस्त फसलों में भू-राजस्व/लगान की देय धनराशि एवं वसूली स्थगित करने एवं इसमें छूट प्रदान करने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 268 एवं संबंधित नियम–293 के अन्तर्गत की गयी है । जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियम 293 के अन्तर्गत क्षति के अनुपात में छूट की निम्न दरें निर्धारित की गयी हैं :–

सामान्य उपज के प्रति रु० पर पैसों में निकाली गयी हानि	प्रति रु० पर मालगुजारी उपज (रु० नये पैसे में)
50 नये पैसे किन्तु 60 नये पैसे से कम	0.40
60 नये पैसे किन्तु 75 नये पैसे से कम	0.60
75 नये पैसे या उससे अधिक	1.00

इसके अतिरिक्त बुन्देलखण्ड, इलाहाबाद, इटावा, आगरा और मथुरा जिले के यमुनापार के भागों में तथा ऐसे दूसरे क्षेत्रों में यदि काश्तकारों को परिस्थितियों के अनुसार न्यायसंगत हो तो उस स्थिति में सामान्य उपज की प्रति रुपये पर निकाली गयी हानि 40 पैसे प्रति रुपये हो किन्तु 50 पैसे न हो, तो भी मालगुजारी प्रति रुपये 25 पैसे तक स्थगित की जा सकती है या छोड़ी जा सकती है।

दैवी आपदाओं के कारण जहां तक आर्थिक सहायता देने का प्राविधान है, ओलावृष्टि से क्षति के मामले में यह व्यवस्था है कि कृषकों की कुल बोयी गयी तैयार खड़ी फसल को मिलाकर 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति होती है तो 50 प्रतिशत से अधिक क्षति के एक एकड़ पर 300 रुपये की दर से अधिकतम 1500 रुपये तक राहत देने की व्यवस्था है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने जो दैवी आपदाओं के नुकशान होने पर राहत देने का उत्तर दिया है, वह जमींदारी उन्मूलन कानून वर्ष 1950 में लागू हुआ था, तो उसके हिसाब से दिया गया था, लेकिन अब किसान की लागत बहुत अधिक बढ़ गयी है, उसके बीज, रसायनिक दवाइयां आदि तेज आती हैं, इस बढ़ी हुई लागत को ध्यान में रखते हुए मंत्री जी इसकी धनराशि बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, माननीय बदन सिंह ऐसी जगह विराजमान हैं, जिन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। यह 300 रु० प्रति एकड़ की जो घोषणा हुई थी, वह भी माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार ने 1990 में की थी, अब माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार फिर आयी है, अब बढ़ाने पर हम विचार कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम इसे बढ़ायेंगे।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने जो लगान के स्थगन करने और माफ करने की जो दर बतायी है, 50 नये पैसे किन्तु 60 नये पैसे से कम 40 नये पैसे की छूट दे देंगे और 60 नये पैसे किन्तु 75 नये पैसे से कम 60 नये पैसे की छूट दे देंगे और 75 नये पैसे या उससे अधिक एक रु० की छूट दे देंगे। मान्यवर, यह दर बहुत कम होती है, तो मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि किसानों को बहुत सी वसूलियां देनी पड़ती हैं, तो क्या माननीय मंत्री आबपासी की वसूली को भी माफ करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, आबपासी को इसमें जोड़ेंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, चाहे आबपासी हो या मालगुजारी हो, दोनों में छूट का प्राविधान है। मान्यवर, दैवी संकट आता है, तो हमारी सरकार मदद करती है। यह 1990 में जब माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार आयी थी, तभी 300 रु० की छूट की घोषणा हुई थी, अब फिर माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार आयी है, हम निश्चित रूप से इसको बढ़ाना चाहते हैं और निश्चित रूप से इसको बढ़ायेंगे।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में अति वृष्टि से जो सम्पूर्ण खेतों की फसल ही नष्ट नहीं हुई, बल्कि सारे खेत बह कर नष्ट हो गये और उनकी आय का एक मात्र साधन–वही दो-चार खेत थे, जो बहकर नष्ट हो गये, क्या सरकार ऐसे लोगों के लिए कोई राहत का प्राविधान किया है ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे ओला वृष्टि हो, चाहे अन्य कोई दैवी आपदा हो, हम इसके लिए पूरी तरह से सजग हैं और किसानों की हर मदद के लिए सरकार पूरी तरह से सजग है ।

श्री कृष्ण वीर सिंह सिरोही–

मान्यवर, जो नहर के रजबहे कट जाते हैं और उनकी फसल नष्ट हो जाती है, क्या सरकार उसको भी प्राकृतिक आपदाओं में लेकर फसल का नुकसान देगी ?

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, यह सवाल इससे संबंधित नहीं है ।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं.....

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार जो यह कहती है कि तीन सौ रुपये से पन्द्रह सौ तक 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर दिये जाते हैं लेकिन मेरी जानकारी है कि कभी भी तीन सौ रुपये से अधिक नहीं दिये गये हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे और अगर ऐसा है तो उन्हें 1500 रुपये तक की धनराशि दिलाने की कृपा करेगें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह इसमें नहीं आता है ।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

अभी एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि मुलायम सिंह की सरकार के समय से ओला वृष्टि की धनराशि देना प्रारम्भ किया गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि किस तारीख से देना प्रारम्भ किया गया है और क्या उसके पहले यह धनराशि नहीं दी जाती थी ?

श्री बाबू राम यादव–

श्रीमन्, 1-7-1990 को शासनादेश हुआ था, जिसमें यह प्राविधान था कि ओले से जो क्षति होगी, उसकी पूर्ति के संबंध में 300 रुपये प्रति एकड़ की राहत दी जायेगी और मैं कहना चाहता हूं कि उसके पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी ।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, आज से 20–30 साल पहले जो जानवर दैवी आपदा के कारण मर जाते थे तो उनकी क्षति पूर्ति के लिए सरकार द्वारा 1200 रुपये दिये जाते थे और आज जब जानवरों की कीमत 5 हजार या 6 हजार हो गयी है, लेकिन फिर वही धनराशि दी जा रही है, क्या सरकार इस धनराशि को बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

जानवरों और मनुष्यों के मानक अलग-अलग हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बहुत बड़ी लिस्ट है, जो राहत की सूची है वह बहुत लम्बी है, जिसे सरकार ने निश्चय किया है। माननीय सदस्य जब चाहें मुझसे ले लें, मैं बता दूंगा।

श्री उदय भान सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आग से किसानों की फसल नष्ट हो जाती हैं। खलिहान में अगर एक किसान की फसल में आग लगती है तो सारे लोगों की फसल जाती है और उनका बहुत नुकसान होता है, तो ऐसी दशा में राहत का क्या अंश है ?

श्री बाबू राम यादव–

मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि किसानों की बात कही गयी हैं, मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार को फसल बीमा योजना भेजी गयी है, उसके स्वीकार होने पर उनको इससे लाभ हो सकेगा।

श्री उदय भान सिंह–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दैवी आपदा की धनराशि में वृद्धि का प्रस्ताव है वह कितने प्रतिशत है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे देवरिया जिले में आग लगी लेकिन उसके लिए पैसा आज तक नहीं गया है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहेंगे कि राहत की धनराशि 24 घण्टे के अन्दर मिल जाये ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, माननीय सदस्य तो बहुत ही प्रभावशाली हैं यह तहसील से संबंधित है और इससे तो इनकी स्वयं की हालत परिलक्षित होती है कि माननीय सदस्य की बात तहसीलदार तक नहीं पहुंच पायी। तो इसे हम दुर्भाग्य ही समझेंगे।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी धनराशि का प्रबन्ध सुनिश्चित करायेंगे ?

(उत्तर नहीं आया)

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, मेरी बात को सुन लें। बार-बार यह आरोप लगाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि इसने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं

कि भाजपा की सरकार ने जो योजनायें चालू की थीं क्या सरकार ने उसको रोक दिया है या उनको आगे लागू करेंगे ?

(उत्तर नहीं आया)

(व्यवेधान)

श्री अधिष्ठाता–

शन्ति बनायें ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसानों की क्षति होती है उसमें 300 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से राहत देते हैं और अधिक से अधिक 1500 रुपये देते हैं । यह 1500 रुपये की राहत 5 एकड़ के बराबर होती है तो मैं यह जानना चहता हूं कि अगर किसी किसान का 5 एकड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया है, तो यह कहेंगे कि छोटे किसानों की बात करते हैं, पर यदि किसी छोटे किसान का ही 5 एकड़ से अधिक का नुकसान हुआ है 50 फीसदी से ज्यादा तो उसको 1500 रुपये से बढ़ाकर राशि दी जायेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा था कि बड़े किसानों को राहत नहीं दे रहे हैं तो मैं यह माननीय सदस्य की जानकारी में लाना चाहता हूं कि दैवी आपदा में छोटे-बड़े किसान का अन्तर नहीं है, चाहे किसान छोटा हो या बड़ा हो, हम सबको राहत देते हैं जो मानक हमने निर्धारित किया है सन् 90 में, हम उसको फिर बढ़ा रहे हैं । छोटे-बड़े किसान का अन्तर हमारे यहां नहीं है । छोटा किसान है तो भी राहत देंगे और बड़ा किसान है तो भी राहत देंगे और जो मानक हमने 90 में निर्धारित किया था, उसको बढ़ा रहे हैं ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 50 फीसदी फसल नष्ट हो गयी तो इतना देंगे, 60 फीसदी फसल नष्ट हो गयी तो इतना देंगे और 70 फीसदी फसल नष्ट होगी तो इतना देंगे । माननीय मंत्री जी, आप भी किसान हैं व्यवहार में कहीं ऐसा होता है, लेखपाल के पास तो कोई पैमाना होता नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप प्रश्न कीजिये ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस बात को खत्म करते हुए कि 50-60-70 फीसदी फसल नष्ट होने पर इतना-इतना देंगे, क्या 50 फीसदी से ज्यादा नुकसान होने पर निश्चित हो जायेगा कि सबको एक जैसी मदद करेंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, कभी भी ओला वृष्टि में एक तरह से फसल नष्ट नहीं होती, तो उसी तरह से निर्धारित किया जायेगा । अगर उसी तरह से निर्धारित नहीं करेंगे तो किसानों के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे ।

नव सृजित जनपद सोनभद्र का स्थायी मुख्यालय

*2–श्री विजय सिंह (अनुपस्थित)–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र का सृजन कब हुआ है और उसके स्थायी मुख्यालय निर्धारण के लिए उ० प्र० शासन कोई उच्च स्तरीय कमेटी गठित की थी ? यदि हां, तो उस कमेटी की रिपोर्ट क्या है ? किस स्थान पर स्थायी मुख्यालय बनाने की संस्तुति रिपोर्ट में हैं ? रिपोर्ट की संस्तुति के अनुसार स्थायी मुख्यालय की घोषणा कब तक कर देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

4 मार्च, 1989 में जनपद सोनभद्र का सृजन हुआ है ।

जी हां ।

उक्त समिति ने नवसृजित जनपद सोनभद्र का मुख्यालय पिपरी में निर्धारित किये जाने तथा विकल्प में विलहत्थी गांव की बंजर भूमि पर नया नगर बनाकर मुख्यालय स्थापित किये जाने की संस्तुति की थी ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

*3–श्री बी० आर० वर्मा–

[दिनांक 3-3-94 को ता० प्र० सं–4 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा कमजोर लोगों को उनकी भूमि का कब्जा दिलाने वाले कानून को सशक्त बनाने की मांग

*4–श्री सुरेश कुमार खन्ना (अनुपस्थित)–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं कमजोर लोगों को उनकी भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए वर्तमान कानून अपर्याप्त है ? यदि हां, तो क्या इनको परिवर्तित करके और प्रभावी बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इस संबंध में निर्णय सरकार ले लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, इस प्रश्न में रुचि है ।

श्री अधिष्ठाता–

पहले और प्रश्न हो जाने दें ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा में नील गायों से हो रही फसल की क्षति को रोकने की मांग

*5–श्री यशपाल चौधरी तथा श्री मुख्तार अनीस (अनुपस्थित)–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा में नील गायों द्वारा खड़ी फसलों को भयंकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है ? उन नील गायों को पुनः जंगल में छुड़वाने हेतु शासन के पास क्या योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री भगवती सिंह)–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नील गायों (वन रोजों) को पकड़ कर जंगल में छोड़ने की योजना व्यवहारिक नहीं है ।

प्रदेश में थारू जाति के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार की योजना

*6–श्री निरवेन्द्र कुमार 'मुन्ना' (अनुपस्थित)–

क्या समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश में थारू जाति, जनजाति के अन्तर्गत आती है ? यदि हां, तो उसके विकास एवं संरक्षण की शासन की नीति क्या है ? क्या यह सही है कि जनपद खीरी में थारू जाति बाहुल्य क्षेत्रों में विकास की गति एकदम अवरुद्ध है ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी कौन है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री राज बहादुर)–

जी हां ।

थारू जन-जाति के सर्वांगीण विकास हेतु मैदानी क्षेत्र में दो एवं उत्तराखण्ड में एक परियोजना का संचालन किया जा रहा है । इन परियोजनाओं के माध्यम से विभिन्न आर्थिक, शैक्षिक एवं क्षेत्रीय विकास की योजनायें संचालित की जा रही हैं ।

उक्त के अतिरिक्त बिखरी थारू जनजाति के विकास हेतु भी आर्थिक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

सहायक विकास अधिकारी/ग्राय विकास अधिकारी पद की नियुक्ति हेतु ली गयी परीक्षा शुल्क वापसी का मामला

*7–श्री मित्रसेन यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "सहायक विकास अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी" के पद पर नियुक्ति हेतु मई, 1989 में (परीक्षा शुल्क रु० 40 सहित) आवेदन-पत्र आमंत्रित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त पदों पर नियुक्तियां कर ली गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्या शासनादेश संख्या–3895/स्पे०कम्पो०/26-3-89, दिनांक 23-10-89 द्वारा परीक्षा शुल्क वापसी के आदेश

के बाद भी अभी तक परीक्षा शुल्क अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया गया है ? यदि हां, तो आवेदन-पत्र तथा शुल्क ब्याज सहित अभ्यर्थियों को कब तक वापस किया जायेगा ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, नौकरियों के नाम पर पैसा लिया जाता है और नौकरी भी नहीं दी जाती है, पैसा भी नहीं वापिस किया जाता है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, जो शासनादेश हुआ था, इस शासनादेश के अनुसार इस पैसे को कब तक वापस करा देंगे ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

मान्यवर, सूचनायें एकत्र की जा रही हैं ।

उत्तर प्रदेश में नये जनपदों/तहसीलों के सृजन की योजना

*8–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ० प्र० में नये जनपदों के सृजन की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितने नये जिलों एवं कितनी नई तहसीलों का सृजन, किन-किन जनपदों में विचाराधीन है ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता । किन्तु जनता की मांग पर गुण-दोष के आधार पर नये जनपदों के सृजन पर विचार किया जाता है । इसी क्रम में नये जनपदों के सृजन के 14 प्रस्ताव व तहसील सृजन के 23 प्रस्ताव विचाराधीन हैं । इन प्रस्तावों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे 114–116 पृष्ठ पर)

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, पहले भाग के उत्तर में कह दिया "जी नहीं" । बार-बार सरकार ने कहा कि विचार करेंगे, जहां जरूरत होगी, विचार करेंगे । मान्यवर, तमाम जिले ऐसे हैं जहां गरीब किसानों, दलितों को 200 कि०मी० तक जाना पड़ता है न्याय पाने के लिए । पहाड़ की स्थिति तो और भी खराब है 2–2 दिन लग जाते हैं । वहीं दूसरे भाग के उत्तर में कहा है कि जनता की मांग पर गुण-दोष के आधार पर नये जनपदों के सृजन पर विचार किया जाता है । इसी क्रम में नये जनपदों के सृजन के 14 प्रस्ताव व तहसील के सृजन के 23 प्रस्ताव विचाराधीन हैं । इसमें लिस्ट भी दे दी है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह उत्तर में आ गया है, आप प्रश्न करें ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

तो यह जो जनता की बेहद मांग पर नये जनपदों व तहसीलों के सृजन की बात है इस पर विचार कब तक पूर्ण करेगी ? मान्यवर, लखनऊ जनपद की बख्शी का तालाब में नई तहसील बनाने की घोषणा कब तक करेंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य डिग्री कालेज या यूनीवर्सिटी में पढ़ाते हैं । योजना कोई नहीं है । लेकिन फिर भी जनता की मांग सर्वोपरि है, प्रस्ताव आते हैं, उन पर विचार किया जाता है ।

(व्यवधान)

श्री राम कुमार शुक्ल–

यह जो जिलों के सृजन की लिस्ट दी है, यह कब तक जिले घोषित कर दिये जायेंगे ?

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए इस समय वहां नये जिलों की मांग उठ रही है और जनता आन्दोलित है । इसी क्रम में रुद्रप्रयाग को जिला बनाने की मांग रुद्रप्रयाग की जनता कर रही है । विधायक कण्डारी जी से रुद्र प्रयाग की जनता ने अनौपचारिक रूप से जिले का शिलान्यास भी करा दिया और जनता ने बड़े आन्दोलन की धमकी भी दी है । बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप प्रश्न करें ।

श्री हरक सिंह रावत–

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए रुद्रप्रयाग को जिला बनाने तथा श्रीनगर को तहसील बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अधिष्ठाता–

इससे संबंधित हो तो उत्तर दे दें ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, माननीय सदस्य से मैंने अनुरोध किया है आपके माध्यम से कि इस समय 14 स्थानों के हमारे पास प्रस्ताव हैं । मुरादाबाद में सम्भल को जिला बनाने का.....

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने इस सूची का अध्ययन कर लिया है ।

श्री अधिष्ठाता–

जिस स्थान का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है, वह उसमें शामिल है कि नहीं ।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, रुद्र प्रयाग को जिला बनाने व श्रीनगर को तहसील बनाने की बात इस सूची में सम्मिलित है ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, नैनीताल में काशीपुर का जिला बनाने, नैनीताल में रुद्रपुर को जिला बनाने, पिथौरागढ़ में काली कुमायूं को जिला बनाने, पिथौरागढ़ में चम्पावत को जिला बनाने, पिथौरागढ़ डीडीहाट को जिला बनाने, चमोली में रुद्रप्रयाग को जिला बनाने, पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार को जिला बनाने, अल्मोड़ा में बागेश्वर को जिला बनाने, अल्मोड़ा में रानीखेत को जिला बनाने के प्रस्ताव आये हैं और सरकार उन पर गम्भीरता से विचार कर रही है ।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इस प्रस्ताव का हमने अध्ययन किया है । हम तो यह जानना चाह रहे हैं कि जनता की मांग पर सरकार शीघ्र से शीघ्र जिला बनाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी । हम तो इसकी घोषणा तिथि जानना चाह रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका उत्तर आ गया है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, हमीरपुर में महोबा को नया जिला बनाने के संबंध में माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम इस पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कब तक यह जिला बना दिया जायेगा और क्या नया जिला बनाने के लिए कुछ धन टोकन के रूप में इस वर्ष आवंटित करेंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, जिस तरह से अन्य प्रस्ताव हैं उसी तरह से यह भी प्रस्ताव है और सरकार उस पर गम्भीरता से विचार कर रही है । लेकिन जब तक पूरी तरह से उस पर विचार नहीं किया जायेगा उसके गुण-दोष पर विचार नहीं किया जायेगा तब तक निर्णय लेना सम्भव नहीं है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं आया है ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने से उत्पन्न व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, मेरे अनुपूरक प्रश्न पूछने का कोई मतलब नहीं रह गया है । मान्यवर, मेरा जवाब तो दिलवा दें कि कब तक हमीरपुर में महोबा को नया जिला बना देंगे ?

(व्यवधान)

डा० शिव प्रताप यादव–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गोण्डा जिले का विभाजन करके बलरामपुर को जिला बनाने की कोई योजना सरकार के पास है । अगर है तो बलरामपुर को जिला कब तक बनाया जायेगा और इसका नाम श्रावस्ती के नाम पर, जो महात्मा गांधी जी की तपस्या स्थली रही है के नाम से जिला बनाया जायेगा ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके संबंध में कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जिन जनपदों की घोषणा कर दी गयी है, पड़रौना और भदोही की, उसे कार्य रूप में कब तक परिणित कर देंगे ?

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सन्दर्भ में यह स्वीकार किया है कि बलरामपुर को जिला बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन नहीं है । मान्यवर, जिस दिन इस सदन में सवाल आया था, पड़रौना और भदोही के बारे में, उस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने बलरामपुर की घोषणा करने की बात कही थी और कहा था कि उस पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा । लेकिन अभी माननीय राजस्व मंत्री जी ने बताया कि उनके पास जनपद बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि बलरामपुर को जिला बनाने के संबंध में क्या शासन को अभी तक वहां के अधिवक्ताओं, व्यापारियों, किसानों, विद्यार्थियों की ओर से कुछ ज्ञापन/मांग-पत्र प्राप्त हुए हैं, यदि प्राप्त हुए हैं तो उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, बलरामपुर को जिला बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, यह मैं पूर्व में ही बता चुका हूं । माननीय सदस्य बहुत विद्वान हैं, उनकी माननीय मुख्य मंत्री जी से बात हुई होगी । अब यदि प्रस्ताव भेजा गया होता, तो जरूर विचार किया जाता ।

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिला बनाने की कोई योजना नहीं है तो क्या भदोही और पड़रौना को जिला बनाने की घोषणा जो की गयी थी, उसे कैन्सिल कर दिया गया है या उसको कार्यरूप में परिणित करने के लिए कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, यह स्पष्ट करवा दें ?

श्री बाबू राम यादव–

मानीय अधिष्ठाता जी, भदोही और पड़रौना को जिला बनाने का निर्णय लिया जा चुका है और शीघ्र ही उस पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि कार्यरूप में परिणित करने के लिए विचार किया जा चुका है । पिछली बार भी मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी, जब वह नेता सदन थे, आज भी हैं । बहुत से इस संबंध में सूचना विभाग के सौजन्य से इश्तहार भी छप रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि भदोही व पड़रौना को जिला बनाने की जो घोषणा की गयी है, उसे कार्यरूप में किस तारीख से परिणित कर दिया जायेगा, कब से वहां डी० एम०, एस० पी० बैठने लगेंगे, कब तक धन आवंटित कर दिया जायेगा, इस सबकी निश्चित तारीख बता दें ?

श्री बाबू राम यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, फिर राजनीतिक बात हो जायेगी । माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी, उसके बाद हमारी सरकार चली गयी । उसके बाद आपकी सरकार आयी, तब तो चुप बैठे रहे, सरकार आपकी थी, तब आप कहां थे ? अब हमारी फिर सरकार आयी है, मैं शीघ्र ही दोनों को बना दूंगा ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा है और यह सरकार जिला बनाने के वायदे से मुकर रही है, इसीलिए मैं जिले को कार्य रूप में परिणित न किये जाने के विरोध में सदन से बर्हिगमन करता हूं।

(श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल सदन त्याग कर चले गये)

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, सदन के इसी सत्र में उन्नाव की पुरवा तहसील के विभाजन के प्रस्ताव की बात एक प्रश्न के उत्तर में कही गयी थी। आज माननीय राम कुमार शुक्ला के प्रश्न उत्तर में जो जवाब दिया गया है, उसमें भी 23 तहसीलों की सूची है और उन पर विचार चल रहा है। पिछले सप्ताह भी मैंने एक सवाल किया था, जिसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया था कि पुरवा तहसील के विभाजन का प्रस्ताव सचिव, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी के विचाराधीन है। श्रीमन्, आज जो 23 तहसीलों का प्रस्ताव आया है उसका इस सूची में नाम नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो पिछले सप्ताह बताया गया कि विभाजन के प्रस्ताव में है। तो क्या उक्त तहसील के विभाजन का प्रस्ताव है या नहीं ?

श्री बाबू राम यादव–

पिछले सवाल के जवाब का उल्लेख माननीय सदस्य बता दें। यह सही है कि मैंने यह बात कही है और आज भी कह रहा हूं कि एक उच्च स्तरीय कमेटी है जो इन प्रस्तावों पर विचार करती है। लेकिन कौन-कौन सी तहसीलें हैं यह माननीय सदस्य देख लें।

श्री पारस नाथ यादव-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भदोही और पड़रौना को जनपद बनाये जाने की घोषणा कर दी गयी है। भदोही जौनपुर के बरसठी विधान सभा से लगा हुआ क्षेत्र है, उसका कितना हिस्सा भदोही जनपद में जा रहा है ?

श्री अधिष्ठाता–

यह मंत्री जी कहां बता पायेंगे इसमें सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री पारस नाथ यादव–

मान्यवर, जिले की घोषणा कर दी गयी है तो यह तो जानकारी होनी चाहिए कि भदोही जनपद का क्षेत्रफल क्या होगा ? मान्यवर, मैं केवल यही जानना चाहता हूं कि भदोही जो कि जौनपुर के बरसठी विधान सभा क्षेत्र से लगा हुआ है उसका कितना क्षेत्र इसमें आ रहा है ?

(कई मानीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मैंआपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जनपद कानपुर देहात के मुख्यालय का निर्माण कब तक शुरू कर दिया जायेगा ? कानपुर देहात जनपद घोषित होने के उपरान्त अब तक मुख्यालय का निर्माण नहीं हुआ है ?

(कई मानीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शुक्ल जी के अतिरिक्त किसी अन्य माननीय सदस्य की कोई बात नहीं लिखी जायेगी। आप लोग बैठ जायें ?

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने भदोही और पड़रौना को जिला बनाने के बारे में स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। इसलिए मैं इसके विरोध में सदन का त्याग कर रहा हूं।

(श्री रंगनाथ सदन का त्याग कर चले गये)

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, केवल दो प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूं। अभी आपके ही सवाल से जो उत्तर निकल कर आया है कि भदोही और पड़रौना को जनपद बनाये जाने की घोषणा कर रहे हैं। यह जो जनपदों की लिस्ट है, उनमें कितने ऐसे हैं जिन पर आप मन बना चुके हैं कि हम इनको जिला बनायेंगे। दूसरा प्रश्न यह है कि बख्शी का तालाब और मलिहाबाद तहसील के बीच गोमती नदी है। इस क्षेत्र से अब तक जितने भी विधायक चुनाव जीते हैं उन्होंने गोमती नदी में पुल बनवाने और बख्शी का तालाब को तहसील घोषित करवाने का वायदा किया है। क्या माननीय मंत्री जी बख्शी का तालाब को तहसील घोषित करने और बख्शी का तालाब और मलिहाबाद के बीच गोमती नदी पर पुल बनवाये जाने की व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैंने माननीय सदस्य को बताया है कि भदोही और पड़रौना को जिला बनाये जाने का दो बार निर्णय हो चुका है और यह विचराधीन है। तहसील के संबंध में जो माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(शोर/व्यवधान)

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मेरा एक प्रश्न है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आगे सवाल बुलवाइये।

जनपद अल्मोड़ा के ग्राम मल्लीधौनी पो० पनुवानौला में भू-स्खलन से प्रभावित परिवारों को अन्यत्र बसाने की मांग

*9–श्री बची सिंह रावत (अनुपस्थित)–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद अल्मोड़ा के ग्राम मल्लीधौनी पो० पनुवानौला का क्षेत्र 1982 से भू-स्खलन से प्रभावित है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सितम्बर, 1993 की अतिवृष्टि में 11 परिवारों के आवास भू-स्खलन से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं ? क्या सरकार की ओर से इन प्रभावित परिवारों को अन्यत्र बसाने की कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो किस स्थान पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद अल्मोड़ा के ग्राम मल्लीधौनी, पोस्ट पनुवानौला के क्षेत्र में वर्ष 1982 में भूस्खलन होने की कोई सूचना नहीं है। परन्तु वर्ष 1986-87 में मल्लीधौनी, पो०–पनुवानौला, तहसील-अल्मोड़ा में भूस्खलन से 10–12 हैक्टेयर प्रभावित कृषकीय भूमि में दरारें आने तथा धसने से आंशिक क्षति पहुंची थी। वर्तमान समय में इस भूमि पर खेती की जा रही है। उक्त आवासीय भवनों के योग्य नहीं है। वर्ष 1993 के माह सितम्बर में अतिवृष्टि से 10 परिवारों के आवासीय भवनों को क्षति पहुंची है। वर्तमान में यह प्रभावित परिवार अन्यत्र बसने को तैयार हैं। इन्हें इसी ग्राम के सुरक्षित स्थान जागेश्वर वन रेंज के कम्पार्ट संख्या–57 में बसाये जाने हेतु वन भूमि के विच्छेदन की कार्यवाही चल रही है।

नवसृजित जनपद सोनभद्र का मुख्यालय राबर्ट्सगंज में स्थाई रूप से निर्मित किये जाने की मांग

*10–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि नवगठित जनपद सोनभद्र के मुख्यालय राबर्ट्सगंज पर मुख्यालय के अनुरूप भवनों आदि के निर्माण का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि अभी तक उक्त जनपद के निवासियों की समस्याओं के निराकरण हेतु मुख्यालय पर अधिकारियों के बैठने एवं उनके कार्यालय की कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

जी हां, वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गयी है । राबर्ट्सगंज में जनपद सोनभद्र का अस्थायी कलेक्ट्रेट कार्यालय चल रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न संख्या–10, पाल जी के प्रश्न का उत्तर दीजिये ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, नौवां प्रश्न भी हमारा ही है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न संख्या–10, प्रश्न श्री पाल जी का है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, लिखित में अभी तक नहीं मिला है, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो जनपद मुख्यालय के लिये राबर्ट्सगंज में जो अस्थायी व्यवस्था चल रही है ।...

श्री अधिष्ठाता–

अस्थायी, स्थायी नहीं ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, सभी स्थाई कहते हैं लेकिन पूर्व में स्थायी कहते हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो यह सोनभद्र जनपद का वर्ष 1988-89 में सृजन हुआ है तो उसका मुख्यालय कहां पर स्थापित किया जायेगा और इस संबंध में क्या शासन ने कोई निर्णय लिया है ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, जैसा कि पिछले सवाल में कहा है कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बनी है, रिपोर्ट में पिपरी और बेलत्थी दो स्थानों के नाम हैं कि मुख्यालय कहां पर स्थापित किया जाय, इस पर विचार कर रहे

हैं। माननीय सदस्य राबर्ट्सगंज की बात कर रहे हैं। इस संबंध में प्रस्ताव आया है और उस पर विचार हो रहा है। विचार होने के बाद ही निर्णय लिया जायेगा।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि राबर्ट्सगंज तहसील को मिर्जापुर जनपद के कुछ हिस्से के संबंध में कोई प्रस्ताव पड़ा है या सरकार के विचाराधीन है ?

श्री बाबू राम यादव–

राबर्ट्सगंज तहसील के कुछ हिस्से का मिर्जापुर जनपद में कोई प्रस्ताव है, यह पूछ रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

इस संबंध में जानकारी दीजिये।

श्री बाबू राम यादव–

इस संबंध में कोई सूचना ऐसी नहीं है।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कानपुर देहात काफी वर्षों से जिला घोषित है। उसके...

श्री अधिष्ठाता–

क्या इसकी परिधि में आता है, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, मुख्यालय का निर्माण कहां पर और कब किया जायेगा। मैंने मान्यवर, घाटमपुर के लिये.....(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अलग से पूछियेगा।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, यह बता दें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य का प्रश्न सुन लिया। कृपया बता दें।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, मुख्यालय बनाया जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं ? मुख्यालय का भवन निर्माण जल्दी कर दिया जायेगा या नहीं ?

श्री बाबू राम यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारे सम्मानित सदस्य जो जानना चाहते हैं, इस संबंध में निर्णय हो गया है और शीघ्र ही हम चाहेंगे कि हमारी सरकार के माननीय मुख्य मंत्री जी उसका शिलान्यास बहुत जल्द कर देंगे ।

श्री राकेश सचान–

निर्णय कहां हुआ है ।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कानपुर देहात के अन्तर्गत वर्षों से महानगर बार-बार मुख्यालय बनाने की बात की जा रही है और जिला का कार्य गति से शुरू हो जायेगा ।...

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, इस सवाल से कोई मतलब नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी शीघ्र ही शिलान्यास करेंगे ।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं आया । माननीय मंत्री जी ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी शीघ्र ही शिलान्यास करेंगे । माननीय मुख्य मंत्री जी कहां पर शिलान्यास करेंगे, वह स्थान तो वह बता दें ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि सोनभद्र को जिला बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था । उस उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी और उसमें पीपरी और बेलहत्थी को इंगित किया गया । वहां के लोगों की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपने कृपा करके उस पर पुर्नविचार करना शुरू कर दिया । परन्तु इसी बीच माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह भी कहा कि पीपरी, बेलहत्थी और राबर्ट्सगंज के बारे में विचार चल रहा है । राबर्ट्सगंज के प्रस्ताव पर फिर से विचार किया जा रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राबर्ट्सगंज के प्रस्ताव पर जो विचार किया जा रहा है क्या यह उसी उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जा रहा है या शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है या फिर किसी अन्य स्तर पर विचार हो रहा है । सोनभद्र के मुख्यालय को बनाने के लिए क्या इस तीनों पर विचार किया जा रहा है ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैंने पहले ही बताया कि जिलों के गठन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है । जिसने दो जगहों के नामों को इंगित किया । पीपरी और बेलहत्थी । उस समय रार्बसगंज विचाराधीन नहीं था, जिस समय यह रिपोर्ट आयी । उसके बाद राबर्टसगंज का प्रस्ताव आया । अब उसका परीक्षण भी किया जा रहा है । तीनों पर विचार कर लिया जायेगा, उसके बाद निर्णय ले लिया जायेगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना भी चाहूंगा और साथ ही साथ आग्रह भी करना चाहूं कि राबर्टसगंज जनपद मिर्जापुर का एक ऐसा स्थल है, जहां पर समस्त सुविधायें उपलब्ध हैं । और जिन दो स्थानों का जिक्र किया गया है, वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वीरान हैं, इसलिए

सरकार को वहां पर बहुत खर्च करना पड़ेगा । चूंकि राबर्टसगंज में समस्त सुविधायें उपलबध हैं, इसलिए यदि राबर्टसगंज के बार से भी सिफारिश आ जाती है तो क्या माननीय मंत्री जी राबर्टसगंज को जिले का मुख्यालय बनाने के बारे में स्पष्ट आश्वासन देंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैं माननीय श्री तिवारी जी को बताना चाहता हूं कि पहले दो प्रस्ताव आये थे –पीपरी और बेलहत्थी के बारे में । उसके पश्चात् राबर्टसगंज का प्रस्ताव आया । अब इन तीनों प्रस्तावों पर पुनः विचार किया जा रहा है और शासन स्तर पर भी इसका परीक्षण करके, इस पर निर्णय लिया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

पहाड़ों के तराई भांबर क्षेत्र में वर्ग चार के कब्जेदारों को नियमित किये जाने की मांग

*11–श्री राजीव कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पहाड़ों के तराई भांबर क्षेत्र में वर्ग चार की भूमि को नियमितीकरण करने के कोई शासनादेश हैं ? यदि हां, तो क्या उनका अनुपालन करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वर्ग चार के कब्जेदारों के कब्जों को नियमित करायेगी ? यदि हां, तो केब तक ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मैलानी–पुवायां वन प्रभाग क्षेत्र के निर्धन असहाय भूमिहीन, निर्बल वर्ग के मजदूरों को जलौनी लकड़ी, घास फूस आदि के काटने पर लगी रोक को हटाये जाने की मांग

*12–श्री चेतराम–

क्या वन मंत्री मैलानी–पुवायां वन प्रभाग क्षेत्र के निर्धन असहाय भूमिहीन, निर्बल वर्ग के मजदूर किसानों की जलौनी लकड़ी, घास–फूस आदि पर वन विभाग द्वारा सैन्चुरी घोषित कर लगायी गयी रोक को तत्काल वापस लेने का निर्देश जनहित में देंगे ? क्या यह सच है कि उक्त जन समस्या को लेकर क्षेत्रीय जनता ने अनशन, धरना आदि का भी कार्यक्रम मैलानी में चलाया था ? यदि हां, तो उक्त जन समस्या का निदान कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जी नहीं ।

जी हां ।

वन्य जीव बिहार क्षेत्र में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित, 1991) के प्राविधानों के अनुसार यह सुविधा नहीं दी जा सकती है ।

नोट :–नत्थी 'ग' तारांकित प्रश्न संख्या–10 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश के "राजा जी राष्ट्रीय पार्क" में कुल हाथियों की संख्या एवं उनकी सुरक्षा की मांग

*13–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के "राजाजी राष्ट्रीय पार्क" में कुल कितने हाथी हैं? जनवरी, 1991 से अब तक कितनी हाथियों की मृत्यु हुई है ? इस अवधि में हाथियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई ? क्या हाथी दांत प्राप्त करने के लिये कोई तस्कर गिरोह द्वारा कुछ हाथियों की हत्या किये जाने की जानकारी सरकार को है ? क्या फरवरी, 1994 के प्रथम सप्ताह में कोई हाथी मरा ? यदि हां, तो क्या वह गोली से मारा गया था ? क्या जिला अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल ने हाथियों की सुरक्षा पर चिन्ता व्यक्त करते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हेतु दिनांक 8 मार्च, 1990 को पत्र संख्या–1979/20–15(89-90) या अन्य तिथि में शासन को लिखा था ? यदि हां, तो हाथियों की सुरक्षा हेतु क्या प्रभावी व्यवस्था की गयी है ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां, "राजाजी राष्ट्रीय पार्क" में वर्ष 1993 की गणनानुसार 522 हाथी हैं।

जनवरी, 1991 से अब तक 23 हाथियों की मृत्यु हुई है।

इस अवधि में 213 हाथियों की वृद्धि हुई है।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

जिलाधिकारी, पौड़ी के प्रश्नगत पत्र के आधार पर जिला कमान्डेन्ट पौड़ी ने अप्रैल, 1990 से 16 होमगार्ड की टुकड़ी हाथियों की सुरक्षा के लिए तैनात की थी जो चार महीने तक तैनात रही। वर्ष 1991 से भारत सरकार द्वारा "एलिफैन्ट प्रोजेक्ट" योजना हाथियों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से लागू कर दी गयी है।

उत्तर प्रदेश के चकबन्दी विभाग में वर्ष 1989-90 में प्रशिक्षित चकबन्दी और रेवन्यू लेखपालों के समायोजन में दोहरे मानक का प्रश्न

*14–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि चकबन्दी विभाग उत्तर प्रदेश में वर्ष 1989-90 में प्रशिक्षित चकबन्दी लेखपालों को लगभग 4 वर्ष के बाद अभी तक समायोजित नहीं किया गया है ? क्या यह सही है कि इन्हीं के साथ प्रशिक्षित रेवन्यू लेखपालों को समायोजित कर दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त दोहरे मानक का क्या औचित्य है? क्या यह भी सत्य है कि प्रशिक्षित लेखपालों चकबन्दी के स्थान पर चकबन्दी विभाग ने इस दौरान सैकड़ों अप्रशिक्षित लेखपालों की नियुक्ति कर दी है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा इसके लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बाबू राम यादव–

वर्ष 1989-90 में चकबन्दी लेखपाल प्रशिक्षण के 247 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में 91 अनुसूचित जाति के तथा 156 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी थे। अनुसूचित जाति के सभी 91 अभ्यर्थियों तथा सामान्य वर्ग के 91 अभ्यर्थियों को समायोजित किया जा चुका है। मात्र 6 सामान्य वर्ग के प्रशिक्षित चकबन्दी लेखपालों/अभ्यर्थियों को समायोजित नही किया जा सका है।

जी हां। जो अभ्यर्थी भू-लेख नियमावली के नियम 212 व 213 के अन्तर्गत प्रतियोगात्मक परीक्षा के आधार पर चयनित होकर लेखपाल परीक्षा उत्तीर्ण घोषित कर दिये गये, उन्हें लेखपाल सेवा नियमावली के नियम–6 के अन्तर्गत लेखपाल पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है।

चकबन्दी लेखपालों के अलग सेवा नियम हैं अतः दोहरे मानक का प्रश्न नहीं उठता।

इसप्रकार की कोई सूचना नहीं है परन्तु यदि कहीं पर अनियमित नियुक्ति का प्रकरण प्रकाश में आयेगा तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी और जो मामले प्रकाश में आये उनमें कार्यवाही की गयी है।

नवसृजित जनपद सोनभद्र के मुख्यालय के निर्माण हेतु स्थान चयन के लिए आर० आचार्य की कमेटी की रिपोर्ट

*15–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवनिर्मित सोनभद्र जिले के मुख्यालय के लिये सरकार ने आर० आचार्य की एक कमेटी नियुक्त की थी ? यदि हां, तो आर० आचार्य कमेटी ने सोनभद्र जिले के मुख्यालय के किस स्थान के लिये संस्तुति करके शासन के पास कब से भेज दिया है और उसका निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां। श्री एस० एन० आचार्या तत्कालीन अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति ने नवसृजित जनपद सोनभद्र का मुख्यालय पिपरी में निर्धारित किए जाने तथा विकल्प में विलहत्थी गांव की बंजर भूमि पर नया नगर बनाकर मुख्यालय स्थापित किये जाने की संस्तुति की थी। उक्त कमेटी की रिपोर्ट दिनांकित 27 मार्च, 1990 शासन को प्राप्त हुई थी। सम्पूर्ण प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

वन अधिनियम के अन्तर्गत अवैध कटान को रोकने के लिए विहित दण्डात्मक व्यवस्था को कठोर बनाने की मांग

*16–श्री राम सरन वर्मा–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि वन अधिनियम के अन्तर्गत विहित दण्डात्मक व्यवस्था अति साधारण एवं सरल होने के कारण वृक्षकटान तीव्रता से हो रहा है ? क्या सरकार वन अधिनियम में संशोधन कर उसे सुदृढ़ एवं कठोर बनायेगी ताकि पेड़ कटान सामान्यतः बन्द होकर पर्यावरण का संरक्षण सम्भव हो सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां ।

भारतीय वन अधिनियम, 1927 में वन अपराधियों पर जुर्माने की धनराशि एवं सजा की अवधि पर्याप्त न होने के कारण अवैध कटान पर नियंत्रण में कठिनाई आ रही है । भारतीय वन अधिनियम, 1927 में दण्डात्मक व्यवस्था कठोर बनाये जाने से संबंधित संशोधनों पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है ।

*17–श्री रमापति शास्त्री, श्री तुलसी दास राय चन्दानी तथा श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता–

[दि० 3-3-94 को नियम–51 के अन्तर्गत वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

जनपद बदायूं में संग्रह अमीनों के स्वीकृत पदों में अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

*18–श्री योगेन्द्र कुमार सागर–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बदायूं में संग्रह अमीनों के 154 पद शासन द्वारा स्वीकृत हैं जिसमें 18 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर औसतन 28 नियुक्तियां होनी चाहिए जब कि मात्र 13 व्यक्ति कार्यरत हैं, शेष आरक्षण के आधार पर रिक्त पदों पर क्या नियुक्तियां की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद बदायूं में संग्रह अमीनों के शासन द्वारा 154 पद स्वीकृत हैं । इनमें से 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति के आरक्षण के आधार पर वर्तमान में 25 संग्रह अमीन कार्यरत हैं । शेष आरक्षण के आधार पर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही मार्च, अप्रैल, 1994 में कर ली जायेगी ।

प्रस्तावित नये जिले भदोही में मिर्जापुर जिला का कुछ भाग मिलाने का शासन में विचाराधीन प्रस्ताव का विवरण

*19–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रस्तावित नये जिले भदोही में मिर्जापुर जिले के कुछ भाग को मिलाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस प्रस्ताव के पहले जनपद मिर्जापुर के नागरिकों की सुविधा-असुविधा का ध्यान रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

यह प्रश्न विचाराधीन रखा गया है ।

व्यापक जनहित में ।

विचारते समय ध्यान अवश्य दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के कर्वी तहसील अन्तर्गत वनवासी बन्धुओं का उत्पीड़न को रोकने की मांग

*20–श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि बांदा जिले के कर्वी तहसील के सैकड़ों वनवासी बंधुओं, जिनका कि भरण पोषण प्रतिदिन जंगल से लकड़ी इकट्ठा करके बेचने पर ही होता है, उनकी लकड़ी की प्रतिदिन वन विभाग के कर्मचारी छीन लेते हैं ? यदि हां,तो सरकार उनको वन विभाग के इस उत्पीड़न से बचाने के लिये क्या उपाय कर रही है ? क्या सरकार ऐसे परिवारों की लिस्ट बनवाकर जिनकी जीविकोपार्जन का साधन यही पेशा मात्र है, उनको वन विभाग से एक कार्ड जारी करेगी, जिससे कि ऐसे लोगों का उत्पीड़न न हो तथा वन भी सुरक्षित रहे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इनको वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री भगवती सिंह–

ग्रामीणों द्वारा जंगल से लकड़ी को निजी उपयोग के बजाय बाजार में बेचने हेतु ले जाने पर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है । वनों से केवल सूखी, गिरी पड़ी जलौनी लकड़ी (गिरे वृक्षों को छोड़कर) ही स्थानीय ग्रामवासियों को निजी उपयोग हेतु सरबोझ के रूप में निःशुल्क ले जाने की सुविधा अनुमन्य है । इस लकड़ी को बेचने की सुविधा नहीं दी गयी है ।

उत्पीड़न का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलायी जा रही रोजगार परक योजनाओं का लाभ इन ग्रामवासियों को भी उपलब्ध है । अतएव वन विभाग द्वारा इनको वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने का कोई औचित्य नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

1–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[3 सरे सोम के अता० प्र० सं० 123 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

2–श्री स्वयंवर चौधरी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद गाजियाबाद में विधवा, वृद्ध व अपंगों की दी जाने वाली पेंशन न प्राप्त होने की शिकायत

3–श्री गजराज सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में कितनी विधवा, वृद्ध व अपंगों को पेंशन दी जा रही है ? कितने व्यक्तियों को पेंशन की स्वीकृति दी जा चुकी है ? उक्त व्यक्तियों को कब से पेंशन भुगतान नहीं किया गया है तथा क्यों ? कब तक सभी स्वीकृति पेंशन का भुगतान शासन से प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

श्री राज बहादुर–

जनपद गाजियाबाद में 3777 विधवाओं, 4798 वृद्धों एवं 708 विकलांगों को भरण-पोषण अनुदान दिया जा रहा है ।

तदैव

इनमें से 1895 विधवाओं एवं 385 विकलांगों को वर्ष 92-93 का भुगतान धन की कमी के कारण नहीं किया जा सका था ।

वर्ष 93-94 में 2422 विधवाओं को द्वित्तीय छः माही का तथा 1355 विधवाओं को पूरे वर्ष का भुगतान, 515 विकलांगों को छः माह का तथा 193 विकलांगों को पूरे वर्ष का भुगतान, तथा 4029 वृद्धों को माह अक्टूबर, 1993 से भुगतान धन की कमी के कारण नहीं किया जा सका है ।

निराश्रित विधवाओं तथा विकलांगों की वर्ष 92-93 से संबंधित अवशेष देयता की धनराशि माह फरवरी, 94 में समस्त जनपदों को उपलब्ध करायी जा चुकी है । अन्य अवशेष भुगतान धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

जनपद हमीरपुर की मौदहा तहसील में हुई चकबन्दी की जानकारी एवं मौजा अरतरा के वरासत संबंधी लम्बित वादों को निस्तारित करने की मांग

4–श्री बशीर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी विभाग द्वारा जनपद हमीरपुर की मौदहा तहसील में कितने गांवों की चकबन्दी की गयी है ? मौजा मौदहा व मौजा अखरा के वरासत के और संदर्भ के व रिकार्ड की गल्तियों के मामलों का निस्तारण कब तक किया जा रहा है ? वहां पर धारा–52 का प्रकाशन कब तक होगा ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद हमीरपुर की तहसील मौदहा के 191 ग्राम चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत लिये गये थे जिसमें से 184 ग्रामों का धारा–52 का प्रकाशन करा दिया गया है ।

ग्राम मौदहा में विरासत संबंधी 8 वाद तथा अरतरा में विरासत संबंधी 10 वाद लम्बित हैं जिनकी मियाद पूरी होने पर निस्तारण नियमानुसार किया जायेगा । संबंधित अधिकारी को निर्देशत कर दिया गया है कि निस्तारण कर दें । संदर्भों व रिकार्ड संबंधी गलतियों के मामलों का निस्तारण ग्राम मौदहा में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के 28 स्थगन आदेश तथा अरतरा में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के 10 स्थगन आदेश हैं । इन स्थगन आदेशों के समाप्त होने के बाद दोनों ग्रामों के संदर्भ एवं रिकार्ड संबंधी गलतियों के मामलों का निस्तारण वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा ।

मामला न्यायालय में विचाराधीन है और निर्णयोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र हड़हा के अनेक ग्रामों में वृद्धावस्था व विधवा पेंशन का भुगतान न होने की शिकायत

5–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र हड़हा के अनेकों ग्राम, जिनमें वृद्धावस्था व विधवा पेंशनधारक हैं, उनको लगभग सत्तरह माह से पेशन अभी तक

नहीं भेजी गयी है ? यदि हां, तो क्या इसमें ग्राम टिकौली, ग्राम पोटरिहा व ग्राम कुलहा बगहा के श्री कृष्ण कुमार साहू आदि पेंशनधारक की पेंशनें भी बकाया हैं ? यदि हां, तो इनको कब तक बकाया पेंशन मिलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

विधान सभा के हड़हा की वर्ष 92-93 में भरण-पोषण अनुदान योजना में लाभ प्राप्त कर रही 940 निराश्रित विधवाओं में से 670 को सितम्बर, 93 एवं 270 को मार्च, 93 तक का भुगतान कर दिया गया है। 92-93 की अवशेष देयता की धनराशि माह फरवरी 94 में जनपद को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

उक्त क्षेत्र की वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 2489 लाभार्थियों में से धन की कमी के कारण 340 को दिसम्बर, 92 एवं 401 को मार्च, 94 तक का भुगतान किया गया है। 340 लाभार्थियों का 15 माह से एवं 2088 का 12 माह से पेंशन का भुगतान अवशेष है।

प्रश्नगत ग्राम के 6 निराश्रित विधवाओं में से एक का अक्टूबर, 93 से मार्च, 94 एवं 5 का जनवरी, 93 से मार्च, 94 तक के भरण-पोषण अनुदान का भुगतान अवशेष है।

श्री कृष्ण कुमार साहू निराश्रित विकलांग पेंशन धारक है। इनका अक्टूबर, 92 से भुगतान नहीं हो सका है। भुगतान के लिए धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त हो गयी है, सत्यापन जांच प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

6-7–श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

8–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

[कई विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

जिला वाराणसी गांव देवराई परगना कोलअसला तहसील व जिला वाराणसी के चकरोड नं–305 के अवैध कब्जे को हटाये जाने की मांग

9–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव देवराई प० कोलअसला, त० व जिला–वाराणसी में चकरोड नं०–305 रकबा $26\frac{1}{2}$ जो देवराई ट्यूबवेल से पश्चिम को गया है, के बीच में काशी, वगैरह पुत्र सहदेव गांव देवराई द्वारा काफी दूर तक चकरोड पर कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो उक्त कब्जे को अब तक हटाये न जाने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि देवराई से छोटी देवराई में जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है ? क्या सरकार इस अवैध कब्जे को तुरन्त हटाकर उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां।

प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत है।

जी नहीं।

प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत है।

जनपद बलिया के राजस्व अभिलेखों में मौजा रुस्तमपुर परगना व जिला बलिया में विवादित गाटों का मामला न्यायालय के विचाराधीन

10–श्री राम कुमार वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1917 में नीलाम, 1923 में कबाला, भू-राजस्व अभिलेखों में दर्ज, काबिज श्री परशुराम सिंह पुत्र स्व० श्री राधामोहन सिंह आदि ग्राम–रुस्तमपुर, थाना–बांसडीह रोड, परगना व जिला–बलिया की भूमि की जुताई-बुवाई व फसल की कटान में गांव के ही श्री दीनानाथ सिंह पुत्र स्व० राम एकबाल सिंह, श्री शम्भू सिंह पुत्र श्री शंकरदयाल सिंह श्री सत्यनारायण सिंह आदि द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त लोगों का अनाधिकृत हस्तक्षेप कड़ाई से न रोके जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार कानून-व्यवस्था, जनसुरक्षा एवं लोकहित में उक्त अनधिकृत हस्तक्षेप पर रोक लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

राजस्व अभिलेखों में मौजा रुस्तमपुर परगना व जिला–बलिया में विवादित गाटों पर श्री परशुराम सिंह पुत्र स्व० श्री राधामोहन सिंह तथा श्री दीनानाथ सिंह पुत्र स्व० श्री राम एकबाल सिंह आदि का नाम बतौर सह खातेदार सभी खातादारान विवादित आराजी जोतते बोते हैं। आराजी के कब्जा, स्वत्व व अधिकार के संबंध में दोनों पक्षों के बीच विवाद मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

मामला न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अनुरूप ही कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

11–श्री मित्रसेन यादव–

[6ठे बुध में अता० प्र० सं० 95 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ में स्व० श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव, लेखपाल, तहसील सदर, लखनऊ की पत्नी को मृतकाश्रित कोटे में नियुक्ति करने की मांग

12–श्री सतीश भाटिया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव, लेखपाल, तहसील सदर, लखनऊ जिनका स्वर्गवास दिनांक 01-03-1991 को हो गया उनके रिक्त स्थान पर नियमानुसार उनकी पत्नी को मृतकाश्रित के रूप में नियुक्ति की गई ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां।

जी नहीं। नियमानुसार यह संभव नहीं है कि मृतक आश्रित को लेखपाल पद पर नियुक्ति दी जाये। इससे पूर्व मृतक की पत्नी श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव की चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया जिस पर इन्होंने कार्य करने से मना कर दिया।

लेखपाल प्रशिक्षण हेतु मृतक की पत्नी को अक्टूबर, 1993 में चयनित किया गया, किन्तु उन्होंने योगदान नहीं दिया। एक वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी ही लेखपाल पद पर नियुक्ति हेतु पात्र हैं। चूंकि यह अर्हता स्वर्गीय श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव की पत्नी श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव नहीं रखती अतः उन्हें

लेखपाल के पद पर नियुक्ति किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। राजस्व परिषद् द्वारा अपने आदेश दिनांक 17-12-93 द्वारा प्रार्थिनी को लिपिक पद पर नियुक्त किये जाने के आदेश दिये गये हैं, जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

13–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना–

[दि० 17-3-94 को अता० प्र० सं० 29 द्वारा उत्तरित]

जनपद गोरखपुर के ग्राम सभा भुआ शहीद (मइला) तहसील सहजनवां ब्लाक पाली में भूमिहीनों में सीलिंग/ग्राम समाज की भूमि का अनियमित आवंटन

14–सुश्री प्रभा रावत–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा भुआ शहीद (मइला) तहसील–सहजनवां, ब्लाक–पाली, गोरखपुर में अनुसूचित जाति के भूमिहीन हैं ? यदि हां, तो क्या वर्ष 1988 के बाद सीलिंग/ग्राम समाज की भूमि का आवंटन भूमिहीनों को किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सब अनुसूचित जाति के हैं ? यदि नहीं, तो किस-किस जाति के हैं ? क्या वे सभी लोग पात्र हैं ? यदि नहीं, तो क्या यह भी सही है कि उक्त अनियमित आवंटन के संबंध में एक विवाद न्यायालय में चल रहा है ? यदि हां, तो उक्त विवाद के मुख्य बिन्दु क्या हैं ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं।

जी हां।

आवंटन नियमानुसार किया गया है, इस आबंटन के विरुद्ध सीलिंग अधिनियम की धारा 27(4) अथवा उ० प्र० ज० बि० एवं भू० व्यवस्था अधिनियम की धारा 178(4) के अन्तर्गत किसी न्यायालय में किसी वाद के लम्बित होने का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

जनपद अलीगढ़ के श्री राज्यपाल भारद्वाज निवासी–बरई शाहपुर, थाना सिकन्दरा राऊ द्वारा अवैध पैमाइस के संदर्भ में शासन को प्रेषित शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

15–श्री सतीश भाटिया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश शासन को श्री राजपाल भारद्वाज निवासी–बरई शाहपुर, थाना–सिकन्दरा राऊ जनपद–अलीगढ़ द्वारा दिनांक 16-8-93 को क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा आवंटित भूमि से अवैध रूप से पैमाइश किए जाने संबंधी शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या लेखपाल को एल० आर० एक्ट के अन्तर्गत भूमिधरी को भूमि की पैमाइश का अधिकार है ? यदि नहीं, तो संबंधित लेखपाल के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? क्या श्री राजपाल भारद्वाज व श्री दीनानाथ भारद्वाज को सैनिक परिवार कोटे में आवंटित उक्त भूमि वापस दिलाई जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

जांच में पाया गया है कि लेखपाल ने आवंटित भूमि एवं संक्रमणीय भूमिधर जिस पर विवाद है । गाटा सं०–764/1 की पैमाइश लेखपाल द्वारा नहीं की गयी है । उत्तर प्रदेश भू- राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 41 के अन्तर्गत निजी सीमा विवाद के निपटारे के लिए प्रक्रिया सम्बन्धी राजस्व न्यायालय के नियम 404 में विहित व्यवस्थानुसार न्यायालय के स्पष्ट अनुदेश के अधीन लेखपाल भूमि की पैमाइश कर सकता है । लेखपाल ने संक्रमणीय भूमिधर की पैमाइश नहीं की है, इसलिए उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है । श्री राजपाल भारद्वाज व श्री दीनानाथ भारद्वाज की गाटा संख्या 774 रकबा 1.152 व 768 रकबा 0.311 के असंक्रमणीय भूमिधर है गाटा सं०–774 में आवंटित क्षेत्रफल 1.152 पर शिकायतकर्ताओं ने कब्जा न लेकर 1.071 पर कब्जा किया है । उक्त भूखण्ड में 0.081 हेक्टेयर रकबा जो उन्हें आवंटित है, खाली पड़ा है जिसे शिकायतकर्ता लेना नहीं चाहते हैं बल्कि प्रतिपक्षों भगवान सिंह व तिलक सिंह आदि संक्रमणीय भूमिधर के गाटा संख्या–764/1 क्षेत्रफल 0.057 पर कब्जा लेना चाहते हैं जिसे दिया जाना संभव नहीं है ।

जनपद लखनऊ में श्री गिरिश कुमार पाण्डेय आदि वर्सेज उ० प्र० राज्य आदि की रिटपीटीशन संख्या–8013 (एस०/एस०), 1991 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को समायोजित करने विषयक आदेश पर कार्यवाही

16–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गिरिश कुमार पाण्डेय आदि वर्सेज उ० प्र० राज्य आदि की रिट पिटीशन संख्या–8013 (एस/एस) 91 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा सभी अपील कर्ताओं को समायोजित किए जाने के आदेश दिनांक 10-12-91 को दिए गये हैं ? यदि हां, तो क्या सभी अपील कर्ताओं को जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा समायोजित कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10-12-91 के अनुसार सर्वश्री गिरीश कुमार पाण्डेय, कौशल किशोर दीक्षित, हरी लाल तथा राम चन्द्र को कार्य एवं पद उपलब्ध होने की दशा में समायोजित करने के निर्देश थे जिसमें से श्री कौशल किशोर दीक्षित को समायोजित कर लिया गया है । श्री गिरीश कुमार पाण्डेय जनपद मेरठ में बिक्रीकर विभाग में कार्यरत है । श्री हरी लाल जनगणना निदेशालय में दिनांक 28-2-94 तक कार्यरत थे । मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10-12-91 में निर्देशक जनगणना भी एक पक्षधर थे । श्री राम चन्द्र द्वारा सेवायोजन हेतु दिनांक 7-2-94 को प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को दिया गया है जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के अनुदानित विद्यालय किसान प्राइमरी पाठशाला बनकटा पो० गयासपुर के प्रबन्धक को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र का विवरण

17–श्री परशुराम यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जिला समाज कल्याण अधिकारी, फैजाबाद द्वारा शिक्षा क्षेत्र तारून के अनुदानित विद्यालय किसान प्राइमरी पाठशाला बनकटा, पोस्ट गयासपुर, फैजाबाद के प्रबन्धक को पत्र संख्या–1714/स्व० संस्था 93-94 दिनांक 6-1-94 पंजीकृत पत्र में संदर्भित बिन्दुओं

के अनुसार पृथक-पृथक आख्या तीन दिन के अन्दर मांगी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त आख्यायें किस सन्दर्भ में तथा विभाग की ओर से होने वाली किस कार्यवाही के क्रम में मांगी गयी थी ? उपर्युक्त विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा दी गयी संदर्भित बिन्दुवार आख्या क्या है ? यदि आख्या नहीं दी गई है, तो क्यों ? इस बारे में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही कराई जा रही है ?

श्री राजबहादुर–

जी हां ।

प्रश्नगत विद्यालय के कतिपय अध्यापकों द्वारा प्रबन्धक के विरुद्ध की गयी शिकायतों के संदर्भ में उक्त आख्या मांगी गई थी ताकि पात्र अध्यापकों को नियमानुसार वेतन अनुदान के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा सके ।

प्रबन्धक द्वारा अभी आख्या नहीं दी गयी है ।

आख्या प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जा रहा है ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी को निदेशालय के पत्र सं०–349-50, दिनांक 9-6-93 द्वारा निर्देश दे दिये गये हैं कि वह पात्र अध्यापकों के वेतन अनुदान का भुगतान कराना सुनिश्चित करें तथा अनियमित अध्यापकों को यदि प्रबन्धक द्वारा भुगतान किया गया हो, तो उसकी वसूली प्रबन्धक से करायें ।

जनपद जालौन की समस्त तहसीलों के शहरी/नगरी क्षेत्रों की कृषि भूमि पर जमींदारी प्रथा बनाये रखने की शिकायत

18–श्री चैनसुख भारती–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन की समस्त तहसीलों के शहरी क्षेत्र/नागर क्षेत्र की कृषि भूमि पर क्या अभी भी जमींदारी प्रथा लागू है ? यदि हां, तो जमींदारी प्रथा समाप्त करने के संबंध में क्या कोई योजना विचाराधीन है ? यदि है, तो क्या किसानों को भूमिधर घोषित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक जमींदारी प्रथा समाप्त हो जायेगी ? यदि जमींदारी प्रथा शहरी क्षेत्र नागर क्षेत्र/कृषि पर समाप्त नहीं हो सकती है, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 में यथापरिभाषित कृषि क्षेत्रों की जमींदारी जनपद जालौन के समस्त नागर क्षेत्रों से, उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार कृषिक तथा अकृषिक भूमि का सीमांकन कराये जाने के बाद समाप्त कर उन्हें राज्य में निहित किया जा चुका है ।

ऐसे क्षेत्रों की अकृषिक भूमि में से बाद में जो क्षेत्र कृषिक भूमि की श्रेणी में आ गये उनके बारे में उनमें जमींदारी समाप्त करने की कोई विधिक व्यवस्था नहीं है ।

जनपद देवरिया के ग्राम सिधावर के तप्पा परवरपार, परगना सिसुवा, तहसील हाटा के रजकों (धोबियों) द्वारा धोबी घाट एवं कपड़े सुखाने हेतु भूमि की मांग हेतु शासन को पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

19–श्री चन्द्र किशोर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के तप्पा-परवरपार, परगना सिसुवा जोबना, तहसील हाटा के ग्राम-सिधावर के रजक जाति (धोबी) के लोगों ने अपनी जातीय पेशे

हेतु/शासनादेशों का हवाला देते हुए धोबी घाट व कपड़ा सुखाने हेतु जमीन की मांग, दिनांक 18-1-94 को पंजीकृत डाक द्वारा उनसे, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश लखनऊ प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश, लखनऊ मण्डलायुक्त गोरखपुर एवं जिला अधिकारी, देवरिया से की है ? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो कब तक इस प्रकरण में कार्यवाही कर दी गयी ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखनऊ में स्व० श्री पुत्तीलाल वर्मा प्राणि उद्यान की पारिवारिक पेंशन मृतकाश्रित पत्नी श्रीमती राम प्यारी को अविलम्ब देने की मांग

20–श्री विश्वनाथ–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती राम प्यारी पत्नी स्व० पुत्तीलाल वर्मा, प्राणि उद्यान, लखनऊ का प्रार्थना-पत्र दिनांक 11-1-94 को उन्हें प्राप्त हुआ है यदि हां, तो क्या श्रीमती राम प्यारी को पारिवारिक पेंशन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इस विलम्ब के लिए कौन अधिकारी अथवा कर्मचारी जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

विलम्ब से प्रस्ताव भेजने के लिए सबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद लखनऊ के ग्राम बरावन कला परगना व तहसील व जिला लखनऊ में स्थित चकरोड नं० 1684 पर से अवैध कब्जे को हटाये जाने की मांग

21–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बरावन कला, परगना व तहसील व जिला लखनऊ में स्थित चकरोड नम्बर 1684 पर से अवैध कब्जे हटाने हेतु ग्रामवासियों द्वारा कई बार प्रार्थना-पत्र देने के बाद भी उक्त चकरोड पर से कब्जे हटाये न जाने का क्या कारण है ? क्या उक्त अवैध कब्जे हटाये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

वाद न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं ।

मामला न्यायिक प्रक्रिया में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर बिसवां के वन राजि अधिकारी श्री श्रीधर त्रिपाठी एवं प्रभागीय निदेशक, श्री अशोक दीक्षित आदि कर्मचारियों के खिलाफ प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

22–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित शिकायती-पत्र, जो कि बिसवां (सीतापुर) के वन राजि अधिकारी, श्री श्रीधर त्रिपाठी एवं प्रभागीय निदेशक, श्री अशोक दीक्षित एवं अन्य दो कर्मचारियों के खिलाफ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण में दोषी व्यक्तियों को

निलम्बित करके जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच कार्य किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ? क्या मंत्री जी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो क्या ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां ।

प्रकरण में जिलाधिकारी से जांच कराये जाने के आदेश दिये गये हैं ।

जांचोपरान्त दोषी पाये जाने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद सीतापुर में लहरपुर विधान सभा क्षेत्र, बिसवां विधान सभा क्षेत्र, महमूदाबाद विधान सभा क्षेत्र में लाइसेंसी गैर लाइसेंसी, आरा मशीनों का विवरण तथा उससे हो रही अवैध कटान की शिकायत

23–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में लहरपुर विधान सभा क्षेत्र, बिसवां विधान सभा क्षेत्र, महमूदाबाद विधान सभा में कुल कितने लाइसेंसी आरा मशीनें चल रही हैं ? क्या सीतापुर जनपद के उक्त तीन विधान सभा क्षेत्रों के अन्तर्गत वन अधिकारियों/पुलिस अधिकारियों की मिली भगत से अवैध रूप से लकड़ी का कटान जारी है ? क्या यह भी सही है कि इस कटान के दौरान अवैध रूप से लगी आरा मशीनों पर अवैध रूप से वहां काटी गयी लकड़ियों का चिरान कार्य जोरों पर चल रहा है ? क्या मंत्री जी दोषी अधिकारियों एवं आरा मशीनों के मालिक के खिलाफ एवं मशीनें बन्द कराने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

लहरपुर विधान सभा क्षेत्र में 28, बिसवां विधान सभा क्षेत्र में 8 तथा महमूदाबाद विधान सभा क्षेत्र में 4 लाइसेन्सी आरा मशीनें चल रही हैं ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

लहरपुर विधान सभा क्षेत्र, की 14, बिसवां विधान सभा क्षेत्र की 21 तथा महमूदाबाद विधान सभा क्षेत्र की 14 आरा मशीनों के विरुद्ध मामला माननीय न्यायालय के विचाराधीन है ।

24–श्री ऊदल–

[दि० 29-10-92 को अता० प्र० सं०–17 द्वारा उत्तरित]

जिला वराणसी गांव तरसड़ा परगना पन्द्रह तहसील व जिला वराणसी की आराजी खसरा नं० 209 रकबा 13 डि० मि० की भूमि के अनियमित आवंटन का निरस्त करने की मांग

25–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बतो की कृपा करेंगे कि गांव तरसड़ा परगना पन्द्रह त० व जिला वाराणसी की आराजी खसरा नं० 209 रकबा 13 डि० मि० को भूमि प्रबनधक समिति तरसड़ा ने 30-5-89 को प्रस्ताव पास करके परगनाधिकारी, उत्तरी, वाराणसी की स्वीकृति ता० 21-8-89 के द्वारा श्री गोरख पुत्र श्री खरपत्तू व श्री पारसनाथ पुत्र श्री खरपत्तू तथा श्री बाबू राम पुत्र श्री श्रीनाथ गांव तरसड़ा को पट्टा तीन-तीन डि० मि० का दे दिया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि श्री खरपत्तू व श्री श्रीनाथ

के पास गांव तरसड़ा व चकमलसी में जमीन है तथा ये दोनों अभी जिन्दा हैं ? क्या इनके लड़कों को सभापति तरसड़ा ने भूमिहीन बनाकर पट्टा भूमि दे दिया है ? यदि हां, तो क्या सचिव, भूमि प्रबन्धक समिति, तरसड़ा व प्रधान के खिलाफ कार्यवाही करने के साथ-साथ उक्त पट्टे को निरस्त करने की आज्ञा सरकार देगी ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

जी हां ।

जांचोपरान्त ज्ञात हुआ कि श्री खरपत्तू व श्रीनाथ के पास ग्राम तरसड़ा व चकमलसी में जमीन है तथा यह दोनों अभी जिन्दा हैं ।

जी नहीं ।

निर्धारित नियमों के अन्तर्गत पात्रता के अनुसार आवास हेतु भूमि पट्टा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के श्री रामबरन पुत्र श्री बिहारी निवासी रेवना, विकास खण्ड हरिंग्टनगंज द्वारा समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत दुकान निर्माण में हुई अनियमितता के संबंध में जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्रार्थना-पत्र

26–श्री मित्रसेन यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम बरन पुत्र श्री बिहारी निवासी–रेवना, विकास खण्ड–हरिंग्टनगंज, जनपद–फैजाबाद ने समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष मार्च, 92-93 में बनवाई जा रही दुकान निर्माण में ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण) श्री हरिवंश सिंह द्वारा अनियमितता के संबंध में अपर जिलाधिकारी (पंचायत) को दिनांक 13-9-93 एवं जिलाधिकारी, फैजाबाद को 10-2-93 रसीद सं० 2351 द्वारा श्री रामबरन द्वारा प्रार्थना-पत्र देकर आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया था ? यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण धनराशि लाभार्थी को प्राप्त हो गई है ? यदि नहीं, तो कब तक उक्त लाभार्थी को धनराशि दे दी जायेगी ?

श्री राज बहादुर–

जी हां, किन्तु जांचोपरान्त शिकायत असत्य पाई गयी । लाभार्थी द्वारा द्वितीय किस्त के व्यय बाउचर प्रस्तुत न करने पर उसे तृतीय किस्त की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है । द्वितीय किस्त के व्यय बाउचर प्रस्तुत करने पर उसे तृतीय किस्त की धनराशि दे दी जायेगी ।

27–श्री मंजूर अहमद–

[6 ठे बुध में अता० प्र० सं०–133 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बरेली ग्राम मन्डिया नबीबख्श तहसील बहेड़ी ब्लाक दमखोदा के एक व्यक्ति द्वारा किये गये अवैध कब्जे से बेदखल करने की मांग

28–श्री मंजूर अहमद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 30-6-92 को तहसीलदार बहेड़ी, जनपद बरेली द्वारा ग्राम मुन्डिया नबीबख्श, ब्लाक दमखोदा के एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने के कारण गाटा संख्या–575 गाटा संख्या–380/2 को उक्त भूमि से बेदखल करने का आदेश किया था ?

यदि हां, तो अब तक उक्त व्यक्ति के खिलाफ जो उक्त भूमि पर काबिज हैं, बेदखली की कोई कार्यवाही संबंधित अधिकारियों द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि कार्यवाही होगी तो कब तक ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद उन्नाव में लेखपालों की नियुक्ति विषयक निरस्त परीक्षा को पुनः कराने की मांग

29–श्री देवकी नन्दन–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में अभी हाल में शासन द्वारा लेखपालों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन किया गया व रु० 20 ड्राफ्ट भी लगाये गये परन्तु बिना कारण के परीक्षा निरस्त की गई जिनकी परीक्षा 30-1-94 को होनी थी ? यदि हां, तो क्या लेखपालों की नियुक्ति की परीक्षा भविष्य में होगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां । विज्ञप्ति शासन द्वारा नहीं अपितु राजस्व परिषद के आदेश आर० जी० 3773/4-34ए/93 दिनांक 23-12-93 व परिषदादेश सं० 3771/4-34ए/93 दिनांक 22 दिसम्बर, 1993 के आदेशों के पालन में लेखपाल पद हेतु जिलाधिकारी उन्नाव द्वारा विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये । आवेदन पत्रों में 20 रुपये के पोस्टल आर्डर भी लगाये गये हैं। परीक्षा निरस्त नहीं अपितु शासन के आदेशों से स्थगित की गई है । भविष्य मे परीक्षा कब होगी इस संबंध में फिलहाल कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

प्रदेश में घरेलू कार्य हेतु किसानों द्वारा सरकार के बिना अनुमति के काटे जाने वाले पेड़ों की प्रजातियों का विवरण

30–श्री देवकी नन्दन–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेड़ों की कितनी ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हें किसान घरेलू कार्य हेतु किसी प्रकार की परमीशन के बिना काट सकते हैं ? क्या सरकार ऐसे आदेश जारी करेगी कि किन-किन पेड़ों को किसान बिना अनुमति के काट कर उपयोग में ला सकते हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री भगवती सिंह–

उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 की धारा–23 के अन्तर्गत केवल 12 प्रजातियों के वृक्षों के पातन पर ही प्रतिबन्ध लगाया गया है । अन्य प्रजाति के वृक्षों के घरेलू उपयोग हेतु एक वृक्ष के पातन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

जनपद गोरखपुर के तप्पा–राजधानी, परगना–हवेली, तहसील चौरी-चौरा के ग्राम विशुन पुर मटियारा की बाजार की भूमि संख्या–426 पर अवैध कब्जे की बेदखली के संदर्भ में पूर्व विधायक व सांसद का पत्र एवं की गई कार्यवाही की जानकारी

31–श्री मोलई–

क्या राजस्व मंत्री जांच करके बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के तप्पा-राजधानी, परगना–हवेली, तहसील चौरी-चौरी के ग्राम विशुनपुर मटियारा की बाजार की भूमि संख्या–426 रकबा

1.61 एकड़ जो ग्राम सभा की सार्वजनिक प्रयोग की भूमि है, इसी गांव के सर्वश्री नान्हू व सुरेन्द्र पुत्रगण–रामबली चमार लेखपाल द्वारा बाजार होने का इन्तखाब लगाने व बयान देने के बावजूद दिनांक 27-9-91 व दिनांक 14-12-89 में तहसीलदार चौरी-चौरा व सदर (गोरखपुर) ने अनुसूचित जाति के होने के नाते लाभ दे दिया तथा दिनांक 25-11-1975 ई० में इसी भूमि पर हरा दिया है ? यदि हां, तो इस विषय में कार्यवाही करने हेतु पूर्व विधायक व सांसद श्री फिरंगी प्रसाद विशारद ने जिलाधिकारी गोरखपुर, आयुक्त गोरखपुर मण्डल गोरखपुर, मुख्य मंत्री, राजस्व मंत्री, प्रमुख सचिव राजस्व आदि को 1992 से अब तक कितने पत्र लिखकर बेदखली व निगरानी करने हेतु दिया है । इन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

पूर्व विधायक व सांसद श्री फिरंगी प्रसाद विशारद ने अब तक कुल 7 शिकायती प्रार्थना-पत्र भेजे हैं और इन पत्रों के अन्तर्गत मुकदमा संख्या 109/169 अन्तर्गत धारा–122 बी गांव सभा बनाम नान्हू जिसका निर्णय तहसीलदार चौरी-चौरा ने दिनांक 27-9-91 को किया था, उसके विरुद्ध निगरानी कलेक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई । इसी प्रकार मु- सं० 480 गांव सभा बनाम सुरेन्द्र जिसका निर्णय तहसीलदार ने दिनांक 14-12-89 को किया था, उसके विरुद्ध भी कलेक्टर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है । प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत है ।

32–श्री मोलई–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद गोरखपुर की तहसील चौरी- चौरा के ग्राम–विशुनपुर मटियारा के खाता 48, प्लाट नं० 347 क्षेत्रफल 0.25 डि० मि० की भूमि को श्मशान के नाम दर्ज करने तथा अनाधिकृत कब्जे से मुक्त कराने की मांग

33–श्री मोलई–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील चौरी-चौरा, चकबन्दी अधिकारी चौरी-चौरा ए० सी० ओ० 15 शिवपुर क्षेत्र के ग्राम–विशुनपुर मटियारा के खाता संख्या 48, प्लाट नं० 347 क्षेत्रफल 0.25 डि० मि० जो आधार वर्ष खतौनी में संक्रमणीय भूमिधर अंकित है । पूर्व के वर्षों एवं फसली वर्षों में उक्त प्लाट नम्बर 347 रकबा 0.25 डि० मि० शमशान सरकारी अभिलेखों में असंक्रमणीय रूप में दर्ज है, जिसे कंठीधारी चमारों कबीर पंथी सम्प्रदाय के लोगों को मरने के पश्चात् गाड़ने हेतु छोड़ा गया है और जिसको एक व्यक्ति ने अनधिकृत गैरकानूनी रूप से हड़प लिया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

जी हां ।

उप संचालक चकबन्दी गोरखपुर ने वाद संख्या–44 अन्तर्गत धारा 11 ग/48 (3) जोत चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत तारीख फैसला दिनांक 19 मार्च, 94 के द्वारा श्री मोलई पुत्र श्री राम मूरत एवं जयकरन पुत्र रायरत का नाम उक्त भूमि से खारिज करके उसे शमशान के नाम दर्ज कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

34–क्या राजस्व मंत्री को यह भी ज्ञात है कि खतौनी जिल्द बन्दोबस्त व खाता संख्या–342, सन् 1370-1372 फसली एवं पुनः खाता संख्या 342 सन् 1388-1393 फसली में समान रूप से शमशान श्रेणी 6(3) उक्त गाटा संख्या 347, रकबा 0.25 डि० मि० असंक्रमणीय भूमिधर सरकारी अभिलेखों में अंकित है जो सिद्धान्त की अर्थात् सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि में आती है ? यदि हां, तो क्या इसे शमशान रूप में मुक्त कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

गाटा संख्या–347 रकबा 0.25 डि० मि० को शमशान के रूप में सरकारी अभिलेखों में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

35–क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्लाट नम्बर 347, रकबा 0.25 डि० पर शमशान श्रेणी 6(3) असंक्रमणीय भूमिधर विगत चकबन्दी लगभग 30 वर्ष पूर्व से ही अंकित चला आ रहा था तो बीच में आधार वर्ष खतौनी फसली 1399 आदि में कैसे और किसके आदेश से श्री मोलई आदि पुत्रगण श्री रामसूरत चमार के नाम से संक्रमणीय भूमिधर अंकित कर दिया गया ? क्या इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच किसी समक्ष अधिकारी द्वारा कराकर दोषी पाये गये व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

श्री मोलई व जयकरन पुत्रगण रामसूरत ने जालसाजी कर, तहसील कर्मियों को मिलाकर गाटा संख्या–347 रकबा 0.25 डि० मि० अपने नाम करा लिया था ।

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक/विभागीय कार्यवाही हेतु परगनाधिकारी चौरी-चौरा को निर्देश उप-संचालक चकबन्दी के आदेशों में निहित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला वाराणसी के गांव हरिनाथपुर परगना पन्द्रह तह० व जिला वाराणसी में चकरोड़ गाटा संख्या–319 को कतिपय व्यक्तियों द्वारा अवैध ढंग से जोतने और अपने चक में मिलाने की शिकायत

36–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकरोड गाटा संख्या 319 गांव हरिनाथपुर परगना पन्द्रह तह० व जिला वाराणसी को मौके पर कुछ लोगों ने अपने चकों में मिला कर जोत लिया है? क्या पूरा भटवापुर, हरिनाथपुर बस्ती में जाने का एक मात्र इस चकरोड के बारे में 28-9-92 को परगना हाकिम उत्तरी वाराणसी के यहां एक प्रार्थना-पत्र उक्त गांव के अनेक व्यक्तियों ने दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर चकरोड को अलग कराने की कृपा करेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न में इंगित प्रार्थना-पत्र दिनांक–28-10-92 का है ।

जांचोपरान्त चकमार्ग अभिलेखों के अनुसार मौके पर अलग पाया गया ।

नवसृजित जनपद महराजगंज के कलेक्ट्रेट अधिष्ठान नजारत की गयी चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियों में अनियमितता की शिकायत

37–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि नवसृजित जनपद महराजगंज के कलेक्ट्रेट अधिष्ठान, नजारत के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की जो नियुक्ति वर्ष 1991-92 में की गयी है, वह सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं की गयी है यदि हां, तो अनियमित नियुक्ति के विरुद्ध प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ महराजगंज के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 23-6-93 को शासन में शिकायती पत्र भेजा गया है ? जिस पर राजस्व परिषद् द्वारा अपने अर्द्धशासकीय पत्र सं० 8540/12-1(44)/91 बी० दिनांक 27 सितम्बर, 1993 द्वारा जिलाधिकारी महराजगंज से व्यक्तिगत जानकारी मांगी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इसके बावजूद भी रिक्त पदों पर बिना प्रचार/प्रसार के ही नियुक्तियां की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध नियुक्तियों को निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

नवसृजित जनपद महराजगंज के कलेक्ट्रेट अधिष्ठान नजारत के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की जो नियुक्ति वर्ष 1991-92 में की गयी वह सक्षम अधिकारी द्वारा की गयी है ।

नियुक्ति अनियमित नहीं है । प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के पत्र दिनांक 23-6-93 पर जिलाधिकारी की आख्या प्रतीक्षित है ।

जी नहीं । कोई नियुक्ति नहीं की जा रही है ।

क्योंकि नियुक्तियां अवैध नहीं हैं इसलिये निरस्त करने का औचित्य नहीं है ।

प्रदेश में केयर तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं द्वारा निःशुल्क पोषाहार की आपूर्ति का विवरण

38–श्री मित्रसेन यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में 61 परियोजनायें केयर तथा 49 परियोजनायें विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित हैं ? क्या इन परियोजनाओं में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से निःशुल्क पोषाहार की आपूर्ति होती है ? यदि हां, तो क्या वर्तमान समय में इन परियोजनाओं में पोषाहार की आपूर्ति लिये जाने के कारण राज्य सरकार को निःशुल्क प्राप्त होने वाले करोड़ों रुपये के पोषाहार से वंचित होना पड़ा है ? यदि हां, तो क्या इस योजना पर होने वाले करोड़ों रुपये का व्यय-भार राज्य सरकार को वहन करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो इतनी बड़ी वित्तीय हानि के लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है ? क्या सरकार उक्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

जी हां, राज्य में 63 परियोजनायें केयर योजना के अन्तर्गत तथा 49 परियोजनायें विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित हैं ।

जी हां । इन परियोजनाओं में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से निःशुल्क पोषाहार की आपूर्ति होती है । उक्त पोषाहार, विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सोया फोर्टिफाइड बल्गर व्हीट तथा सोया सलाद तेल एवं

केयर योजना के अन्तर्गत कार्य सोया ब्लैण्ड तथा सोया सलाद तेल के रूप में होता है किन्तु पोषाहार की आपूर्ति काफी अनियमित रहीं, उदाहरण के तौर पर विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 में बल्गर व्हीट बिल्कुल ही प्राप्त नहीं हुआ तथा मात्र 99.996 एम० टी० सोया सलाद आयल की ही आपूर्ति हुई । केयर योजना के अन्तर्गत भी इस वर्ष पोषाहार आपूर्ति में लगभग 3 माह का व्यवधान रहा । उक्त पोषाहार निःशुल्क अवश्य है परन्तु वह खाने योग्य तैयार स्थिति में नहीं होता तथा राज्य सरकार की मद में ईंधन तथा चीनी/नमक आदि अन्य खाद्य पदार्थों की व्यवस्था के उपरान्त पूर्व में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण कर खाने योग्य बनाकर, वितरित किया जाता था । स्थानीय स्तर पर इन मिश्रित किये जाने वाले खाद्य पदार्थों की व्यवस्था में जनपदों से कई प्रकार की अनियमितताओं की सूचना प्रायः आती रहती थी । इस कारण उक्त प्रसंस्करण का दायित्व मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज इण्डिया लि० नई दिल्ली (भारत सरकार का उपक्रम) को सौंपा गया है तथा केवल प्रसंस्करण व्यय ही मार्डन फूड इंडस्ट्रीज को भुगतान किया जा रहा है । अन्य व्यय जैसे उक्त पोषाहार का परिवहन (कलकत्ता स्थित क्लीयरिंग एण्ड फारवर्डिंग एजेण्ट के गोदाम से ईंधन, चीनी/नमक आदि मिश्रित खाद्य पदार्थों पर व्यय वर्तमान में भी राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जा रहा है । इस प्रकार राज्य सरकार को निःशुल्क प्राप्त होने वाले पोषाहार से वंचित रहने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है तथा तदनुसार ही किसी प्रकार की कोई वित्तीय हानि नहीं हो रही है । अतएव इसके लिये किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित बाल विकास परियोजना के लिये 1000 मी० टन गेहूं उपलब्ध कराया जाना

39–श्री मित्रसेन यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्व खाद्य कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत संचालित बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत पोषाहार आपूर्ति हेतु भारत सरकार से निःशुल्क प्राप्त 1000 एम० टी० गेहूं मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज को दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त गेहूं मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज को दिये जाने हेतु भारत सरकार की अनुमति प्राप्त की गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त योजना में विलम्ब के लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राज बहादुर–

जी नहीं । विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित बाल विकास परियोजनाओं के लिये विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा 1000 मी० टन गेहूं उपलब्ध कराया गया था न कि भारत सरकार द्वारा विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा उक्त गेहूं निःशुल्क इस कारण से उपलब्ध कराया गया था क्योंकि उनके द्वारा सोंया फोर्टीफाइड बल्गर व्हीट की आपूर्ति नहीं गयी थी तथा विकल्प के रूप में उक्त गेहूं उपलब्ध कराया गया था ।

जी हां । विश्व खाद्य कार्यक्रम से प्राप्त उपरोक्त गेहूं उनकी सहमति से मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज लि० को उपलब्ध कराया गया है । इस गेहूं अवमुक्ति से संबंधित विश्व खाद्य कार्यक्रम के पत्र दिनांक 29 अक्टूबर, 1993 का पृष्ठांकन संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल कल्याण भारत सरकार को भी है जिससे यह स्पष्ट है कि भारत सरकार इस आवंटन से सहमत है अतएव किसी प्रकार की अन्य अनुमति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उक्त गेहूं भारतीय खाद्य निगम लखनऊ द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 93 को विभाग को उठाने के लिये अधिकृत किया गया था तथा इस तिथि के पश्चात् दिनांक 8 दिसम्बर, 93 को ही भारतीय खाद्य निगम, हापुड़ शाखा को उक्त गेहूं अवमुक्त करने के संबंध में निर्देशित किया गया तथा इसके तीन सप्ताह के अन्दर ही उपरोक्त गेहूं उठा लिया गया। अतएव इस संबंध में किसी प्रकार का कोई विलम्ब नहीं हुआ तथा इसके लिये किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के अन्तर्गत मुख्यालय/जनपद/परियोजना स्तर पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति देने की मांग

40–श्री मित्रसेन यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के अन्तर्गत मुख्यालय/जनपद/परियोजना स्तर पर कुल कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हाई स्कूल उत्तीर्ण, जो पांच वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत हैं ? क्या शासनादेश के अनुसार 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति तृतीय श्रेणी में की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक उनकी प्रोन्नति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

मुख्यालय/जनपद एवं परियोजना स्तर पर 29 ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूचना है जो पांच वर्ष अथवा अधिक समय से कार्यरत हैं तथा हाईस्कूल उत्तीर्ण हैं।

जी नहीं। क्योंकि ऐसे समस्त कर्मचारी समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी हैं तथा इस विभाग में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के अन्तर्गत मुख्यालय/जिला/परियोजना स्तर पर कार्यरत सहायकों के अतिरिक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने की जानकारी

41–श्री मित्रसेन यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के अन्तर्गत मुख्यालय/जिला/परियोजना स्तर पर कुल कितने वरिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ सहायक/कार्यालय अधीक्षक के पद कब से रिक्त हैं ? उक्त रिक्त पदों पर नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ? क्या उक्त पदों पर पदोन्नतियों द्वारा नियुक्तियां की जानी है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त पदोन्नतियां न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राज बहादुर–

निदेशालय/जिला एवं परियोजना स्तर पर इस निदेशालय के गठन वर्ष 1988 से रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :–

क्रम सं०	मु०	जि०	परि०
व० लिपिक	—	21	9
व० सहायक	1	—	139
का० अधीक्षक	—	14	—

प्रश्नगत पद प्रोन्नति से भरे जाने हैं किन्तु इस विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारी समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी हैं तथा इस विभाग में प्रतिनियुक्ति पर हैं । अतः उन्हें प्रोन्नत किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय में कार्यरत कर्मचारियों के कथित कन्वेंस के भुगतान में की गई शिथिलता के संदर्भ में अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति की गई कार्यवाही की जानकारी

42–श्री मित्रसेन यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय में कार्यरत कर्मचारियों को वर्ष 1991-92 में रु० 1.06 लाख के कन्वेन्स बाउचर भुगतान हेतु स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उन बाउचरों का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि उसमे से रु० 43,000 के एक बिल पर कोषागार द्वारा भुगतान आदेश पारित होने के बाद भी आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का आहरण नहीं किया गया है जो कि लैप्स हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी के वेतन से वांछित धनराशि की वसूली करके संबंधित कर्मचारियों को भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

केवल रु० 89,515.00 के कन्वेन्स बाउचर भुगतान हेतु स्वीकृत किये गये थे न कि रुपया 1.06 लाख के ।

जी नहीं ।

उक्त धनराशि की स्वीकृत दिनांक 31-3-92 को विलम्ब से प्राप्त हुयी । इस कारण बिल कोषागार में भुगतान हेतु विलम्ब से प्रस्तुत किये गये । एक बिल रु० 43.06.00 का कोषागार द्वारा पारित कर दिया गया । इसका भुगतान उप कोषागार लखनऊ से होना था परन्तु कैशियर ने उप कोषागार से भुगतान प्राप्त नहीं किया जिसके लिये उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गयी है । शेष चार बिल रुपया 46,454.00 के कोषागार में दिनांक 31-3-92 को रात 12 बजे प्रस्तुत किये जाने के कारण प्राप्त नहीं किये गये ।

जी हां ।

जी नहीं । दोषी कर्मचारियों को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि इस आशय की दी जा चुकी है । आहरण एवं वितरण अधिकारी को भी चेतावनी दी गयी है । संबंधित कर्मचारियों को भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जा रहा है ।

ऊपर स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

दोषी अधिकारी/कर्मचारियों को चेतावनी/प्रतिकूल प्रविष्टि दी जा चुकी है । भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जा रहा है ।

मिर्जापुर जनपद/अन्य नगरीय क्षेत्रों में कार्यरत लेखपालों के तैनाती के संबंध में कथित आदेश के पालन की जानकारी

43–डा० सरजीत सिंह डंग, श्री शिव प्रताप शुक्ल तथा श्री सुधीर कुमार बालियान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरीय क्षेत्रों में कार्यरत लेखपालों की तैनाती के संदर्भ में कोई आदेश दिनांक 9 मई, 1992 को जिलाधिकारियों को दिया गया है ? यदि हां, तो क्या जनपद मिर्जापुर में कार्यरत लेखपालों के संदर्भ में उक्त आदेश का पालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त आदेश का पालन वहां पर कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपदों के शहरी क्षेत्र में तैनात लेखपालों के स्थानान्तरण तथा उनके कार्य के पर्यवेक्षण के संबंध में दिनांक 9 मई, 1992 को कोई आदेश जारी नहीं किया गया है अपितु शासनादेश संख्या 2879(1)/1-9-92-8-1(13)/92 दिनांक 1 मई, 1992 जिलाधिकारियों को भेजा गया है ।

उक्त शासनादेश दिनांक 1 मई, 1992 का पालन जनपद मिर्जापुर में किया जा रहा है ।

उक्त के क्रम में संबंधित नहीं ।

जनपद अल्मोड़ा में पश्चिमी अल्मोड़ा वन प्रभाग के अन्तर्गत रानीखेत रेंज के जागदेव ब्लाक के लाट नं० 13/70/71 में संबंधित ठेकेदार द्वारा देवदार वृक्षों की अवैध कटाई की सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच

44–श्री बची सिंह रावत–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1970-71 में जनपद अल्मोड़ा के पश्चिमी अल्मोड़ा वन प्रभाग में रानीखेत रेंज के जागदेव वीट से लौट नं० 13 में बिना छपान कराये वन विभाग के अधिकारियों द्वारा हरे देवदार के 7-8 फिट गोलाई के 494 वृक्षों का अवैध कटान किया गया था ? जिसमें विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही भी हुई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस अवैध कटान की कोई उच्च स्तरीय जांच करा ली गई है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि कार्यवाही अब तक नहीं कराई गई है, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

वर्ष 1970-71 में पश्चिमी अल्मोड़ा वन प्रभाग के अन्तर्गत रानी खेत रेंज के जागदेव ब्लाक के लाट संख्या–13/70-71 में संबंधित ठेकेदार द्वारा 80 देवदार के वृक्षों का अवैध पातन किया गया था जिसकी जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा कराई गई थी और दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा चुकी है ।

जनपद उन्नाव के ग्राम गोमापुर तहसील पुरवा की भूमि संख्या 579 पर दबंग व्यक्ति के द्वारा किये गये अवैध कब्जे से खाली कराने की मांग

45–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या राजस्व मंत्री के संज्ञान में है कि ग्राम गोमापुर, तहसील पुरवा, जनपद उन्नाव की भूमि नम्बर 579 जिसके मालिक गंगा प्रसाद पुत्र अंगनू हैं और अनुसूचित जाति के हैं, समस्त अभिलेख रेवेन्यू इन्हीं के नाम हैं ? क्या उक्त भूमि पर दबंग व्यक्तियों का अनधिकृत कब्जा है तथा उक्त दलित श्री गंगा प्रसाद को भूमि दिलाने की कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां । प्रश्नगत भूमि के मालिक श्री गंगा प्रसाद पुत्र अंगनू हैं, जो पिछड़ी जाति के हैं । राजस्व अभिलेखों में श्री गंगा प्रसाद का नाम वर्ग 1-क (क) संक्रमणीय भूमिधर अंकित है ।

उक्त भूमि पर श्री गनेश पुत्र मोहन लाल निवासी धन्नीखेड़ा उन्नाव का कब्जा है चूंकि श्री गंगा प्रसाद ग्राम में नहीं रहते हैं तथा विवाद पारिवारिक है अतः प्रशासनिक आदेशों द्वारा कब्जा खाली कराना सम्भव नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड पुरवा ग्राम कोड़रा में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा वर्ष 1992 में आवंटित भूमि पर कब्जे दिये जाने की मांग

46–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड पुरवा के ग्राम कोड़रा में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा वर्ष 1992 में 70 आवंटियों को भूमि आवंटित की गई ? क्या सभी पट्टे परगनाधिकारी द्वारा अनुमोदित हैं ? क्या आवंटियों को कब्जा अब तक नहीं मिला है ? यदि हां,तो क्या कब्जा आवंटियों को दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

जी हां ।

सभी आवंटियों को कब्जा दिया जा चुका है ।

जिला वाराणसी परगना मसवार के गांव बूड़ापुर में भूमि आवंटन प्रस्ताव होने के बाद पट्टा न दिये जाने की शिकायत

47–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बूड़ापुर परगना मसवार सरकारी तह० व जिला वाराणसी ने 22 व्यक्तियों को 18-12-93 को कृषि कार्य हेतु प्रस्ताव पास करके तहसीलदार वाराणसी से स्वीकृत कर पट्टा देने हेतु भेज दिया है ? यदि हां, तो क्या अब तक पट्टा की कार्यवाही पूर्ण कर दी गयी ? यदि नहीं, तो पट्टा कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री बाबू राम यादव–

भूमि आवंटन के संबंध में प्रस्ताव हुआ है, किन्तु अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत न किये जाने के कारण कोई कार्यवाही सम्पन्न नहीं की गई है ।

जनपद हरदोई के बन्दोबस्त अधिकारी श्री पी० डी० वर्मा द्वारा अपनी कार्यावधि के दौरान लेखपालों, चपरासियों की गई नियुक्तियों की जांच

48–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई के बन्दोबस्त अधिकारी श्री पी० डी० वर्मा द्वारा अपनी कार्यावधि के दौरान लेखपाल और चपरासी पदों पर कितनी नियुक्तियां की गईं ? क्या यह नियुक्तियां शासन की नीति का उल्लंघन करके की गईं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

श्री पी० डी० वर्मा, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, हरदोई ने 4-7-92 से अब तक तीन लेखपाल (एक मृतक आश्रित तथा दो प्रशिक्षित लेखपाल) तथा तीन चपरासियों (मृतक आश्रित) की नियमित नियुक्तियां चकबंदी निदेशालय द्वारा भेजे गये निर्देशों के अनुपालन में की। उक्त के अतिरिक्त कार्यहित में नितान्त अल्पकालिक व्यवस्था में 17 लेखपालों तथा 10 चपरासियों की 89-90 दिनों की नियुक्तियां की गई जो समयावधि समाप्त होने पर समाप्त कर दी गयी। वर्तमान में अल्पकालिक अवधि में कोई लेखपाल अथवा चपरासी कार्यरत नहीं है।

प्रकरण परीक्षणाधीन है।

चकबन्दी आयुक्त को निर्देशित कर दिया गया है कि प्रकरण की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करें।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई की ग्राम सभा बेनीगंज, तहसील सण्डीला की ग्राम समाज की भूमि पर प्रधान एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की सांठगांठ से अनधिकृत कब्जा

49–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला की ग्राम सभा बेनीगंज में ग्राम समाज की करोड़ों रुपये मूल्य की भूमि पर प्रधान एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की सांठगांठ से अनधिकृत कब्जा किये जाने का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला उन्नाव की तहसील पुरवा के अन्तर्गत अग्निकाण्ड से प्रभावित गांवों में पीड़ित परिवारों को सरकार द्वारा दी गयी सहायता न प्राप्त होने की शिकायत

50–श्री हृदय नारायण–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1992 में उन्नाव जिले की पुरवा तहसील में कितने ग्रामों में अग्निकाण्ड से कुल कितने घर 50 प्रतिशत से ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए थे ? 50 प्रतिशत से ज्यादा जले हुए घरों के कितने परिवारों को सहायता दी जा चुकी है ? जिन्हें अभी तक सहायता नहीं दी गयी उन्हें कब तक सहायता दी जायेगी ? क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि कुटी बीमा योजना के अन्तर्गत प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के ग्राम असरेंदा में हुए अग्निकाण्ड के पीड़ितों को और सहायता दिलाये जाने के प्रस्ताव थे ? यदि हां, तो इतनी लम्बी अवधि तक उक्त राहत न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बाबू राम यादव–

वित्तीय वर्ष 1992-93 में उन्नाव जिले की तहसील पुरवा के 242 ग्रामों में अग्निकाण्ड से 271 घर 50 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त हुए।

50 प्रतिशत से ज्यादा जले हुए घरों के 353 पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। कोई भी पात्र परिवार सहायता पाने को शेष नहीं है।

ग्राम असरेंदा के अग्निकाण्ड पीड़ितों को कुटी बीमा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित करने के लिये 94 कुटी बीमा दावे बीमा कम्पनी को भेजे गये हैं। बीमा कम्पनी से दावों की भुगतान हेतु राशि उपलब्ध होने पर लाभार्थियों को वितरित की जायेगी।

जनपद आजमगढ़ की ग्राम सभा दाम महुला तहसील सगड़ी में आराजी नं० 768 में वन विभाग द्वारा लगाये गये वृक्षों की अवैध कटाई के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी

51–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा दाम महुला तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ में ग्राम सभा द्वारा वन विभाग की आराजी नं० 768 में पेड़ लगाने के लिये कोई प्रस्ताव किया गया था ? यदि हां, तो आ० नं० 768 में कितने पेड़ वन विभाग द्वारा लगाये गये थे ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जो पेड़ गांव सभा दाममहुला में लगाये गये थे क्या उन्हें काट दिया गया है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां।

आराजी नं० 768 में वन विभाग द्वारा वर्ष 1989 में कुल 450 पौधे लगाये गये थे।

उक्त 450 पौधों में से 332 पौधे कुछ ग्राम वासियों द्वारा काट दिये गये हैं।

दोषी व्यक्तियों से क्षति की वसूली की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

52–श्री जगवीर सिंह–

[6ठें बुध में अता० प्र० सं० 164 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला अलीगढ़ की तहसील खैर के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश–हरियाणा के कतिपय सीमावर्ती ग्रामों का अभिलेख समझौते के अनुसार ठीक कराने की मांग

53–श्री जगवीर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश हरियाणा सीमा विवाद हल हो गया है ? क्या राजस्व संबंधी भूलेख पत्र अभी अद्यावधिक नहीं हुए हैं जिसके कारण दोनों ओर के कृषकों में विवाद होते रहते हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सीमावर्ती ग्राम घरबड़ा, समसपुर, लालपुर, रैयदपुर, शेरपुर ऊंटा एवं मालव तह० कौर, जिला अलीगढ़ के अभिलेख कब तक ठीक करा दिये जायेंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं।

जी हां। भू-सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियायें कराने हेतु नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

अभिलेख शीघ्र पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जायेगा।

जनपद अलीगढ़ के ग्राम घरबड़ा, लालपुर, शेरपुर, गिरधरपुर, आदमपुर में चकबन्दी कराने की मांग

54–श्री जगवीर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या 60 प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्रफल पर ग्राम की चकबन्दी कराने की सरकारी नीति है ? क्या जनपद अलीगढ़ के ग्राम घरबड़ा, लालपुर, शेरपुर, गिरधरपुर, आदमपुर में 80 प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्रफल है ? क्या मंत्री जी उक्त गांवों की चकबन्दी करायेंगे यदि हां, तो कब तक ?

श्री बाबूराम यादव–

जी हां । उपयुक्तता के अन्य प्रतिबन्धों में से यह एक मुख्य शर्त है ।

ग्राम लालपुर को छोड़कर ग्राम घरबड़ा, शेरपुर, गिरधरपुर तथा आदमपुर में 80 प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्रफल है ।

जनपद से इन ग्रामों का चकबन्दी कराने का प्रस्ताव सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए प्राप्त होने पर उसके परीक्षणोपरान्त नियमानुसार वैधानिक प्रक्रिया के अन्तर्गत ग्रामों की चकबन्दी प्रक्रियायें प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया जायेगा ।

जिला अलीगढ़ की तहसील खैर ग्राम चमरौठी, पालरमालव, नरवारी, हामदपुर में चकबन्दी में धारा–52 का प्रकाशन न किया जाना

55–श्री जगवीर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि तह० खैर, जिला अलीगढ़ में ग्राम–चमरौठी, पालरमालव, नरवारी, हामदपुर में चकबन्दी चल रही है जिनको 10-10 वर्ष हो गये हैं अभी तक चकबन्दी में धारा 52 का प्रकाशन नहीं हुआ है ? उक्त ग्राम का कब तक गजट हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद अलीगढ़ की तहसील खैर के ग्राम हामिदपुर में चकबन्दी प्रक्रियायें पूर्ण होकर धारा–52 (1) के अन्तर्गत प्रख्यापन दिनांक 25-9-93 को हो चुका है । ग्राम नरवारी में धारा–4(2) के अन्तर्गत प्रकाशन दिनांक 2-7-88, ग्राम सिमरौठी और मालव में धारा–4 (2) के अन्तर्गत प्रकाशन दिनांक 5-11-83 को तथा ग्राम–पालर का धारा–4(2) के अन्तर्गत प्रकाशन दिनांक 25-9-82 को हुआ है । इन ग्रामों में धारा–52(1) के अन्तर्गत प्रकाशन नहीं हुआ है और चकबन्दी प्रक्रियायें चल रही हैं ।

ग्राम–सिमरौठी व पालर के अंतिम अभिलेख तैयार हो चुके हैं । ग्राम मालव व नरवारी में अपीलें व निगरानियां निस्तारण हेतु अवशेष हैं । इन ग्रामों का उपरोक्त एवं अन्य कार्य पूर्ण कराकर धारा–52(1) के प्रकाशन की कार्यवाही शीघ्रता से कराने हेतु चकबन्दी आयुक्त को निदेशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

56–श्री राम आसरे वर्मा–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जिला बस्ती तहसील खलीलाबाद में सीजनल संग्रह अमीनों की नियुक्ति का विवरण

57–श्री बची सिंह रावत–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील खलीलाबाद जिला–बस्ती में सीजनल संग्रह अमीनों के पद पर दिसम्बर, 93 में कौन-कौन कार्यरत थे तथा उनकी तहसील में प्रथम नियुक्ति कब की गयी ? उनमें से जनवरी, 94 से कौन-कौन कार्यरत हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि नये नियुक्त सीजनल अमीनों द्वारा रसीद से जमा तथा जमाकर्ता द्वारा सीधे बैंक में प्रत्येक माह कितना जमा किया गया है ? क्या निकाले गये अमीनों को पुनः शीघ्र नियुक्त कराने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद महराजगंज की ग्राम सभा डोमा खास विकास खण्ड निचलौल के श्री सुरेश कुमार द्वारा फर्जी बैनामा करके बेचने के प्रकरण की जांच एवं फर्जी स्वामियों का नाम काटकर दलितों और मजदूरों को भूमि आवंटित किये जाने की मांग

58–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा डोमा खास विकास खण्ड निचलौल जनपद महराजगंज के श्री सुरेश कुमार ने उ० प्र० भूमि सीमा जोत अधिनियम 60 के लागू होते ही फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर चकबन्दी में 29 बी० का फर्जी मुकदमा स्वतः अपने विरुद्ध चलवाकर फर्जी नामों से करा लिया है और उक्त जमीन को भूमि सीमा जोत अधिनियम से बचने के लिये चकबन्दी द्वारा फर्जी लोगों के नाम करा लिया है और उन्हीं जमीनों को वर्तमान समय में बैनामा द्वारा बेचा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराने एवं फर्जी भूमि स्वामियों का नाम कटवाकर दलितों, मजदूरों को भूमि आवंटित करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बस्ती में मेंहदावल को तहसील बनाने के निर्णय के बाद तहसील संबंधी कार्य शुरू किये जाने की मांग

59–श्री चन्द्र शेखर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेंहदावल जनपद बस्ती जो प्रस्तावित तहसील है, उसका निर्माण किन कारणों से अभी तक शुरू नहीं किया जा सका ? तहसील संबंधी निर्माण कार्य कब तक शुरु हो रहा है ?

श्री बाबू राम यादव–

मेंहदावल को तहसील बनाये जाने के प्रकरण में अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति अभी नहीं प्राप्त हुई है । जब तक नई तहसील सृजित किये जाने का निर्णय नहीं हो जाता तहसील संबंधी निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

60–61–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

[5 वें सोम में अता० प्र० सं० 154-155 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सुल्तानपुर परगना गौरीगंज के ग्राम पूरे लालशाह में किये गये अवैध पट्टों के संदर्भ में की गई शिकायत तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

62–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य राजस्व अधिकारी, सुल्तानपुर, परगनाधिकारी गौरीगंज, कमिश्नर फैजाबाद, अध्यक्ष राजस्व परिषद्, जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को क्रमशः प्राप्त कराया गया रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 10-6-93, 12-8-93 तथा 24-12-93 श्री शीतला प्रसाद व चन्द्रबली तिवारी आदि ग्राम पूरे लालशाह ग्राम सम्भांवा परगना गौरीगंज, जनपद–सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र उनको मिला जो अवैध पट्टों विषयक था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर किन-किन अधिकारियों द्वारा तथा कब जांच की गयी ? शिकायत-पत्र में कितने आरोप थे तथा कितने सत्य पाये गये ? जांच अधिकारी कौन थे तथा कार्यवाही के बाद अंतिम परिणाम क्या निकाला ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ?

जिला सुल्तानपुर में शासन द्वारा प्रश्नकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित पत्रांक अर्ध० प० सं०–वी० 158/1-2/92-रा–2 दिनांक 21 अक्टूबर, 1992 में संदर्भित प्रकरण की जांच कार्यवाही

63–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० गुरुदीप सिंह, संयुक्त सचिव, राजस्व द्वारा प्रश्नकर्ता को प्रेषित (सूचनार्थ) पत्रांक–अर्ध० प० सं०-वी०–158/1-2/92-रा–2 दिनांक 21 अक्टूबर, 1992 में संदर्भित प्रकरण की जांच जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा पूर्ण कर ली गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जांच कार्यवाही को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखीमपुर खीरी के क्षेत्र पलिया को जिला बनाने के प्रस्ताव को गठित समिति को सुपुर्द किया जाना

64–श्री निरवेन्द्र कुमार "मुन्ना"–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–लखीमपुर खीरी के क्षेत्र पलिया को जिला बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त संबंध में प्रश्नकर्ता का एक पत्र संख्या 37/वी० आई० पी०/94 राज्य मंत्री पंचायती राज द्वारा अग्रसारित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बाबू राम यादव–

मा० विधायक का कथित पत्र प्राप्त हुआ है । सुझाव को मा० अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित समिति को संदर्भित किया गया है ।

जनपद महराजगंज, ग्राम सभा भगवानपुर, विकास खण्ड निचलौल में अतिरिक्त भूमि यादव निधि पुत्र श्री धननिधि को घोषित करने के बावजूद भी विभाग द्वारा फर्जी बैनामा करके बेचने की शिकायत

65–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा भगवानपुर, विकास खण्ड निचलौल, जनपद महराजगंज में उ० प्र० अधिकतम जोत सीमा अधिनियम 60 के अन्तर्गत खाता सं० 376–11 एकइ 72 डिसमिल अतिरिक्त भूमि यादव निधि पुत्र श्री धनानिधि को घोषित की गयी थी ? उक्त भूमि के विरुद्ध भूमि स्वामी ने मण्डलायुक्त के यहां वाद दाखिल किया था ? क्या न्यायालय ने वाद खारिज करके अतिरिक्त भूमि घोषित किया है ? उसके पश्चात् भी विभाग द्वारा अवैध रूप से यादव निधि के तीन एकइ भूमि को बैनामा द्वारा बेच दिया है ? क्या शेष भूमि को भी बेचने की तैयारी की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि को क्रेताओं से वापस कराकर दलितों में भूमि आवंटन कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद महराजगंज के कतिपय फार्म होल्डरों की अतिरिक्त भूमि का मामला न्यायालय के विचाराधीन

66–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद महराजगंज के अन्तर्गत बड़े-बड़े फार्म होल्डरों की भूमि उत्तर प्रदेश अधिकतम भूमि जोत सीमा 60 के अन्तर्गत सरकार द्वारा अतिरिक्त भूमि घोषित कर ग्राम सभा खेसरहा, ओडवलिया, गिरहियां, डोमा, एहतमाली, बढ़ेयां, चरगहां, भमौरी, चमइनयां फार्म, सबयां, अमडीहां, पकड़ीचौबे, भगवानपुर, लेदी भेडिदारी आदि की गई थी ? उक्त अतिरिक्त भूमि पर भू-स्वामी द्वारा वर्ष 1987 से लेकर वर्ष 1993 तक मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, मण्डलायुक्त, गोरखपुर, जिलाधिकारी, महराजगंज आदि न्यायालयों में सरकार के विरुद्ध मुकदमा दाखिल करके स्थगन आदेश लेकर भूमि बचाने की कार्यवाही कर रखी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त न्यायालयों में दाखिल वाद के विरुद्ध भूमि वापस लेने के लिये कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो आज तक मुकदमें की पैरवी में शिथिलता बरतने का कारण क्या है ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में अनुसूचित जाति के लिये स्कूल खोले जाने हेतु डा० भीमराव अम्बेडकर कमेटी बनाकर धन कमाने की शिकायत

67–श्री अफजाल अंसारी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में अनु० जाति के लोगों के लिये बेसिक स्कूल तथा डा० भीमराव अम्बेडकर कमेटियां बनाकर स्कूल खोलकर कुछ लोगों ने इससे पैसा कमाने का साधन बना लिया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि अनु० जाति के नाम से स्कूल खोलने हेतु जो मैनेजिंग कमेटियां बनायी गयी हैं और जो स्कूल में स्टाफ रखे गये हैं उनमें सही मायने में कितने प्रतिशत अनु० जाति को भागीदारी दी गयी है ? क्या मंत्री

जी इस प्रकरण की सघन जांच कराकर गैरकानूनी कमेटियों द्वारा संचालित स्कूलों को बन्द कराने की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

प्रश्न अस्पष्ट है । स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं को शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है तथा इस प्रकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से स्थायी या अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को, जिनका संचालन 10 वर्ष या अधिक अवधि से निरन्तर हो रहा हो तथा संस्था में पढ़ रहे बच्चों में से कम से कम 50 प्रतिशत बच्चे अनुसूचित जाति/जनजाति के हों व संस्थाएं वर्ष 83-94 तक अनावर्तक आधार पर अनुदान प्राप्त कर रही थीं, केवल उन्हीं में से चयनित संस्थाओं को 40 बच्चों पर एक अध्यापक के मानक तथा 20 अतिरिक्त बच्चे होने पर एक अतिरिक्त अध्यापक के मानक के आधार पर चयनित संस्थाओं को अध्यापकों के वेतन हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक अनुदान दिया जाता है ।

यदि आवर्तक अनुदान प्राप्त कर रहे किसी विद्यालय के विरुद्ध किसी प्रकार की अनियमितता का प्रकरण प्रकाश में आता है तो विद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है ।

फतेहपुर जिले की भांट जाति को पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में शामिल किये जाने की मांग

68–श्री महेन्द्र प्रताप नारायन सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या फतेहपुर जिले की भांट जाति विमुक्त जाति की सूची में सम्मिलित है ? यदि हां, तो उसे इस श्रेणी में क्या सुविधायें प्राप्त हैं ? क्या सेवाओं में भी "भांट" जाति को आरक्षण प्राप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार "भांट" जाति को पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने पर विचार करेगी ?

श्री राज बहादुर–

जी हां ।

सभी को छात्रवृत्ति तथा आवास एवं कुटीर उद्योग के लिये अनुरक्षण की सुविधा अनुमन्य है ।

जी नहीं ।

ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है ।

जिला गोरखपुर की पटनवार जाति को पिछड़ी जाति में शामिल किये जाने की मांग

69–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के कुछ जिलों में कुर्मी जाति के लोग जो पटनवार जाति के नाम से जाने जाते हैं, को पिछड़ी जाति की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है किन्तु मण्डल गोरखपुर के पटनवार जो वस्तुतः कुर्मी जाति के हैं, उनको पिछड़ी जाति में नहीं शामिल किया गया है ? क्या सरकार कुर्मी जाति में आने वाले उन पटनवार को भी पिछड़ी जाति की श्रेणी में तत्काल लेने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

प्रदेश में पिछड़ी जातियों विषयक जारी शासनादेश दिनांक 10-7-86 के क्रम संख्या–24 पर कुर्मी जाति की पिछड़ी जाति में शामिल किया गया है। पिछड़े वर्ग की सूची में अपेक्षित समावेश अथवा निष्कासित करने एवं तत्संबंधी शिकायतों पर सम्यक् रूप से विचार कर संस्तुति देने हेतु प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है। तद्नुसार इस प्रकरण को भी उक्त आयोग के परीक्षण हेतु भेज दिया गया है।

70–श्री लाल बहादुर सिंह–

[6ठे गुरु के लिये स्थगित]

जनपद सिद्धार्थनगर में राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदियों के तटबन्ध पर बसे गांवों की सुरक्षा व्यवस्था

71–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदियों के तटबन्धों के बाहर बसे हुए गांवों को सरकार बन्धे के अन्दर जमीन देकर बसायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकार उन गांवों की बाढ़ से सुरक्षा का प्रबन्ध करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्नगत गांवों के तटबन्धों के बाहर सुरक्षित होने के कारण बाढ़ से सुरक्षा के प्रबन्ध का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

राजस्व परिषद् द्वारा जारी परिषदादेश के तहत संग्रह अमीनों और चपरासियों की कोटि क्रम सूचियों के प्रकाशन की मांग

72–श्री मारकण्डेय सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कि राजस्व परिषद् द्वारा जारी परिषदादेश संख्या–8542/2संग्रह–41बी/68, दिनांक 30-4-78 के तहत संग्रह अमीनों और चपरासियों की कोटि क्रम सूचियों का प्रकाशन हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसका प्रकाशन भविष्य में कब तक करा दिया जायेगा ? क्या अब तक प्रकाशित न करने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों को सरकार दण्डित करेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

संग्रह अमीन से नायब तहसीलदार पद पर प्रोन्नति किये जाने वाली सूची को प्रकाशित करने की मांग

73–श्री मारकण्डेय सिंह–

क्या राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि संग्रह अमीनों से नायब तहसीलदार पद पर प्रोन्नति हेतु राजस्व परिषद् उ० प्र० द्वारा बनायी जाने वाली सूची का प्रकाशन सन् 1990 के बाद नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? ऐसा न करने वाले दोषी अधिकारियों को क्या सरकार दण्डित करेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

नायब तहसीलदार पर पदोन्नति हेतु राजस्व संग्रह अमीनों की राज्य स्तरीय पात्रता सूची जनपदों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर तैयार की जाती है । राजस्व परिषद् द्वारा पात्रता सूची का प्रकाशन सन् 1990 में कराया गया था और आपत्तियां आमंत्रित की गयी थीं । विभिन्न जनपदों से प्राप्त सूचनाओं में त्रुटियां होने के कारण उनका परीक्षण किया जा रहा है और इसके लिये जनपदों को लिखा गया है । जनपदों से प्राप्त हो रही सूचना का संकलन/परीक्षण कर सूची में संशोधन किये जा रहे है । आपत्तियों के निराकरणोपरान्त सूची को अन्तिम रूप देकर प्रकाशन की कार्यवाही की जायगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिलाधिकारी कार्यालय महराजगंज में विभिन्न श्रेणी में कार्यरत कर्मचारियों की सूची एवं चयनित कर्मचारियों में नियुक्ति/प्रोन्नति में आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

74–श्री चन्द्र किशोर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधिकारी कार्यालय, महराजंगज, कलेक्ट्रेट में विभिन्न श्रेणी के कितने-कितने पद विद्यमान हैं और उनमें से प्रत्येक श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की नियुक्ति/प्रोन्नतियों में प्रतिनिधित्व की संख्या/प्रतिशत कितना है ? यदि प्रतिनिधित्व कम है, तो इसे पूर्ण करने की दिशा में राष्ट्रीय एकीकरण/कार्मिक विभाग द्वारा जारी शासनादेश में निर्धारित रोस्टर के अनुसार कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

कलेक्ट्रेट महराजगंज में विभिन्न श्रेणी के विद्यमान पदों तथा उनमें प्रतिनिधित्व की स्थिति निम्नवत है :—

समूह का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत कर्मचारी	अनुसूचित जाति के कर्मचा० की सं०	अनुसूचित जनजाति, के कर्मचा० की सं०	प्रतिशत
ख	1	1	शून्य	शून्य	शून्य
ग	94	80	21	शून्य	25
घ	100	84	15	शून्य	15

समूह "घ" में अनुसूचित जाति/जनजाति का कोटा पूर्ण नहीं है जिसके लिये चयन समिति गठित की गयी थी परन्तु शासनादेश संख्या–2875/1-3/93–रा०–3, दिनांक 10-12-93 तथा परिषदादेश संख्या–1316/12/214बी–93, दिनांक 18 जनवरी, 1994 के अन्तर्गत किसी भी वर्ग में कोई नियुक्ति न किये जाने के निर्देश के कारण चयन की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी है ।

उक्त के क्रम में सम्बन्धित नहीं ।

जिला उन्नाव में वित्तीय वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93 में दी गयी विकलांग व्यक्तियों हेतु पेंशन आदि के लम्बित प्रकरण पर कार्यवाही किये जाने की मांग

75–श्री बाबू लाल कुरील–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में वित्तीय वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93 व 1992-93 के प्रतिवर्ष के विकलांग व्यक्तियों को पेंशन दिये जाने के मामले लम्बित हैं? उपरोक्त अवधि में अब तक कितने व्यक्तियों को विकलांग पेशन दी जा रही है ? उपरोक्त लम्बित प्रकरणों पर कब तक कार्यवाही पूर्ण करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

वर्ष 1990-91 के 807, वर्ष 1991-92 के 503 तथा वर्ष 1992-93 के 225 मामले लम्बित हैं ।

740 विकलांगों को भरण-पोषण अनुदान दिया जा रहा है ।

1 अप्रैल, 1994 से समस्त पात्र विकलांगों को भरण-पोषण अनुदान दिये जाने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के मोहल्ला दुर्गाप्रसाद में नगर बीसलपुर निवासी श्री राम किशोर पुत्र श्री राम द्वारा अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम से कतिपय राजस्व ग्रामों में जमीन पर अनधिकृत कब्जा/पट्टा कराये जाने के मामले में कार्यवाही करने की मांग

76–श्री राम सरन वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि तहसील बीसलपुर, जनपद पीलीभीत के राजस्व गांव बसारा, उचसिया, शेरगंज धरमगदपुर, खमरिया, नवदिया तथा नगर बीसलपुर के मोहल्ला दुर्गा प्रसाद में नगर बीसलपुर निवासी श्री राम किशोर पुत्र श्री श्रीराम ने अपने तथा अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम से पट्टे करवाकर अथवा अनधिकृत कब्जे करके भूमियों पर कृषि कराकर अथवा निर्माण कर लिया है जिसकी जानकारी परगनाधिकारी एवं प्रभारी न० पा० बीसलपुर श्री बी० एल० यादव को है ? यदि हां, तो अब तक वांछनीय न होने के क्या कारण हैं ? क्या इस हेतु अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

समाज कल्याण विभाग–1 के शासनादेश द्वारा मुख्य परिवीक्षा अधिकारी को प्रदत्त नियुक्ति अधिकारों पर लगी रोक के बावजूद नियुक्ति व स्थानान्तरण किये जाने के प्रकरण की जांच

77–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 1957/26-1-91, दिनांक 25-4-91 के अन्तर्गत मुख्य परिवीक्षा अधिकारी को दिये गये नियुक्ति अधिकारों पर रोक लगायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त शासनादेश जारी होने के बाद मुख्य परिवीक्षा अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की नियुक्ति या स्थानान्तरण किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त शासनादेश जारी होने के बाद

निदेशालय स्तर से निर्देश मण्डल एवं जिला स्तर को दिये गये थे ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मुख्य परिवीक्षा अधिकारी द्वारा की गयी नियुक्तियों की समीक्षात्मक बैठक दिनांक 9-5-91 को निदेशालय पर बुलायी गयी थी, जिसमें प्रदेश के सभी मण्डलीय उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारियों ने भाग लिया था ? यदि हां, तो बैठक के क्या परिणाम रहे ?

श्री राज बहादुर–

जी हां ।

प्रदेश के प्रत्येक जनपदों से सूचना मंगायी गयी है ।

सूचना प्राप्त होने पर स्थिति स्पष्ट होगी ।

जी हां ।

25 अप्रैल, 1991 को ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

बैठक की कार्यवाही उपलब्ध न होने के कारण परिणामों की सूचना दिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

प्रदेश में नये व्यक्तियों को वृद्धा पेंशन एवं विधवा पेंशन स्वीकृत एवं भुगतान किये जाने विषयक जानकारी

78–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नये व्यक्तियों को वृद्धा पेंशन एवं विधवा पेंशन स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो कितने नये पेंशन स्वीकृत किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रदेश के कितने जिलों में एक वर्ष तथा कितने जिलों में छः मास से इन पेंशनों का भुगतान सभी वृद्धा एवं विधवा पेंशनधारियों को नहीं किया गया है ? यदि हां, तो अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री राज बहादुर–

जी हां ।

एक लाख वृद्धों तथा 25,000 निराश्रित विधवाओं के नलीन आवेदन पत्रों पर वृद्धावस्था पेंशन तथा निराश्रित विधवा भरण-पोषण अनुदान सवीकृत करने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(1) वर्ष 92-93 में धन की कमी के कारण प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के समस्त जनपदों में प्रायः विधवा भरण पोषण अनुदान की द्वितीय छः माही अर्थात अक्टूबर, 92 से मार्च, 93 तक का भुगतान तथा छिटपुट मामलों में अप्रैल, 92 से मार्च, 93 का भुगतान लाभार्थियों को नहीं किया जा सका था ।

(2) वृद्धावस्था पेंशन की लम्बित भुगतान की सूचना एकत्र की जा रही है । विधवा भरण-पोषण अनुदान में वर्ष 92-93 की अवशेष देयता की धनराशि तुरन्त भुगतान हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष के माह फरवरी, 94 में उपलब्ध करायी जा चुकी है । वृद्धावस्था पेंशन में भुगतान धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद सुल्तानपुर के अशासकीय जूनियर हाईस्कूल के अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने का मामला

79–श्री तेजभान सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० सरकार द्वारा अशासकीय जू० हा० स्कूल के छात्रों में से जो अनुसूचित जाति के हैं, को शासन/सरकार द्वारा छात्रवृत्ति देने का प्रविधान है ? यदि हां, तो जनपद सुल्तानपुर के कितने अशासकीय जूनयिर हाई स्कूल के अनुसूचित जाति के छात्रों को वर्ष 1991-92, 1992-93 में छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है ? यदि छात्रवृत्ति नहीं दी गयी, ते क्यों ? क्या उक्त जनपद के अशासकीय विद्यालयों के छात्रों ने आवेदन प्रेषित किया था ? क्या संदर्भित जनपद के अशासकीय जू० हाई स्कूल के छात्रों को तत्काल छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

जी हां । शासनोश सं०–3492/26-3-91-4(215)/90, दिनांक 4-10-91 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में कक्षा 6 से 8 में 24 अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने की व्यवस्था है ।

जिलाधिकारी, सुल्तानपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर जनपद सुल्तानपुर में वर्ष 1991-92 में 393 विद्यालयों में जूनियर हाई स्कूलों में अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जिसमें 110 अशासकीय जूनियर हाई स्कूल थे । वर्ष 1992-93 में जूनियर हाईस्कूल की कक्षाओं में अनु० जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई जिसमें 97 अशासकीय जूनियर हाई स्कूल थे ।

निर्धारित मानक के अनुसार छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु धन उपलब्ध न होने के कारण अवशेष विद्यालयों में छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकी ।

जी हां । शासनादेश सं०–3492/26-3-91-4(215)/90, दिनांक 4-10-91 द्वारा छात्रवृत्ति की स्वीकृति तथा वितरण का अधिकार विद्यालय द्वारा गठित चयन समिति को दिया गया है । जिसके फलस्वरूप आवेदन-पत्र विद्यालय पर ही रखे जाते हैं ।

जनपद सुल्तानपुर के अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया की तहसील सदर के ग्राम चकिया लक्ष्मीपुर सरया और वासुदेवपुर एवं विशुनपुर कला टोला महुआरी के निवासियों के निवेदन पर नये ग्राम सभाओं के गठन की जानकारी

80–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के तहसील सदर, देवरिया के ग्राम चकिया लक्ष्मीपुर, सरया और वासुदेवपुर एवं विशुनपुर कला टोला महुआरी के निवासियों का प्रार्थना-पत्र वर्ष 91-92 में नये ग्राम सभा के गठन हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? वहां पर नये गांवों का गठन कब पूरा होगा ?

पंचायती राज मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

जी हां ।

ग्रामवासियों के प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु मूल पत्रादि जिलाधिकारी, को भेज दिये गये थे । वर्तमान में (73वें संविधान संशोधन) अधिनियम 1992 के परिपेक्ष्य में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 को सशोधित किये जाने का कार्य चल रहा है । अतः उससे पूर्व गांव सभाओं के पुनर्गठन का कोई प्रश्न नहीं है ।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के तहसीलदार श्री वंशपाल मौर्य द्वारा अपने घर पर निजी कार्य हेतु चपरासियों को लगाये जाने की शिकायत

81–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी के तहसीलदार, श्री वंश पाल मौर्य अपने निजी घरेलू कार्य के लिये पांच चपरासियों, जिनके नाम क्रमशः श्री भगवती, श्री राम लखन, श्री दयाराम, श्री राजेन्द्र प्रसाद व श्री गुलजार हैं, ड्यूटी लगाये हैं ? यदि हां, तो वह किस व्यवस्था के तहत ड्यूटी ले रहे हैं ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के तहसीलदार श्री वंश पाल मौर्य द्वारा पांच चपरासियों को घरेलू कार्य हेतु ड्यूटी पर लगाये जाने की बात सही नहीं है । ये पांचों चपरासी सामयिक संग्रह चपरासी हैं, जो अपने-अपने सामयिक संग्रह अमीन के साथ वसूली हेतु ड्यूटी पर लगे हैं ।

जनपद इलाहाबाद में जिला परिषद् अध्यक्ष/अपर मुख्य अधिकारी द्वारा न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के अन्तर्गत श्री अरुण कुमार कुशवाहा को नियमित रूप से नियुक्ति प्रदान करने की मांग

82–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देश के बावजूद श्री अरुण कुमार कुशवाहा को पद रिक्त होने पर भी जिला परिषद्, इलाहाबाद के अध्यक्ष/अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नियमित नियुक्ति अब तक क्यों नहीं प्रदान की गई है ? क्या यह सही है कि श्री कुशवाहा ने जिला परिषद्, इलाहाबाद में दिनांक 26-2-1987 से लगातर 21-11-1992 तक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्य किया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि श्री कुशवाहा का भुगतान केवल सितम्बर, 1991 तक का ही किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा–

जिला परिषद्, इलाहाबाद में सीधी भर्ती का कोई पद लिपिक सम्वर्ग में रिक्त न होने के कारण श्री अरुण कुमार कुशवाहा की नियमित नियुक्ति नहीं जा सकी है । मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशों के अनुपालन में श्री कुशवाहा को दिनांक 18-2-94 को दैनिक वेतन पर नियुक्त कर लिया गया है ।

जी हां ।

श्री अरुण कुमार कुशवाहा को सितम्बर, 1991 तक का वेतन भुगतान किया जा चुका है। शेष अवधि के वेतन का शीघ्र भुगतान करने हेतु अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद्, इलाहाबाद को निर्देशित कर दिया गया है।

जनपद सीतापुर तहसील महमूदाबाद की ग्राम सभा कोदौरा के अन्तर्गत गाटा संख्या–524 की भूमि पर अवैध कब्जे की जानकारी

83–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत ग्राम सभा कोदौरा के अन्तर्गत गाटा संख्या 524 ग्राम समाज की भूमि, जिस पर विगत 20 वर्षों से बाजार लगती है, पेड़ व कुआं भी है, का पट्टा ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश ने अपने पुत्र श्री बृजेन्द्र कुमार के नाम से करवा लिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त फर्जी पट्टे को निरस्त किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के ग्राम कोदौरा के गाटा सं० 524 का कोई पट्टा नहीं किया गया है बल्कि परगनाधिकारी महमूदाबाद के न्यायालय में संस्थित वाद सं० 2 अन्तर्गत धारा 161 जमींदारी विनाश अधिनियम बृजेन्द्र कुमार बनाम गांव सभा कोदौरा में पारित आदेश दिनांक 12-3-91 के अन्तर्गत बृजेन्द्र कुमार पुत्र राम प्रकाश को उनकी संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि गाटा सं० 460/0-60 डि० के बदले में विनियमित की गयी है। गाटा सं० 460/0-60 डि० को उक्त आदेश के अन्तर्गत गांव समाज में दर्ज कर दिया गया है।

प्रस्तावित भूखण्ड का कोई पट्टा नहीं किया गया है अतः परगनाधिकारी महमूदाबाद द्वारा जांच किये जाने की आवश्यकता नहीं थी। चूंकि पट्टा किये जाने संबंधी कोई मामला नहीं है अतः इसके निरस्त किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्यालय चकबन्दी आयुक्त तथा अनशनकारी चकबन्दी लेखपालों के बीच हुए समझौते के मुख्य बिन्दुओं की जानकारी

84–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 20-1-93 को मुख्यालय चकबन्दी आयुक्त के यहां अनशनकारी चकबन्दी लेखपालों व चकबन्दी विभाग के मध्य एक समझौता हुआ था ? यदि हां, तो उस समझौते की मुख्य-मुख्य शर्तें क्या थीं ? उन शर्तों के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह भी सत्य है कि समझौते के पैरा 4 में दिनांक 6-12-93 तक समझौते की शर्तें लागू करने का समझौता भी था ? यदि हां, तो क्या उस पर कार्यवाही की गयी ?

श्री बाबू राम यादव–

अभिकथित शिक्षित लेखपालों से प्रश्नगत दिनांक को हुआ समझौता संगत पत्रावली में चकबंदी आयुक्त द्वारा निदेशित, अधिकृत या अनुमोदित नहीं था।

उसमें मुख्य रूप से पूर्व प्रशिक्षित लेखपालों के मामले में सहानभूतिपूर्वक विचार किये जाने व मध्यावधि चुनाव के बाद होने वाली रिक्तियों पर उन्हें वरीयता दिये जाने व यथा आवश्यक कार्यवाही 6-12-93 तक करने के प्रयास किये जाने का उल्लेख है।

चूंकि यह चकबन्दी आयुक्त द्वारा अनुमोदित नहीं था अतः शासन द्वारा विद्यमान नियमों के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निदेश चकबंदी आयुक्त को भेजे जा चुके हैं।

समझौते के प्रस्तर–4 में प्रयास किये जाने का उल्लेख था।

शासन द्वारा विधि संगत कार्यवाही किये जाने के निर्देश भेजे जा चुके हैं।

मृतक आश्रित श्री प्रेम शंकर को जिला पंचायत राज सीतापुर में नियुक्ति की मांग

85–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1990 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–8 के उत्तर के संदर्भ में क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत मामले में क्या मृतक के आश्रित को किसी पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो इस विलम्ब के लिये कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री राम लखन वर्मा–

जी हां।

चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है।

दिनांक 22-3-94 को।

प्रश्न नहीं उठता है।

जिला परिषद् गाजियाबाद द्वारा वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 की अवधि में टेलीफोन पर हुए व्यय की जानकारी

86–श्री प्रेम सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, गाजियाबाद द्वारा वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 में 31 दिसम्बर, 1993 तक टेलीफोन पर कितना रुपया व्यय किया गया ? क्या टेलीफोन के प्रयोग में मितव्ययता संबंधी निर्देशों का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा–

जिला परिषद्, गाजियाबाद में वर्ष 1992-93 में कुल व्यय 31,863/- रु० तथा वर्ष 1993-94 में 31 दिसम्बर, 1993 तक 30,919/- रु० व्यय किया गया।

जी हां। मितव्ययता संबंधी निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला परिषद् गाजियाबाद में वर्ष 1993 में किये गये निलम्बित एवं नकदीकरण प्राप्त कर्मचारियों का विवरण

87–श्री प्रेम सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, गाजियाबाद में दिसम्बर, 1993 में किन-किन कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था ? उक्त कर्मचारियों में से किन-किन के नगदीकरण बिल जनवरी, 1994 में भुगतान हेतु वित्तीय परामर्शदाता के समक्ष प्रस्तुत किये गये और उनमें क्या आपत्ति लगाई गयी थी ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कर्मचारियों पर क्या आरोप थे तथा उन्हें किस आधार पर पुनः किस तिथि को बहाल किया गया ?

श्री राम लखन वर्मा–

दिनांक 28 दिसम्बर, 1993 को श्री देववीर सिंह, कार्यवाहक कार्यालय अधीक्षक व श्री दिनेश पाण्डेय, लेखा लिपिक श्री सहस्रपाल, चपरासी को अध्यक्ष, जिला परिषद् गाजियाबाद द्वारा निलम्बित किया गया था।

उक्त कर्मचारियों में से श्री दिनेश पाण्डेय का नकदीकरण बिल वित्तीय परामर्शदाता को प्रतिहस्ताक्षर हेतु जनवरी मास, 94 में भेजा गया था, जिस पर वित्तीय परामर्शदाता को जानकारी न होने के कारण यह आपत्ति लगायी कि उक्त कर्मचारी निलम्बित है, जबकि उक्त कर्मचारी का निलम्बन आदेश दिनांक 31-12-93 को अध्यक्ष, जिला परिषद् द्वारा वापस ले लिया गया था।

उक्त कर्मचारियों पर यह आरोप लगाया था कि वह अध्यक्ष, जिला परिषद् के बुलाने पर उनके समक्ष नहीं आये। अध्यक्ष, जिला परिषद् के संज्ञान में यह जानकारी लायी गयी कि उक्त कर्मचारी अपर मुख्य अधिकारी के आदेश दिनांक 16-12-93 के क्रम में किराये की वसूली कार्य में गये थे। अध्यक्ष, जिला परिषद्, गाजियाबाद द्वारा वस्तुस्थिति की जानकारी होने पर दिनांक 31-12-93 को निलम्बन आदेश वापस लिये गये थे।

जनपद इलाहाबाद की तहसील मेजा में कतिपय गांवों में जोत/आवासीय पट्टे आवंटन के उपरान्त कब्जा न दिये जाने की शिकायत

88–श्री राज बली जैसल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद तहसील मेजा में विभिन्न गांवों में ऐसे कौन-कौन से लोग हैं जिन्हें जोत/आवासीय पट्टे तो दिये हैं परन्तु कब्जे नहीं दिये गये ? क्या पट्टेदारों को कब्जा दिलाने हेतु शासन कटिबद्ध है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद महराजगंज की ब्लाक महराजगंज मिठौरा घुघली के ग्राम-बिरौची, कोटवा, बिरचा टेढ़वा के ग्राम समाजों में बंजर/परती/कृषि योग्य भूमि को भूमिहीन अनुसूचित जाति/जनजाति में आवंटित किये जाने का मामला

89–श्री चन्द्र किशोर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद महराजगंज के ब्लाक महराजगंज मिठौरा घुघली के ग्राम-बिरैची, कोटवा, बिरचा, टेढ़वा में ग्राम समाज की बंजर/परती/कृषि योग्य कितनी-कितनी भूमि उपलब्ध है ? क्या उपलब्ध भूमि को भूमिहीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में आवंटित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? ग्राम समाज की उपलब्ध भूमि को भूमिहीनों में आवंटित न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद महराजगंज, ब्लाक महराजगंज मिठौरा, घुघली में ग्राम बिरैची कोटवा, टेढ़वा, बिरैचा भुवुनी में उपलब्ध सीलिंग भूमि का अनुसूचित जाति/जनजाति में आवंटन कब्जा देने की मांग

90–श्री चन्द्र किशोर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद महराजगंज के ब्लाक महराजगंज मिठौरा, घुघुली में ग्राम बिरैची, कोटवा, टेढ़वा, बिरैचा, भुवुनी में अलग-अलग सीलिंग की कितनी भूमि उपलब्ध है ? क्या उपलब्ध सीलिंग की भूमि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो कब्जा क्या इन लोगों द्वारा प्राप्त कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड घुघली के अन्तर्गत ग्राम विरैचा, विरैची, भुवनी, कोटवा एवं टेढ़वा पड़ते हैं। इनमें से ग्राम विरैचा, विरैची तथा भुवनी में कोई भूमि अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित नहीं हुई है।

ग्राम कोटवा एवं टेढ़वा में क्रमशः 2.70 एकड़ एवं 3.61 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गयी थी। सरकार के पक्ष में जिसका कब्जा लिया गया तथा भूमि का आवंटन किया गया परन्तु अपील संख्या–425/76 में जिला जज गोरखपुर द्वारा पारित आदेशों के अन्तर्गत भूमि सीलिंग से मुक्त कर दी गयी जिस कारण आवंटियों को कब्जा नहीं दिलाया जा सका।

जिला चमोली में श्री बद्रीनाथ मन्दिर के ठीक सामने स्थित टैक्सी स्टेण्ड के समीप गोशाला हेतु लीज पर दी गयी जमीन पर अनधिकृत कब्जे को हटाने की मांग

91–श्री रविन्द्र पुण्डीर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली स्थित बद्रीनाथ धाम में श्री बद्रीनाथ मन्दिर के ठीक सामने टैक्सी स्टैण्ड के समीप कोई जमीन गोशाला हेतु लगभग 10–15 वर्ष पूर्व लीज पर दी गयी थी ? क्या उक्त भूमि पर अनधिकृत रूप से सात दुकानें बनाकर नाजायज किराया वसूली भी की जा रही है ? यदि हां, तो क्या इस जमीन की लीज निरस्त की जायेगी ? क्या दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं।

वर्तमान में स्थान बद्रीनाथ हिमाच्छादित है। मंदिर के कपाट खुलने के पश्चात् जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

समाज कल्याण निदेशालय में तैनात आशुलिपिक के विरुद्ध आरोप पत्र एवं उसकी जांच रिपोर्ट की जानकारी

92–स्वामी राम स्वरूप शर्मा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय समाज कल्याण के वेतनमान 1400–2300 में तैनात किसी आशुलिपिक ग्रेड प्रथम के विरुद्ध मात्र एक आरोप की जांच हेतु विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को जांच अधिकारी बनाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसी आरोप की जांच पहले तत्कालीन निदेशक एवं नियुक्ति अधिकारी द्वारा कराई जा चुकी थी ? यदि हां, तो विभागाध्यक्ष की जांच के क्या परिणाम रहे ? क्या वर्तमान जांच अधिकारी (विशेष सचिव) द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? क्या वर्तमान निदेशक द्वारा भी इन्हें बहाल करने की संस्तुति की गयी है ? यदि हां, तो उसे बहाल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री राज बहादुर–

जी हां।

शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश के बावजूद निदेशक, समाज कल्याण द्वारा कोई जांच विधिवत् आरोप-पत्र देकर नहीं की गयी तथा उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि जांच शासन स्तर से करा ली जाय।

तत्कालीन निदेशक एवं नियुक्ति अधिकारी द्वारा विधिवत् आरोप-पत्र देकर कोई जांच विभागीय नियमानुसार नहीं की गयी थी।

प्रश्न नहीं उठता।

माह दिसम्बर, 1993 में वर्तमान जांच अधिकारी (विशेष सचिव) द्वारा जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी। विभागीय जांच में निर्णय किसी की संस्तुति के आधार पर नहीं किया जा सकता है। जांच

आख्या का सभी पहलुओं से विधिक दृष्टि से परीक्षणोपरान्त निर्णय लिया जाता है । कथित कर्मचारी के विरुद्ध विभिन्न शिकायतों में से ही आरोप पर जांच आख्या प्राप्त हुई है । शेष अन्य दस मामलों में अभी तक कोई जांच आख्या प्राप्त नहीं हो सकी । अतः उक्त कर्मचारी को बहाल नहीं किया गया ।

जनपद फैजाबाद के समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्माण कराई जा रही दुकान के संबंध में की गयी अनियमितता के संदर्भ में श्री रामवरन पुत्र बिहारी का आरोप पत्र तथा जांच की मांग

93–श्री मोहम्मद अरशद खान–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रामवरन पुत्र बिहारी अनुसूचित जाति (पासी) निवासी ग्राम रेवना, विकास खण्ड–हरिंग्टनगंज, जनपद फैजाबाद ने समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1992-93 में निर्माण कराई जा रही दुकान के संबंध में श्री हरिवंश सिह, ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण) द्वारा की गयी अनियमितता की जांच हेतु अपर जिला अधिकारी को दिनांक 13-9-93 को प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया था ? यदि हां, तो जांच कराकर दोषी व्यक्ति को दण्डित किया गया और सम्पूर्ण धनराशि लाभार्थी को प्राप्त करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक धनराशि प्राप्त करा दी जायेगी ?

श्री राज बहादुर–

जी हां ।

जांचोपरान्त शिकायत असत्य पायी गयी । अतः संबंधित कर्मचारी को दण्डित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

लाभार्थी द्वारा द्वितीय किश्त के व्यय बाऊचर प्रस्तुत न करने पर उसे तृतीय किश्त की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है । द्वितीय किश्त के व्यय बाऊचर प्रस्तुत करने पर उसे तृतीय किश्त की धनराशि दे दी जायेगी ।

डा० पी० सी० यादव, समाज कल्याण अधिकारी द्वारा की गयी अनियमितता के संबंध में आरोप पत्र तथा उसकी जांच की मांग

94–श्री शाकिर अली–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष सचिव, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 23 मार्च, 1992 के पत्र पर डा० पी० सी० यादव, समाज कल्याण अधिकारी को दोषी पाया गया था ? यदि हां, तो क्या आरोप पत्र तैयार करके विभागीय जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच कराये जाने के बाद क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि कार्यवाही होगी, तो कब तक ?

श्री राज बहादुर–

जी नहीं ।

शासन से दिनांक 23 मार्च, 1992 का कोई पत्र जारी नहीं हुआ, वस्तुतः 28 मार्च, 1992 को पत्र जारी हुआ था, जिसके आधार पर डा० पी० सी० यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है ।

जी हां ।

जांच अधिकारी के स्थानान्तरित होने अथवा सेवानिवृत्त होने के कारण जांच अभी पूर्ण नहीं हो सकी है ।

जांच पूर्ण होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

95–श्री तेजभान सिंह–

[5वें गुरु में अता० प्र० सं० 39 पर पुनः निर्धारित]

जिला फैजाबाद की तहसील अकबरपुर की गांव सभा जलालपुर सेहरा में ग्राम प्रधान द्वारा फर्जी प्रस्ताव पास करके बंजर भूमि को अपात्र व्यक्तियों में बांटे जाने का आरोप तथा जांच की मांग

96–श्री लल्लू सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के अकबरपुर तहसील के गांव सभा जलालपुर सेहारा अन्तर्गत ग्राम प्रधान द्वारा फर्जी प्रस्ताव पास करके, गांव सभा की बंजर भमि को अपात्र व्यक्तियों को आवंटन करने हेतु पत्रावलियां तैयार की गयी हैं ? क्या इस संबंध में गांव सभा की जनता की तरफ से कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र पर जांच की जा रही है ? यदि हां, तो क्या जांच पूर्ण कर ली गयी है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

जांच की जा चुकी है ।

जांच में यह पाया गया कि वर्ष 1993-94 में 5 पात्र व्यक्तियों में 1.349 हेक्टेयर भूमि को कृषि कार्य हेतु आवंटन पत्रावली तैयार करके दिनांक 1-6-93 को स्वीकृत किया गया परन्तु उक्त ग्राम में ग्राम सभा की उसके अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है तथा आवंटन हेतु पात्र व्यक्ति हैं, जिन्हें प्रस्ताव तैयार करते समय छोड़ दिया गया है । आवंटन योग्य कृषि भूमि व पात्र व्यक्तियों का अंकन आवंटन पत्रावली में न करने के लिये उत्तरदायी लेखपाल की सेवा समाप्त की जा चुकी है व इस मामले में उक्त अनियमितता के कारण तत्कालीन नायब तहसीलदार वर्तमान में संग्रह अमीन को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है तथा पात्र व्यक्तियों में अवशेष बची गांव सभा भूमि को आवंटित किये जाने हेतु परगनाधिकारी को निर्देशित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला गाजियाबाद के जिलाधिकारी परिसर में जनपद न्यायालयों में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं के चैम्बरों के लिये स्थान को आरक्षित किये जाने का मामला

97–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गाजियाबाद जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में ही जनपदीय न्यायालयों का निर्माण हो रहा है ? क्या उक्त परिसर में जनपद न्यायालयों में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं के चैम्बरो के लिये कोई स्थान आरक्षित है ? क्या बार एसोसियेशन, गाजियाबाद व सेल्स टैक्स बार के चैम्बरों के लिये भूमि आवंटन के आवेदन शासन में लम्बित हैं ? यदि हां, तो उन्हें स्वीकार करते हुए कब तक भूमि आवंटन होने की सम्भावना है ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

न्याय विभाग द्वारा उपलब्ध की गयी सूचनानुसार निर्माणाधीन दीवानी न्यायालय भवन में अधिवक्ताओं के चेम्बरों के लिये कोई स्थान शासन के न्याय विभाग द्वारा आरक्षित नहीं किया गया है ।

बार एसोसियेशन गाजियाबाद का चेम्बरों के निर्माण हेतु भूमि दिये जाने का प्रकरण परीक्षणाधीन है।

प्रश्नगत प्रकरण में राजस्व परिषद् से सूचना मांगी गयी है प्राप्त होने पर उपयुक्त कार्यवाही कराई जायेगी ।

जनपद गोण्डा के कतिपय ग्रामों के चकबन्दी से सम्बन्धित लम्बित मामलों का न्यायालय द्वारा निस्तारण

98–श्री तुलसीदास रामचन्दानी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदार को उसकी भूमि की मालियत का जो चक दिया जाता है, उसकी लम्बाई-चौड़ाई का क्षेत्रफल एक मैप आकार पत्र 23 में किनारे बनाया जाता है ? क्या ग्राम चंदवसपुर, तहसील व जिला गोण्डा, ग्राम बिजौरा माफी तहसील उतरौला में यह नियम अभी भी लागू है ? यदि हां, तो क्या मौजूदा चकबन्दी कागजात में यह बनाया जाता है ? क्या इस मैप क्षेत्रफल को पक्षों के मध्य नक्शा दुरुस्ती एवं हदबरादी के मुकदमों को निपटाने में आधार माना जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे लाखों मुकदमें, जो वर्षों से विचाराधीन हैं उन्हें जल्द एवं सुलभ न्याय हेतु आधार मानकर तत्काल निर्णय करवाने पर विचार कर रही है ?

श्री बाबू राम यादव–

जोत चकबन्दी के मैनुअल के प्रस्तर–278 में जोत चकबन्दी आकार पत्र–23 भाग–I के विशेष विवरण में प्रदिष्ट चक की आकृति मय पैमाइश के अंकित करने का प्राविधान है।

ग्राम चन्दवतपुर तथा बिजौरा माफी का धारा–52 (1) का प्रख्यापन हो चुका है। इन दोनों ग्रामों में चकबंदी प्रक्रियाओं के दौरान यह प्राविधान लागू था।

जी हां।

नक्शा दुरुस्ती एवं हदबरारी के मुकदमों का निस्तारण वैधानिक एवं न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाता है।

विचाराधीन मुकदमों के शीघ्र निस्तारण हेतु विभागीय बैठकों के माध्यम से समय-समय पर अधिकारियों को वादों के त्वरित निस्तारण हेतु निर्देश दिये जाते रहे हैं व अनुश्रवण किया जाता है।

जिला प्रतापगढ़, तहसील पट्टी, ग्राम बरहूरपुर में श्री बशीर अहमद पुत्र स्व० मुहम्मद हुसैन की भूमि को चकबन्दी प्रक्रिया में श्री शमीम इकबाल के नाम कर देने की शिकायत

99–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बरहूरपुर, तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़ स्थित श्री बशीर अहमद पुत्र स्व० मुहम्मद हुसैन का सड़क के किनारे चक जिसमें उनका नलकूप तथा मकान भी बना हुआ है, को अनियमित रूप से श्री शमीम इकबाल के नाम कर दिया गया ? क्या इसके लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बाबू राम यादव–

चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि पर श्री शमीम इकबाल के नाम चक प्रदिष्ट किया गया है।

प्रश्नगत मामले में कई वाद विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं। वादों के अन्तिम रूप से निस्तारण के पश्चात् ही कोई कार्यवाही सम्भव है।

जनपद नैनीताल की तहसील बाजपुर अन्तर्गत ग्राम गोबरा के निर्धन भूमिहीन सिक्खों को काबिज भूमि का उन्हें पट्टा दिये जाने की मांग

100–श्री चेतराम–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद नैनीताल के तहसील बाजपुर अन्तर्गत ग्राम गोबरा के निर्धन, असहाय, भूमिहीन सिक्खों को लम्बे अर्से से काबिज भू-राजस्व अभिलेखों में दर्ज, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व मा० मुंसिफ न्यायालय, काशीपुर द्वारा दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा दिये जाने विषयक पूर्व विधायक, डा० गंगा बख्श सिंह का पत्र दिनांक 1-10-93 राजस्व अनुभाग–2, उ० प्र० शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रकरण में अपेक्षित शासकीय निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो कब तथा क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला लखीमपुर खीरी के ग्राम उजहा, परगना पलिया, तहसील निघासन में वर्षों से लावारिस खाते की काबिज जमीन को भूमिहीन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में आवंटित किये जाने की मांग

101–श्री निरवेन्द्र कुमार ''मुन्ना''–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम उजहा, परगना पलिया, तहसील निघासन, लखीमपुर खीरी में वर्षों से काबिज लावारिस खाते की भूमि नं०–29 व 59 पर 17 भूमिहीन हरिजनों में से 14 भूमिहीनों को भूमि के पट्टे दिये जाने का प्रस्ताव भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम सभा मकनपुर से परगनाधिकारी, निघासन द्वारा करवा लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन अभी तक न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद देहरादून में वर्ष 1993 में सौंग नदी की भयंकर बाढ़ से क्षतिग्रस्त गांव गोहरीमाफी को तत्काल पुनर्वास करने की योजना की जानकारी

102–श्री राजेन्द्र सिंह (देहरादून)–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद देहरादून में जुलाई-अगस्त, 1993 में सांग नदी की भयंकर बाढ़ द्वारा गोहरी माफी गांव को भारी क्षति पहुंची है ? क्या वहां के लोगों का जीवन संकट में पड़ गया है ? यदि हां, तो क्या गोहरी माफी गांव को पुनर्वास करने की तत्काल कोई योजना बनायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद देहरादून में माह जुलाई-अगस्त, 1993 में सौंग नदी में आयी भयंकर बाढ़ से 250 आबादी वाले ग्राम गौहरी माफी बाढ़ से घिर गया था और सामान्य जनजीवन की सुरक्षा एवं योजना आदि की व्यवस्था हेतु युद्ध स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गयी । सौंग नदी पर बने पुश्ता टूटने के कारण नदी का बहाव उक्त ग्राम की ओर होने के कारण दुःखद परिस्थिति पैदा हुई । राहत एवं बचाव हेतु सेना की सहायता भी ली गई तथा प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिये हाथियों, रीवर राफ्ट एवं ट्रोली की तत्कालिक व्यवस्था की गयी और भोजन पानी की व्यवस्था भी सुलभ करायी गयी । इस भयंकर परिस्थिति पर प्रशासन द्वारा की गयी त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई जन-हानि नहीं हो पायी और पशुओं को रोगों से बचाने हेतु आवश्यक दवाइयों एवं डाक्टरों की सेवाओं को तत्परता से उपलब्ध कराया गया ।

ग्राम की सुरक्षा अथवा पुनर्वासन, जो भी सम्भव व उपयुक्त हो, के संबंध में शीघ्रता से कार्यवाही होती है ।

जिला बस्ती के ग्राम मनेतापुर, तहसील बस्ती में भूमि संख्या 347, 348, 349, 350 पर कब्जेदार के नाम की जानकारी

103–श्री स्वामी नाथ–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मनेतापुर, तहसील व जिला बस्ती में भूमि संख्या–347, 348, 349, 350 पर मौके पर बाग एवं खलिहान हैं ? यदि हां, तो उस बाग में किस-किस किस्म के पेड़ हैं व उनकी संख्या एवं उम्र क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उस भूमि पर 40 वर्षों के पूर्व से किसका कब्जा है ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आगरा समाज कल्याण अधिकारी के विरुद्ध गबन सम्बन्धित किये वाद का लम्बित न पाया जाना

104–श्री बदन सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि आगरा के समाज कल्याण अधिकारी के विरुद्ध माह दिसम्बर, 1993 में न्यू आगरा थाने में कोई गबन का मुकदमा सी० डी० ओ०, आगरा ने दर्ज कराया है ? यदि हां, तो अब तक उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

जी नहीं ।

समाज कल्याण अधिकारी, आगरा के विरुद्ध माह दिसम्बर, 1993 में न्यू आगरा थाने में कोई गबन का मुकदमा सी० डी० ओ०, आगरा ने दर्ज नहीं कराया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश की समस्त बाल विकास परियोजनाओं में मार्डन फूड इन्डस्ट्रीज से पोषाहार आपूर्ति में निदेशालय द्वारा अग्रिम भुगतान हेतु वित्त विभाग की अनुमति की जानकारी

105–श्री मित्र सेन यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश की समस्त बाल विकास परियोजनाओं में मार्डन फूड इन्डस्ट्रीज से पोषाहार की आपूर्ति करायी जा रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त आपूर्ति हेतु निदेशालय द्वारा रु० 4,92,42,000 का अग्रिम भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्या इतनी बड़ी धनराशि का अग्रिम भुगतान करने हेतु वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि इसके लिये कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं ?

श्री राज बहादुर–

जी हां ।

जी नहीं । कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की समस्त बाल विकास परियोजनाओं में मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज लि० द्वारा आपूर्ति में किये गये अनुबन्ध के आधार पर आपूर्ति हेतु किये गये अनुबंध की शर्तों/नियमों एवं पोषाहार की दर का विवरण

106–श्री मित्र सेन यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की समस्त बाल विकास परियोजनाओं में पंजीरी तथा डबल रोटी की आपूर्ति हेतु मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज लि० को विभाग द्वारा अनुबंधित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त अनुबन्ध की शर्तें/नियम एवं पोषाहार की दर क्या है ? क्या अनुबंध की शर्तों के अनुसार नियमित पोषाहार की आपूर्ति की जा रही है ? क्या शासन द्वारा उक्त अनुबन्ध की प्रति निदेशालय को उपलब्ध कराई गई है ? यदि हां,तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? किस आधार पर उक्त संस्था को भुगतान किया जा रहा है तथा इसके लिये कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं ?

श्री राज बहादुर–

जी हां ।

अनुबन्ध में मुख्य शर्तें पोषाहार को तैयार करके मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज द्वारा सीधे बाल विकास परियोजना मुख्यालय तथा 11 नगरीय क्षेत्र का परियोजनाओं में ब्रेड की आपूर्ति आंगनवाड़ी केन्द्रों तक अपने साधनों से पहुंचाना, पुष्टाहार की आपूर्ति 25 किग्रा० पोलीपैक में जिस पर "बिक्री के लिये नहीं" अंकित होगा, किया जाना, भुगतान विभाग द्वारा किया जाना, आपूर्ति का प्रत्येक माह अनुश्रवण किया जाना, तथा राज्य सरकार द्वारा इण्डस्ट्रीज को दो करोड़ रुपये की राशि रिवाल्विंग फण्ड के रूप में यूनिटों की क्षमता विस्तार हेतु दिया जाना आदि है ।

पोषाहार की दर गेहूं, चीनी, पेट्रोल आदि की दरों पर निर्भर करती है । पंजीरी की दर रु० 9.90 प्रति किग्रा० मैदानी क्षेत्र में तथा रु० 10.90 पर्वतीय क्षेत्र में एवं ब्रेड की दर रु० 8.45 प्रति पैकिट (800 ग्राम) माह अक्टूबर, 1993 में निर्धारित की गयी थी ।

जी हां ।

प्रश्नगत अनुबन्ध राज्य सरकार एवं मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज इण्डिया लि० के मध्य हुआ है । निदेशालय शासन का ही अंग है जो उससे पूर्ण रूप से अवगत है । अतः प्रश्न का शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता । अनुबन्ध के आधार पर भुगतान किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में बाल विकास परियोजनाओं में पोषाहार आपूर्ति में मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज लि० को किये गये अग्रिम भुगतान की जानकारी

107–श्री मित्र सेन यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास परियोजनाओं में पोषाहार आपूर्ति हेतु मार्डन फूड इण्डट्रीज लि० को अब तक किये गये अग्रिम भुगतान के विरुद्ध मार्डन फूड द्वारा कितने मूल्य का पोषाहार आपूर्ति किया गया है ? क्या मार्डन फूड द्वारा परियोजनाओं में उनकी आवश्यकतानुसार पोषाहार की आपूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त के लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राज बहादुर–

कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया गया है बल्कि मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज लि० द्वारा अब तक रु० 5,73,57,298=77 के मूल्य की पोषाहार की आपूर्ति की गयी तथा लगभग 3.00 करोड़ जमा स्टाक एवं चालू आपूर्ति हेतु उक्त इण्डस्ट्रीज को देय है जिसके सापेक्ष 5,68,21,013 रुपया 36 पैसे का भुगतान ही किया गया है ।

जी हां । परियोजनाओं में मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज द्वारा भारत सरकार के नियम मानक तथा उपलब्ध बजट के अनुसार आवश्यकतानुसार पोषाहार की आपूर्ति की जा रही है ।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जनपद सिद्धार्थनगर के चकबन्दी विभाग में शासन द्वारा नियुक्ति में लगी रोक के बावजूद की गई नियुक्तियों के संबंध में जांच एवं कार्यवाही की मांग

108–श्री प्रेम प्रकाश–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा नियुक्ति पर रोक लगाने की अवधि के दौरान जनपद सिद्धार्थनगर में चकबन्दी विभाग में कितनी नियुक्ति की गई हैं ? क्या शासन इस बारे में कोई कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

तीन फर्जी नियुक्ति (दो लेखपाल तथा एक चपरासी) का प्रकरण उप संचालक चकबन्दी की जांच से प्रकाश में आया है । इस प्रकरण में एफ० आई० आर० दर्ज करायी जा चुकी है । अन्य कोई नियुक्ति जनपद में नहीं की गयी है ।

फर्जी नियुक्ति के बारे में जिलाधिकारी से उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र गठित कर मांगा गया है तथा उनके स्तर से अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु निर्देश चकबन्दी आयुक्त द्वारा दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

109-110–श्री लाज कृष्ण गांधी–

[5वें सोम में अता० प्र० सं० 152-153 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 24-3-94 को नियम 301 के अन्तर्गत कुल 24 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गई हैं जिनमें से पहली सूचना मेरी (श्री ऊदल) है, दूसरी सूचना श्री मयंकेश्वर शरण सिंह की है, तीसरी में श्री विश्राम सिंह यादव नहीं हैं, चौथी सूचना श्री सुन्दर लाल लोधी वह भी नहीं हैं, पांचवीं डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, छठी श्री राम करन आर्य, सातवीं श्री चेतराम जी की है ।

प्रतीक्षा सूची में से श्री अजय कुमार पोइया और श्री बदन सिंह की ले रहा हूं । बाकी जो अस्वीकार हुईं वह इस प्रकार हैं कुंवर सर्वराज सिंह, श्री तेजभान सिंह, श्री धनराज यादव, श्री राजकुमार शिवहरे, श्री रंगनाथ मिश्र, श्री जगदम्बिका पाल, श्री गनपत सिंह, श्री बोलेश्वर त्यागी, श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, श्री तुलाराम सैनी, श्री पारस नाथ यादव, श्री शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया श्री भैरो प्रसाद मिश्र और श्री मातवर सिंह कण्डारी की हैं ।

उपरोक्त स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी जायं ।

(स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मान ली गईं)

चिकित्साधिकारी (होम्योपैथी) पद हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों की सशर्त नियुक्ति करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री ऊदल–

[आदरणीय महोदय, 9 वर्ष लम्बे अन्तराल के बाद दिनांक 25-2-94 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा चिकित्साधिकारी (होम्योपैथी) के पदों का चयन परिणाम घोषित किया गया । मार्च, 1994 में आयोग द्वारा संस्तुतियां भी शासन को सुलभ करा दी गयीं । चिकित्साधिकारी (होम्योपैथी)

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

का पद आयोग की ही परिधि का पद है । नियमित चयन का वैधानिक अधिकार भी आयोग में ही निहित है चयन परिणाम प्रकाशन व संस्तुतियों के प्रस्तुतीकरण के एक माह बाद भी नियुक्ति के प्रश्न पर शासन–प्रशासन पूर्णतया उदासीन है जबकि शासन को भलीभांति मालूम है कि चयन परिणाम घोषित होने से पूर्व चयन प्रक्रिया को अस्त व्यस्त निरस्त करा देने के प्रयास किये गये और अब नियुक्ति प्रक्रिया को अस्त व्यस्त-निरस्त कराये जाने के षडयंत्र चल रहे हैं । नियुक्ति की सामान्य प्रक्रिया जैसे चरित्र सत्यापन व स्वास्थ्य परीक्षण में काफी समय लग जाने की प्रबल संभावना है । इस बीच चयन प्रक्रिया में न्यायिक एवं अन्य बाधाएं उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावना है ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को आप की अनुज्ञा से आदरणीय सदन के संज्ञान में लाते हुए चरित्र सत्यापन व स्वास्थ्य परीक्षण की शर्त को शिथिल करते हुए चिकित्साधिकारी (होम्योपैथी) पद हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों की तत्काल सशर्त नियुक्ति की मांग करता हूं ।]

जनपद रायबरेली के ग्राम इन्हौना में हुए अग्निकाण्ड से प्रभावित लोगों की सहायता देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मयंकेश्वर शरण सिंह–

[महोदय, रायबरेली जनपद के ग्राम इन्हौना तहसील तिलोई में दिनांक 17-3-94 करीब 12 बजे के लगभग भीषण अग्निकाण्ड में किसानों की चल एवं अचल सम्पत्ति जलकर नष्ट हो गयी जिसमें एक महिला तथा दर्जनों जानवर भी जलकर नष्ट हो गये जिनकी जीवन लीला समाप्त हो गयी है । प्रत्येक अग्निकाण्ड पीड़ित परिवार के लोगों को प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5000.00 रुपये तक सहायता तथा मान हेतु रु० 10,000.00 की धनराशि उपलब्ध करायी जाय । अग्निकांड से घटित घटनाचक्र से 138 मकान ध्वस्त हो गये ।

इस लोक महत्व अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जलभराव की समस्या के निवारण हेतु बरसाती नाले के निर्माण के लिये धन स्वीकृत करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

[महोदय, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1971-72 में बाघम्बरी आवासीय योजना के रूप में इसे एक विकसित कालोनी के रूप में बसाया गया था । परन्तु इस कालोनी को विकसित करते समय यहां की नालियों तथा बरसाती पानी की निकासी का कोई उचित प्रबन्ध नहीं किया गया था, जिससे पूरे क्षेत्र में थोड़ी भी बरसात हो जाने पर पानी भर जाता है तथा इस क्षेत्र की सड़कों पर पानी का जमाव 2 फीट से 4 फीट तक हो जाता है जो घरों में प्रवेश कर जाता है और यहां का जीवन नारकीय हो जाता है।

इस गम्भीर समस्या हेतु बाघम्बरी कल्याण समिति के प्रयास से नगर महापालिका, इलाहबाद के अभियन्ताओं द्वारा इस क्षेत्र के सर्वे के आधार पर "एक प्रस्तावित बरसाती नाले" के निर्माण हेतु एक प्रारूप तैयार किया जिसकी लागत रु० 25.09 लाख होगी, इसे मुख्य नगर अधिकारी ने अपने पत्र सं०

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

डी-27/जनकार्य/92, दिनांक 18-4-92 द्वारा शासन के नगर विकास विभाग, लखनऊ को स्वीकृति हेतु भेजा था।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी उपरोक्त विषय में दिये गये ज्ञापन को अपनी संस्तुति प्रदान करके नगर विकास विभाग को उचित कार्यवाही हेतु भेजा था। मेरे द्वारा भी इसी संबंध में माननीय नगर विकास मंत्री से अनुरोध किया जा चुका है।

इस जल भराव की समस्या से हजारों लोग बुरी तरह प्रभावित हो रहे। सरकार से अपेक्षा है कि इस समस्या के निवारण हेतु "एक बरसाती नाला" बनाने हेतु अपेक्षित धन स्वीकृत करें।

अतः लोक महत्व के निश्चित अविलम्बनीय विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं।]

मुण्डेरवा शुगर मिल, जिला बस्ती के कुछ कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे अनशन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम करन आर्य–

[महोदय, मैं आपका ध्यान शुगर मिल मुण्डेरवा, जिला बस्ती के तरफ लाना चाहता हूं। शुगर मिल मुण्डेरवा, जिला बस्ती के कुछ कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे जिसमें से एक कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर दूसरा कर्मचारी अनशन पर बैठा है उसकी मांग है कि कर्मचारी/श्रमिक काफी-काफी दिनों से कार्यरत हैं इनको स्थायी नहीं किया जा रहा है फार्म–12 पर हस्ताक्षर करने की बार-बार मांग कर रहे हैं। वहां पर कर्मचारियों को पुलिस द्वारा भी परेशान किया जा रहा है स्थिति बहुत ही नाजुक हो गयी है।

अतः मैं आदरणीय सदन के माध्यम से उक्त बिल हेतु कर्मचारियों की मांग मानने एवं अनशन को समाप्त कराने तथा फार्म–12 पर हस्ताक्षर कराने के तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही कराने की मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर में सफाई एवं जल कर्मियों को वेतन न मिलने के कारण अनिश्चित कालीन हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री चेतराम–

[माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जनपद शाहजहांपुर में विगत करीब 15 दिनों से सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही है क्योंकि उन्हें 5 माह से वेतन नहीं दिया गया तथा नगरपालिका के अन्य कर्मचारियों को 7 माह का वेतन नहीं दिया गया है जिसके कारण पूरा शहर भीषण गन्दगी की चपेट में आ गया है तथा पूरे शहर में भयंकर बीमारी फैलने की पूर्ण सम्भावना हो गयी है। जल कर्मियों को भी वेतन न मिलने के कारण हड़ताल शुरू कर दी है जिससे पेय जल का भी गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। अधिकांश नलकूप खराब पड़े हैं इस कारण बूंद-बूंद पानी के लिये जनता में त्राहि-त्राहि मचनी शुरू हो गयी है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महतव के प्रश्न द्वारा आपके माध्यम से इस गम्भीर जनहित की समस्या के शीघ्र निदान हेतु सरकार से मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मथुरा के गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी की समुचित व्यवस्था कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अजय कुमार पोइया–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं।

मथुरा जनपद में इस समय किसानों कास्तकारों को फसल हेतु पानी की अति आवश्यकता है। मेरे अपना निर्वाचन क्षेत्र जो कि गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र सम्पूर्ण टेल पर है, पानी सिंचाई का सम्पूर्ण कास्तकारों को जतीपुरा, नगला वोहरा, नरहोली, मथुरा स्केप, कोनई माइनर जोकि अपर आगरा कैनाल आगरा तथा लोअर कैनाल आगरा के द्वारा पींगरी माइनर, मलिकपुर, माइनर, परह, बरारी, राजबहा, रसूलपुर माइनर, लालपुर माइनर, कीठम माइनर आदि सभी सूखे पड़े हैं। किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। इस समय पानी फसल गेहूं को तत्काल नहीं मिला तो फसल चौपट हो जायेगी तथा किसान कास्तकार बर्बाद हो जायेगा तथा खाद्यान्न का उत्पादन न होने पर प्रदेश की स्थिति भयानक हो जायेगी। अतः मैं यह आवश्यक एवं महत्व का मामला सदन के संज्ञान में लाते हुए निवेदन करता हूं कि कृपया आप अपने स्तर से शासन को निर्देशित करके मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में पानी पूर्व की भांति सिंचाई हेतु उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।]

जनपद आगरा के ब्लाक अकोला स्थित ग्राम नगला झब्बा एवं हन्नू में सांस रोग की रोकथाम के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री बदन सिंह–

[महोदय, जनपद आगरा की तहसील किरावली, ब्लाक अकोला में स्थित ग्राम नगला झब्बा और हन्नू में सांस का भयंकर रोग व्याप्त है। इस रोग से वहां के 35% से लेकर 45% तक नागरिक पीड़ित व प्रभावित हैं और दो माह के अन्तराल में वहां पर एक दर्जन से अधिक मौतें हो चुकी हैं। दिनांक 22 दिसम्बर को एक दिन में ही तीन मौतें हुई और फरवरी के अन्त में दो महिलाओं की मौतें हो गयी हैं। मौतों के इस जारी सिलसिले से शेष पीड़ित सांस के मरीज भयभीत और अपनी मौत की कल्पना से डरे हुए हैं। आगरा का स्वास्थ्य विभाग हाथ पर हाथ रखकर निकम्मा बनकर इस घातक रोग से ग्रामवासियों को बचाने के लिये सक्रिय नहीं हुआ और मौत ग्राफ बढ़ता हुआ चला आ रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को शासन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि उक्त ग्रामों में फैले हुए रोग को तुरन्त रोका जाय और दोषी स्वास्थ्य विभाग के डाक्टरों को दण्डित किया जाये।]

श्री राजीव अग्रवाल स० वि० स० एवं उनके साथ के अन्य लोगों को गोली मारकर घायल किये जाने के संबंध में 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं 311 की सूचनायें ले रहा हूं। माननीय गुप्ता जी ने जो मामला उठाया है श्री राजीव कुमार अग्रवाल, विधायक एवं उनके साथ अन्य लोगों को गोली मारकर घायल किये जाने के संबंध में है। इस पर जो पहली सूचना है मैं चाहूंगा कि माननीय गुप्ता जी अपने विचार रखें।

नोट :— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम आसरे वर्मा–

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं नियम 56 में माननीय किरनपाल सिंह जी ने और मैंने सूचना दी है उसको भी इसी के साथ शामिल कर लें।

श्री अधिष्ठाता–

उसको भी इसी के साथ शामिल कर लेंगे पहले शुरू करने दें। सब को शामिल कर लेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

बड़ी दुखद घटना हुई है।

श्री अधिष्ठाता–

गुप्ता जी जरा सुन लें। जिन लोगों के नाम इसमें शामिल हैं वह चाहते हैं कि मैं उनके भी नाम बता दूं। मैं शुरू से बता रहा हूं। मैं सभी माननीय सदस्यों को सुनूंगा। मैं नाम पढ़ रहा हूं श्री कल्याण सिंह, नेता विरोधी दल, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, चूंकि कल्याण सिंह जी नहीं हैं इसलिये गुप्ता जी को पहले बुला लिया है। श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री बंशीधर भगत, श्री शिव प्रताप शुक्ल, श्री दल बहादुर कोरी, दूसरी सूचना श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, श्री कृष्णवीर सिंह सिरोही, तीसरी श्री रमेश पोखरियाल निशंक, 4थी यही सूचना श्री किरन पाल सिंह ने नियम 56 में दी है जिसमें श्री राम आसरे वर्मा जी के भी हस्ताक्षर हैं, पांचवीं सूचना श्री सरजीत सिंह डंग, श्री श्याम देव राय चौधरी, 6ठी नियम 51 में श्री जगदम्बिका पाल ने दी है तो इस प्रकार 7वीं श्री जगदम्बिका पाल 8वीं डा० राम बाबू हरित 9वीं श्री भैरों प्रसाद मिश्र जी की है। नियम 56 और 51 में भो इसी विषय की है इसमें शामिल कर लिया है।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

कल इस सदन के युवा विधायक श्री राजीव कुमार अग्रवाल के ऊपर प्राण घातक हमला किया गया जो हमारे पुलिस प्रशासन पर काला दाग लगा हुआ है उससे यह और स्पष्ट हो जाता है। यह इलाका जहां उन पर प्राण घातक हमला हुआ है यह आतंकवादियों का इलाका है। इस प्रशासन द्वारा जो सुरक्षा के प्रबन्ध किये गये हैं उसका खोखलापन साफ जाहिर करता है। मान्यवर, कल काशीपुर–मुरादाबाद एक्सप्रेस से श्री राजीव अग्रवाल काशीपुर से मुरादाबाद आ रहे थे। तो जैसे ही ट्रेन काशीपुर से आगे बढ़ी तो अगले स्टेशन रुस्तमपुर में कुछ हथियारबंद लोग ट्रेन में घुस आये। उनके पास तमंचे और छुरे थे और ट्रेन में घुसते ही फायरिंग शुरू कर दी जिससे श्री राजीव अग्रवाल घायल हो गये। श्री राजीव अग्रवाल के अंगरक्षक ने बचाने का प्रयास किया तो उसे भी गोलियों से अपराधियों ने घायल कर दिया और उसका सरकारी रिवाल्वर हमलावर छीन ले गये। मान्यवर, आश्चर्य की बात है कि फिर ट्रेन आगे चली और ट्रेन को रोककर हमलावर आराम से उतर कर चले गये। श्री राजीव अग्रवाल मुरादाबद लाये गये जहां उनकी हालत गम्भीर है। डाक्टरों ने जवाब दे दिया जिससे उन्हें बाद में मेरठ मेडिकल कालेज ले जाया गया और वहां डाक्टरों ने उनका आपरेशन किया। मान्यवर, टेलीफोन से जानकारी मिली है कि उनकी किडनी, डायाफार्म, दांई ओर का लीवर डैमेज हो गया है। एक गोली निकाल ली गयी है और कंधे में अभी गोली अन्दर है। उनके शरीर से काफी खून बह गया है और पेट में काफी खून जमा है। मान्यवर, हमारी कामना है कि वह हजारों साल जिंदा रहें। लेकिन उनकी हालत चिन्ताजनक है। उनका अंगरक्षक मुरादाबाद या मेरठ में है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, संक्षेप में कहना चाहता हूं कि स्थिति कितनी गम्भीर है कि एक विधायक पर हमला हुआ जिससे साबित होता है कि उस इलाके में आतंकवादी हैं। टास्क फोर्स वहां पड़ा है। समझा जाता है कि ट्रेन में पी० ए० सी० के जवान नहीं थे। मान्यवर, सदन में कितनी ही घोषणायें की जाएं कि आतंकवादी इलाके को सुरक्षित कर दिया गया है लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि वहां कोई सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं है। यदि ट्रेन में सुरक्षा की व्यवस्था होती तो ट्रेन रुकने पर फोर्स को आना चाहिए था। इसलिये यह गम्भीर घटना है जो प्रशासन के ऊपर काला धब्बा है। मान्यवर, मेरी जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से अब तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया है और न कोई कार्यवाही की गयी है और न उनके प्राण की रक्षा की कोई चिन्ता है, इसलिये यह सब सरकार के खोखलेपन को उजागर करता है। इस प्रकार मान्यवर, यह गम्भीर मामला है, तात्कालिक है, कल घटना घटी है, एक विधायक का सवाल नहीं है, बल्कि सवाल इस बात का है उस क्षेत्र में आतंकवादियों से सुरक्षा हेतु कोई प्रबन्ध नहीं किये गये हैं, इसलिये सभी नियमों को निलम्बित करके इस विषय पर आप चर्चा करायें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य 5-5 मिनट ही बोलें औचित्य पर।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, विधायक श्री राजीव अग्रवाल पर जो कल हमला हुआ वह उस समय हुआ जब वह काशीपुर से एक्सप्रेस ट्रेन से मुरादाबाद के लिये रवाना हुए थे और अगले स्टेशन रुस्तमपुर में 8–10 अपराधी हाथों में तमंचा और छुरे लिये हुए ट्रेन में चढ़े किसी ने उनको रोका नहीं और उन्होंने दरवाजा अन्दर से बन्द कर लिया एवं लूटने के उद्देश्य से फायरिंग करने लगे और फिर लूटपाट बोगी में करने लगे। श्री राजीव अग्रवाल, उनका अंगरक्षक और एक साथी भी उस बोगी में मौजूद थे। श्री राजीव अग्रवाल आगे बढ़े तो उन पर फायरिंग की गयी, इस पर उनकी जान को खतरा देखकर उनके अंग रक्षक ने अपना सरकारी रिवाल्वर निकालना चाहा तो लुटेरों ने उसे भी गोली मारकर घायल कर दिया और सरकारी रिवाल्वर छीन लिया और फिर आराम से यात्रियों को लूटा और एक-डेढ़ लाख रुपये लूटकर ट्रेन से उतर कर आराम से चले गये। इस घटना में विधायक राजीव अग्रवाल गम्भीर रूप से घायल हुए हैं साथ ही उनके अंग रक्षक रूमान सिंह व साथी अनिल कुमार भी घायल हुए है। सर्वाधिक चिन्ता की बात यह है कि सदन इस समय चल रहा है। हमारे सभी विधायक बराबर सदन की बैठक में भाग लेने के लिये यहां आ रहे हैं और जा रहे हैं, और विधायक के साथ चलती ट्रेन में यह हो रहा है, तो आम जनता के साथ क्या होता होगा यह कल्पनातीत है। वह इलाका आतंकवादी इलाका है, वहां पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाती है, विशेष व्यवस्था वहां के लिये की जाती है। ज्यादा फोर्स वहां रहती है, टास्क फोर्स रहती है और दूसरे सुरक्षा प्रबन्ध होते हैं और सरकार इस तरह की घोषणाएं बराबर किया भी करती है। किन्तु इस एक घटना ने सरकार की सारी कथनी की पोल खोल दी है। न वहां पुलिस थी न कोई फोर्स था, न कोई अधिकारी था, जो उन्हें बचाया जाता। वह आज जीवन मरण के बीच में झूल रहे हैं और मेरठ मेडिकल कालेज में भर्ती जीवन के लिये संघर्ष कर रहे हैं। हम कामना करते हैं कि वह शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें, किन्तु उनके जीवन को कम्भीर खतरा बना हुआ है। इससे पता चलता है कि आज वर्तमान प्रशासन में अपराधियों के हौसले कितने बुलन्द होते जा रहे हैं। यह सरकार उनके हौसले तोड़ नहीं पा रही है। यह घोषणा अवश्य करते हैं कि अपराधों पर रोकथाम लग रही है। इस तरह की एक और घटना हुई हैं जिसमें प्रदेश के वन मंत्री के मामा को राजधानी में गोली मार दी गई है। मान्यवर, मैं नियम 311 में अपनी सूचना के द्वारा अपनी इस नोटिस पर बल देता हूं और चाहता हूं कि नियमों को निलम्बित करके आप सदन में इस पर चर्चा करायें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मेरी एक बात पहले सुन लें । जितने लोगों के नाम हैं, उन सभी को मैं बारी-बारी से बुलवाऊंगा और उसके बाद भी यदि आवश्यकता होगी तो अन्य माननीय सदस्यों को भी बुलवाऊंगा । इसलिए आप धैर्यपूर्वक बैठें.... (व्यवधान) मेरी व्यवस्था हो गई है । आप बैठें ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर घटना है । जैसे ही मैंने श्री राजीव कुमार अग्रवाल के ऊपर हमले के बारे में पढ़ा, हम लोग स्तब्ध रह गये । परसों माननीय सदस्य हम लोगों के साथ कैन्टीन में थे, चाय पी रहे थे, और एक ट्रेन में इस आजादी के साथ लुटेरे उन्हें लूट कर गये और हमला कर गये । विधायक पर जानलेवा गोली मारी गई और अपराधी आराम से ऐसा करके चले गये । यह इस प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था का द्योतक है । प्रदेश में स्थिति इतनी खराब है कि काशीपुर से मुरादाबाद के बीच रुस्तमपुर स्टेशन पर बदमाश गाड़ी पर चले, जिस पर विधायक जी यात्रा कर रहे थे । वह आतंकवादी इलाका है । वहां पर जो पैसेन्जर्स चलते हैं, उन गाड़ियों पर सुरक्षा गार्ड्स भी चलते होंगे । चलना भी चाहिए । ऐसी स्थिति में उन पर जो प्राण घातक हमला हुआ, उनके साथ जो गार्ड था, वह आटोमेटिक वीपन वाला होता तो मैं समझता हूं, जो लुटेरे थे, जिन्होंने उनकी हत्या का प्रयास किया, शायद वह न हो पाता और एक-दो हमलावर मार दिये जाते । इसलिये ऐसे हल्के में जहां आतंकवादी सक्रिय हैं, आतंकवादी इलाका है, वहां पर विधायकों के साथ पिस्टल वाला गार्ड चलना अपर्याप्त था । इनके साथ 1-2 आटोमेटिक या सेमी-आटोमेटिक वीपन वाले गनर होने चाहिए थे । पता नहीं क्यों इस घटना के बाद वह पकड़े नहीं गये हैं अब तक । यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है, यह प्रदेश की बिगड़ती खतरनाक कानून व्यवस्था का सवाल है । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है, आप इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए इस पर सदन में चर्चा करायें और दोषियों को पकड़ने के लिये अच्छे से अच्छे निर्देश देकर उन अपराधियों को शीघ्र पकड़वाने में सहायता देने की कृपा करें ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह दुखद और गम्भीर प्रकरण है और इस बात का परिचायक है कि कानून तोड़ने वालों के हौसले कितने बुलन्द हैं । जिन परिस्थितियों में उन पर हमला हुआ है, वह अत्यन्त गम्भीर विषय है । यह वहां पर हुआ है जहां आतंकवाद एक प्रकार से समाप्त हो गया था । अब यह हमें इस बात पर सोचने के लिये विवश न करें कि क्या वहां आतंकवाद की जड़ें बाकी हैं या नहीं । माननीय विधायक जी के साथ उनका अंगरक्षक भी था उसके बावजूद भी उन पर हमला हुआ । यह इस बात को साबित करता है कि जो हमलावर थे, लुटेरे थे किस कद्र बेखौफ थे कि अंगरक्षक की उपस्थिति में भी उन्होंने फायर किया । इतनी तैयारी के साथ आये थे । इतना समय बीत जाने के बाद भी माननीय मंत्री जी सम्भवतः अभी स्पष्ट करेंगे । कोई रिकवरी नहीं हुई, न कोई गिरफ्तारी हुई । आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि माननीय विधायक जी का जीवन खतरे में है । जिस प्रकार की सूचना आयी है, उनके तमाम ऐसे महत्वपूर्ण अंगों में गोली लगी है जिसके लिये समुचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिली तो सम्भवतः उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है । हम सब यहां बैठकर उनके दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना कर सकते हैं । मान्यवर, मैं दो बिन्दुओं पर सरकार का स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा । पहला तो यह कि उनकी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चिकित्सा में किसी प्रकार की कोताही न हो, सरकारी सहयोग से उनकी चिकित्सा करायी जाय । दूसरा यह है कि भविष्य में उनकी पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था करते हुए निर्देश दिया जाय कि जो हमलावर थे और इस गतिविधि में लगे हुए लोग थे, उनको गिरफ्तार कराया जाय । सामान की रिकवरी हो । यह आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र है । जब ट्रेन वहां से चली तो उस समय उसमें चलने वाला सशस्त्र दस्ता चल रहा था कि नहीं ? ट्रेन में लूट-पाट की घटना घटी तो वह आया क्यों नहीं ? इतना ही नहीं ट्रेन रुकने के बाद भी वह दस्ता वहां नहीं आया ? अगर यह सशस्त्र दस्ता नहीं था तो क्यों ? मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । तत्कालीन महत्व का प्रश्न है, गम्भीर है, लोक महत्व का है, एक विधायक के साथ हुई घटना से संबंधित है । इसलिये मैं चाहता हूं कि दल की भावनाओं से ऊपर उठकर माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से निर्देश दें कि हमलावरों को सरकार पकड़ेगी और व्यवस्था करेगी कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो ।

* श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, परसों हम साथ बैठे थे । राजीव अग्रवाल जी से मुलाकात हुई थी । कल काशीपुर–मुरादबाद एक्सप्रेस से मुरादाबाद के लिये जा रहे थे । रुस्तमपुर स्टेशन के पास ही उनके साथ यह घटना घटी, दुर्भाग्य रहा । मान्यवर, सरकार की तरफ से बार-बार इस बात का वक्तव्य आता है कि ला एण्ड आर्डर की स्थिति प्रदेश में सामान्य है । कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन कानून और व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति के बारे में इस सदन में चर्चा न होती हो । सरकार दृढ़ प्रतिज्ञा करती है, कहती है कि हम कानून व्यवस्था के बारे में सचेत हैं, स्थिति सामान्य है । आज हमारे ही बीच के, अपने एक साथी विधायक के ऊपर लुटेरों के द्वारा हमला किया गया है । उनके साथ गुमान सिंह, अनिल सिंह और उनका शैडो भी था । उनके शैडो से रिवाल्वर छीन ली जाती है । वहां बैठे लोगों से लाखों रुपये छीन लिये जाते हैं । इतना सब होने के बाद वहां पुलिस कुछ नहीं कर पाती है । कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है । बड़ी गम्भीर स्थिति है । हम यहां माननीय विधायक के प्राणों के प्रति चिन्तित हैं । मैं यह चाहूंगा कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि उनकी चिकित्सा में किसी प्रकार की कमी नहीं होने पायेगी । उनकी स्थिति गम्भीर है उन्हें मुरादाबाद से मेरठ मेडिकल कालेज के इन्सेन्टिव केयर यूनिट में रखा गया है ।अभी क्या स्थिति हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है । जिस प्रकार से विभिन्न अंगों पर चोटें आयी है, उससे हालत गम्भीर है । हम सब उनके लिये कामना करते हैं कि वह शीघ्र स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में आयें । मैंने अपना जो यह नोटिस राजेन्द्र गुप्त जी के साथ दिया है, अपने को उससे सम्बद्ध करते हुए, इस विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं ।

*श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारे उप नेता राजेन्द्र गुप्त जी ने जो नियम–311 की नोटिस के अन्तर्गत राजीव अग्रवाल के साथ जो घटना घटी है, उस पर प्रकाश डाला है । मैं भी उसी संबंध में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके प्राण बचाये जाने के लिये जो कुछ व्यवस्था शासन स्तर से सम्भव हो, कराई जाय । आने वाले दिनों में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करायें कि इस तरह की घटनाएं, अपराध न हों । ट्रेनों में अपराध हो रहे हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चौकियां नहीं खोली जा रही हैं जो खोली जा रही हैं ट्रेन में बोगी लगाई जा रही है उसमें आधा चौथाई रुपया लेकर जी० आर० पी० की पुलिस यात्रियों को बैठा लेती है । जो डी० आई० जी० निवर्तमान थे स्मगलिंग करते थे । दिल्ली से माल मंगाते थे । राजकीय रेलवे पुलिस में, पुलिस महकमें के सजा याफ्ता लोग आते हैं । जी० आर० पी० के सिपाही, डी० आई० जी० और आई० जी हैं ट्रेन जाती है तो सवारी बैठाते हैं और जो यात्री व्यापारी माल लेकर जाते हैं उनको खोदने में लगे रहते हैं कि इसमें क्या रखा है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है आगे से इसको सुनिश्चित कराया जाए । राजकीय रेलवे पुलिस को जो उसका कार्य है उसके प्रति उत्तरदायी ठहराया जाए । इस मामले में राजकीय पुलिस उत्तरदायी है उनको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए ।

* श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, राजीव अग्रवाल जी के साथ जो घटना घटी यह बहुत ही गम्भीर और चिन्ता का विषय है । गोलियों से न सिर्फ वही आहत हुए बल्कि उनके अंगरक्षक भी आहत हुए और उनके एक सहयोगी भी आहत हुए हैं। तीनों की स्थिति गम्भीर है । मान्यवर, इस प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था की चरम सीमा है । विधायक, अंगरक्षक और उनके सहयोगी जब उनके ऊपर ऐसी स्थिति आ सकती है तो साधारण जनता के साथ क्या बीत रहा होगा । यह छिपा नहीं है । अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और उसके बाद कभी-कभी यह सुनकर आश्चर्य होता है जब यह कहा जाता है कि कानून व्यवस्था पर नियंत्रण है । अगर सरकार यह चाहे कि अपने को इस जिम्मेदारी से अलग कर ले तो उसे इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता है । आतंकवादी क्षेत्र से गुजरने वाले विधायक को गनर दिया जाना चाहिए ताकि वर्दी का भी कुछ डर रहता है शैडो दिया जाता है । राजीव अग्रवाल जी के साथ ऐसा हो गया । इसी सदन में आए दिन अन्य कई विधायकों की ओर से भी सुरक्षा के लिए खतरा है, के संकेत दिए गए । लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी । इस सदन में रवीन्द्र शुक्ल ने भी प्रकरण उठाया, संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि देख लेंगे । सरकारी मशीनरी से रिपोर्ट आती है कि उनकी जिन्दगी को खतरा है लेकिन सरकार की तरफ से उनकी जिन्दगी की सुरक्षा के बारे में कोई उपाय नहीं किए गए । सदस्यों की जिन्दगी असुरक्षित रहेगी तो यहां हम लोग घटना के बाद चाहे दुख व्यक्त कर लें चाहे शोक प्रस्ताव कर लें इससे काम नहीं चलता है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार सोचे कम से कम विधायकों की सुरक्षा की गारंटी यह सरकार ले । प्रदेश की सुरक्षा तो इनके बस से बाहर है । विधायकों की सुरक्षा की गारंटी ले, जो स्वचालित शस्त्र हैं विधायक को नहीं दिए जाते हैं उनके सुरक्षा गार्ड के पास कार्बाइन जैसा हथियार होता तब भी कोई सुरक्षा होती । इस सारे उपायों पर सोच कर ईमानदारी के साथ कानून व्यवस्था पर कुछ इच्छा हो तो कार्यवाही करे । अन्यथा इसी तरह से प्रदेश को आग में झोंकने की नियत हो तो मुझे कुछ नहीं कहना है । यह बहुत अहम घटना है इस पर चर्चा की अनुमति दें ।

* डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यहां लगभग प्रतिदिन प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा होती है और हर बार सत्ता पक्ष की ओर से कभी संसदीय कार्य मंत्री जी कभी माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है कानून व्यवस्था की स्थिति हमारे नियंत्रण में है । मैं इस घटना के व्योरे में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि इसके पहले श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री विकल जी ने इस पर चर्चा कर दी है। अब इस घटना से दो प्रश्न उठते हैं कि क्या अपराधियों, गुण्डों, डकैतों, लुटेरों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि किसी प्रकार का भय उनमें नहीं है। जब चाहें वह ट्रेन में छुरे लेकर घुस जाएं। आखिर उस स्टेशन पर पुलिस होगी टास्क फोर्स होगा क्योंकि वह आतंकवादी क्षेत्र हैं। अब कोई भय इस शासन में गुण्डों और बदमाशों में नहीं है। श्री अग्रवाल जी इस विधान सभा के सदस्य हैं जो उत्तर प्रदेश का बहुत ही सम्माननीय सदन है। उनको गोली मारकर बिल्कुल हंसते खेलते बिना डर के अपराधी उतर गए। मुझे अच्छी तरह से स्मरण है मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में, इसी सत्र में कहा था कि सरकार इकबाल से चलती है। आज कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त है। अपराधी गुण्डा वर्ग बिल्कुल मस्त है। पुलिस अकर्मण्य है। सरकार का इकबाल बिल्कुल पस्त है। यह मामूली बात नहीं है। आज विधायक के प्राण बहुमूल्य हैं लेकिन सामान्य जनता की भी हमें चिन्ता करनी चाहिए। हम लोग सदन में जनता द्वारा ही चुनकर भेजे गए हैं। यह सरकार अपना इकबाल खो चुकी है। यह इकबाल पुनः ठीक हो इसका प्रयत्न करना पड़ेगा। आज जिस विषय पर हम यहां इस सदन में चर्चा कर रहे हैं, इसको हल्के ढंग से नहीं लिया जाए। यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है। पूरे प्रदेश की जनता की सुरक्षा का प्रश्न है। इसलिए सारे नियमों को निलम्बित करके इस पर चर्चा अवश्य करा लें। और सरकार से यह आश्वासन दिलाएं कि किसी भी तरह से वह अपने पुलिस प्रशासन को मजबूत करके, अपराधियों को संरक्षण नहीं देगी। कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़े। गुण्डा ऐक्ट आपने हटा दिया इससे अपराधियों के मनोबल बढ़े हैं। आपको राजनीतिक आत्मबल, इच्छाशक्ति बनानी पड़ेगी । कि हम किसी को नक्से में नहीं चाहे वह किसी भी दल का ही क्यों न हो। इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

* श्री जगदम्बिका पाल–

जिस दुखद घटना के संबंध में माननीय सदस्यों ने अपनी ग्राह्यता पर बल दिया है, मैं भी उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। लेकिन इस तरह की घटनाओं पर कोई राजनीतिक आलोचना नहीं होनी चाहिए। इन चीजों से ऊपर उठकर इस पर चर्चा की जानी चाहिए। जी० आर० पी० की क्या भूमिका है। प्रशासन की क्या भूमिका है। सरकार की क्या भूमिका है उससे ज्यादा दुखद यह है कि इस सदन के एक निहायत शरीफ विधायक के साथ जो घटना घटित हुई है। आज सुबह इस घटना को सुनकर, पढ़कर सबको उसका दुख है, सभी स्तब्ध हैं। मान्यवर, पूरे प्रदेश की जनता को माननीय नेता सदन और माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो वादा दिया जाता है और जो पिछले साल की तुलना करते हुये आंकड़े देकर कहा जाता है कि पिछले साल की तुलना में अपराध घटे हैं तो एक तरफ जनता के मानस में सुरक्षा व्याप्त होती है सरकार के बचन से, कथन से, दावे से वही दूसरी तरफ जब इस तरह की घटनायें घटित होती हैं चाहे वह लखनऊ में विगत एक माह में हत्यारों द्वारा 5 बच्चों की हत्या का मामला हो या गाजियाबाद-मुरादाबाद के बीच में आतताई लुटेरों द्वारा राजीव अग्रवाल के ऊपर प्राणघातक हमला हो तो यह सरकार की उस चुनौती का मखौल है जो वह जनता की सुरक्षा के लिये देती है। प्रदेश के वह लोग जो यह महसूस करते हैं कि वह कानून की परिधि से परे हैं, कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है या पुलिस प्रशासन उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है और वह इस तरह की दुस्साहसिक घटनायें कर रहे हैं जो पूरे प्रदेश के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये एक चुनौती है पूरा प्रदेश इससे भयाक्रान्त है और ऐसी घटनाओं से लोगों के मन में असुरक्षा की भावना व्याप्त होती है। मान्यवर, सभी ट्रेनों में रनिंग पुलिस चौकियों की व्यवस्था होती है, जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उसमें जी० आर० पी० का पूरा सेक्शन चलता है। जब उन लूटेरों को यह मालूम था कि गाड़ी में समुचित संख्या में पुलिस की व्यवस्था है और पुलिस के पास हथियार हैं तो उसके बावजूद बोगी को बन्द करके, पूरे यात्रियों को लूटना, प्रतिरोध करने पर विधायक और उनके अंगरक्षक और मित्र को गम्भीर रूप से घायल करना और बड़े आराम से ट्रेन से उतर जाना यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है। यह कार्य ऐसे इलाके में हुआ जहां आतंक वाद को समाप्त करने के लिये चप्पे-चप्पे पर कोंबिंग होती है, पूरे क्षेत्र में वायर लेस हैं, पुलिस चौकियां हैं और सचल दस्ते हैं उस इलाके में लुटेरे लूट कर गायब हो जायं और अभी तक गिरफ्तार न हों यह और भी चिन्ता का विषय है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि भाई राजीव अग्रवाल के ऊपर यह जो प्राणघातक हमला हुआ है इसको सरकार में किस ढंग से लिया है। सम्मानित विधायक पर हुआ यह हमला आज पूरे सदन पर हमला है। सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले विधायक प्रतिदिन अपने क्षेत्र के कामों के लिये रात दिन, जब भी काम होता है राजधानी आने के लिये चल देते हैं और यही सार्वजनिक जीवन की परिभाषा है। जैसा कि माननीय डंग जी ने कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि किसी भी राज्य में सरकार या राजा राज्य नहीं करता है उस राजा का इकबाल राज्य करता है ? खेद का विषय है कि जबसे यह सरकार बनी है चाहे प्रदेश की राजधानी में घटित घटना हो या प्रदेश के दूसरे हिस्से में घटित घटना हो, क्या कारण है कि अपराधियों के हौसले और उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है और अपराधी इस तरह की जो घटनायें कर रहे हैं वह गम्भीर चिंता का विषय है। मैं समझता हूं कि आज सदन में इससे ज्यादा गम्भीर विषय नहीं हो सकता है। सरकार ने इस घटना के बारे में क्या कार्यवाही की, विधायक की सुरक्षा और उनके उपचार के संबंध में क्या स्थिति है वह खतरे से बाहर हैं या खतरे में हैं, उनके अंगरक्षक उनके साथियों और ट्रेन के यात्रियों की क्या स्थिति है और अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में क्या स्थिति है इसकी जानकारी सदन में आनी चाहिये। भविष्य में इस तरह की घटनायें न घटित हों, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है इस संबंध में सरकार की तरफ से आश्वासन आना चाहिये। मान्यवर, इससे ज्यादा ग्राह्य और कोई विषय नहीं है।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, जब से हम लोग यहां चुन कर आये हैं, तब से आये दिन कोई न कोई दुखद घटना के विषय में हर लोग यहां पर चर्चा करते हैं और सरकार से यह आशा करते हैं कि उन विकट परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए वह कोई सक्षम और कारगर उपाय करेगी। उसी क्रम में हमारे विधायक राजीव अग्रवाल जी के साथ दुर्घटना हुई, वह अत्यन्त दुख:द और चिन्ता का विषय है। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त और अन्य लोगों ने उनके विषय में जो चिन्ता व्यक्त की है और उनके स्वास्थ्य के विषय में जो ईश्वर से कामना किया है, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, मैं 2-3 बिन्दुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। यह तो सही है कि अभी कई साथियों ने कहा कि राजा खुद नहीं शासन करता है, बल्कि उसका इकबाल शासन करता है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सरकार है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए जो विभिन्न मोहकमें हैं, चाहे आप उसे इंटेलीजेंस विभाग या उत्तर प्रदेश पुलिस या जी० आर० पी० कह लीजिए, अपने-अपने कार्य-कलापों के द्वारा जो अपराधी हैं, उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाये रखते हैं, ताकि वे आपराधिक काम न करें, लेकिन विभागों के अन्य ताल-मेल बिलकुल ध्वस्त हो चुका है, कानून-व्यवस्था को बनाये रखने के लिए व सब अलग-अलग दिशा में कार्य कर रहे हैं। यह भी मालूम होता है कि सरकार

अस्तित्व में आने के बाद जो विभिन्न स्तरों पर ट्रांसफर-पोस्टिंग की गयीं, उसमें योग्यता के मापदण्ड को ताख पर रख कर हम जिसको चाहते थे, दूसरे का हक मार कर ट्रांसफर-पोस्टिंग की गयी है, उसके कारण भी यह परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं । किसी में कोई ताल-मेल नहीं है । यह उसका परिणाम है । आज जो अभी यह चर्चा हो रही है कि विधायक को शैडो या गनर दे दिया जाय, यह तो सरकार दे सकती है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं, प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि जो आम जनता है, जिसके पास न कोई हथियार है, न कोई शैडो है, कौन सा उसके पास आत्मबल सरकार देना चाहती है, जिससे कि वह अपनी जान-माल और इज्जत को महफूज और असुरक्षित समझें ? आज जो मुझे लगता है और प्रदेश की जनता को लग रहा है, यह कि जो कानून और व्यवस्था है, उस पर शासन की पकड़ नहीं है,, बल्कि भगवान के भरोसे चल रही है । इसमें कानून-व्यवस्था का कोई योगदान नहीं है । यह जो विभिन्न अंग हैं कानून-व्यवस्था को बनाये रखने के लिए, उसमें सुनियोजित ढंग से ताल-मेल बैठाया जाय और जो उच्च अधिकारी हैं, उनको कानून-व्यवस्था की गिरती स्थित के लिये जिम्मेदार माना जाय और यदि कानून-व्यवस्था प्रदेश की गिरती है, तो उसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार है, उनको इसके लिए दंडित किया जाय, तभी उनके मन में यह भावना पैदा होगी कि यदि कानून-व्यवस्था भंग होगी, तो उनको दण्ड मिलेगा और अपराधों पर अंकुश लग सकेगा । भगवान से प्रार्थना है कि वह राजीव अग्रवाल जी को शक्ति दे कि वह स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच आयें और मैं अन्त में कहना चाहूंगा कि यह सरकार उनके इलाज के लिये अच्छी से अच्छी सुविधायें उपलब्ध कराये और उनकी सुरक्षा के लिये सारे प्रबन्ध करे । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण समाप्त करता हूं और अपनी सूचना पर बल देता हूं ।

* श्री वंशीधर भगत–

मान्यवर, जिस शर्मनाक दुर्घटना की चर्चा आज इस सदन में हो रही है, वह क्षेत्र और उस क्षेत्र के विधायक श्री राजीव अग्रवाल का क्षेत्र मेरे क्षेत्र से लगा हुआ है । प्रातः 4 बजे मुझे सूचित किया गया कि माननीय विधायक को गोलियों से घायल कर दिया गया है और उनके अंगरक्षक और एक सहयोगी को भी घायल कर दिया गया है, यह सूचना पाकर मैंने नैनीताल के जिलाधिकारी को टेलीफोन किया, लेकिन वह उपलब्ध न हो सके और इस पर मैंने ए० डी० एम० प्रशासन को टेलीफोन किया, उन्होंने बताया कि माननीय विधायक जी को मेरठ भेज दिया गया है और उनकी हालत गम्भीर है । मान्यवर, जिस डिब्बे में सफर कर रहे थे वह थ्री टायर का डिब्बा था, उसमें गार्ड भी होता है और उस ट्रेन में पुलिस की भी व्यवस्था होती है, लेकिन जिस तरह से रुस्तमपुर में 8–10 लोग उस डिब्बे मे चढ़े, उनके पास सभी प्रकार के हथियार थे और जब ट्रेन ने उस स्टेशन से प्रस्थान किया, तो आगे चलकर चैन खींचकर उतर गये और इस बीच उन्होंने विधायक को घायल कर दिया । उनको बचाने में उनके अंग रक्षक को भी घायल कर दिया गया । उक्त घटना से उस क्षेत्र में आतंक का वातावरण फैल गया है । काशीपुर और राम नगर के बाजार बन्द हो गये हैं, लोगों में भय व्याप्त हो गया है । मैं चाहता हूं कि इस मामले में माननीय विधायक को पूरी सुविधायें दी जायें और उनके इलाज के लिये जिन चीजों की आवश्यकता हो, जिस दवा की आवश्यकता हो, उसे उपलब्ध कराया जाये । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उस डिब्बे में गार्ड होता है, तो वह गार्ड उस समय कहां था और जिन लोगों ने इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अपराध को किया है, उनको अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाये, ताकि लोगों के मन में भय जो व्याप्त हो गया है, वह दूर हो सके। मान्यवर, नैनीताल में पिछले 2-3 महीनों से ऐसा लगता है कि कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। राहजनी कर लेना, बसों को लूट लेना दैनिक जीवन का अंग बन गया है। राम नगर से काशीपुर जाने वाली बसों को लूट लिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन उनका सहयोग कर रहा है। पीरूमदारा में एक पुलिस चौकी है, उसी के पास बसों को लूटा गया था, लेकिन आज तक लुटेरों का पता नहीं चल पाया है, मेरी जानकारी है कि उस घटना में दो पुलिस कर्मचारी लिप्त थे। उन्होंने शराब पीकर उस घटना को किया। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बात का पता लगाये कि वह तो पुलिस वाले कौन थे, जिनका नाम मैंने जिला प्रशासन को भी दे दिया है, इसकी जांच की जाये और अगर घटना सत्य है, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये और उनको दण्ड दिया जाये।

* श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, भाजपा के विधायक पर एक्सप्रेस ट्रेन में 6-7 सशस्त्र बदमाशों ने हथियारों से लैस होकर ट्रेन को लूटा और भाजपा के विधायक पर हमला किया और उनको गोलियां लगी, शैडो के विरोध करने पर उसको भी गोली मारी गयी और बदमाश उनका सर्विस रिवाल्वर छीन ले गये। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार में जो कानून व्यवस्था है वह पूरी तरह से ध्वस्त हो गयी है। जब विधायक सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश की आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। मान्यवर, जब विधायक को यह सरकार नहीं सुरक्षित रख पा रही है तो आम जनता को कैसे सुरक्षित रख पायेगी। मैं आग्रह करूंगा कि सरकार जनता को सुरक्षित रखने के लिए कोई कारगर कानून बनाये।

श्री कृष्ण वीर सिंह सिरोही–

माननीय अधिष्ठाता जी, आज इस सरकार की कानून व्यवस्था का जो जीता जागता उदाहरण है, वह आपके सामने है मैं श्री राजीव अग्रवाल और उनके परिवार से परिचित हूं और उनके परिवार से हमारे बहुत गहरे संबंध रहे हैं। इस सारे प्रकरण में माननीय सदस्यों ने अनेक बाते बताई हैं। एक बात जो इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि यह जो थ्री टायर का डिब्बा है यह काशीपुर से चलता है और लखनऊ तक आता है। इस पूरे ट्रेन में यही डिब्बा यहां आता है, इस पर वी० आई० पी० भी आते हैं और इसमें कोई ऐसी घटना, दुर्घटना हो जाय तो यह सरकार और प्रशासन की बहुत ही बड़ी लापरवारी है। मान्यवर, आज इस सरकार के आने पर उनके साथ यह घटना हुई है कल किसी भी माननीय सदस्य के साथ ऐसी घटना घट सकती है। मान्यवर, पहले हेड कांस्टेबिल गनर में दिये गये थे अब सब कांस्टेबिल की ड्यूटी हमारे साथ लगी हुई है, कुछ दिन बाद हो सकता है कि उनको भी हटाने की सरकार की कोई योजना हो। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे साथ हमारे विश्वास के स्वचालित शस्त्र के गनर दिये जायं और कांस्टेबिल की जगह हेड कांस्टेबिल दिया जाय, जैसा पहले चल रहा था उसी तरह से दिया जाय और इसी के साथ अपने इस नियम 311 पर बल देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इस पर चर्चा करायें।

---

* वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

* डा० राम बाबू हरित–

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारे सम्मानित साथी श्री राजीव जी अग्रवाल की हत्या का प्रयास बहुत ही निन्दनीय है । मान्यवर, इस कांड पर आपने माननीय राजेन्द्र गुप्त जी, माननीय विकल जी और अन्य सम्मानित साथियों को सुना और हमारे अन्य कांग्रेस दल,. जनता दल के सम्मानित नेताओं ने दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर इसकी निन्दा की है । मैं चाहूंगा कि सरकार को भी दलगत भावना से ऊपर उठकर इस पर शीघ्र आगे कार्यवाही करना चाहिए । मान्यवर, इस घटना ने हमें झकझोर दिया गया है । हमें ऐसा आभास होता है कि इस प्रदेश के अन्दर कोई अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी गिरोह काम कर रहा है, वह हमें दिखाना चाहता है, सरकार को हैमरिंग करना चाहता है कि हम जब चाहें, जिस तरह से चाहें, जिसको जिस तरह चाहे इस संसार से विदा कर सकते हैं । इसलिए इस गम्भीरता के विषय पर बहुत सजग रहकर आगे विचार करना पड़ेगा । मान्यवर, इस प्रकरण में उनके वाइटल आर्गन इंजर्ड हो गये हैं जिससे कि आदमी का जीवन बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उनकी जान किस तरह से बचाई जाय । मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे साथी को शीघ्र से शीघ्र आल इंडिया मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट को स्थानान्तरित कर दिया जाय ।

क्योंकि यहां प्रदेश की चिकित्सा सुविधा की स्थिति बहुत दयनीय है। कोई भी चिकित्सक मरीज से कहता है कि आपकी हालत बहुत खराब है भर्ती होना है तो रिप्लाई आता है कि मुझे कहां भेजना चाहते हो । मान्यवर, इस विषय को बहुत ही गम्भीरता से सोचना चाहिये । सरकार को सभी विधायकों और जनता की सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिये । आगरा में एस० पी० सिटी के गनर हैं, पुलिस के एक-दो प्रमुख लोग थे, डकैती में पाये गये, इन काण्डों को करने में सरकारी लोग लगे हुए हैं, इसमें गम्भीरता से आगे कार्यवाही करें ।

श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, हमारे मित्र को निर्मम रूप से घायल कर दिया गया उससे हम लोग दुखी हैं हम उनके स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना करते हैं । हमारे सभी साथियों ने घटना का पूरा विवरण आपके सामने रख दिया है । पूरी बोगी को बन्द करके, पूरी बोगी से लाखों रुपये की लूट की गयी, सर्विस रिवाल्वर शेडो का ले लिया गया, साथ ही अश्लील गालियां दी जा रही थी जो लुटेरे थे उनके द्वारा गालियां बसपा के लोग जातीय संघर्ष छेड़ने के लिये देते हैं, वही गालियां बोगी में दी गयी । वहीं से ऐसा वातावरण आया है । मान्यवर, घटना की जांच करते समय इस बिन्दु पर ध्यान रखा जाय कि कहीं इसमें जातीय संघर्ष की बू तो नहीं है । वही लोग सड़कों पर जातीय संघर्ष का तनाव उत्पन्न करते हैं, नारे लगाते हैं । कहीं वही लोग आक्रमण करके लूटपाट पर उतारू हो गये हों । दस्यु सम्राट ददुआ से जुड़े गया बाबा को फतेहपुर में शासन की ओर से गनर उपलब्ध करा दिया है । फूलन देवी को छोड़ दिया गया है । आज पूरे प्रदेश में तनाव की स्थिति पैदा की जा रही है । मैं आपका ध्यान इस गम्भीर विषय की ओर आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि हमारे मित्र को दिल्ली आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में शासन के खर्चे पर वायुयान द्वारा अविलम्ब भिजवाया जाय साथ ही अन्य लोग जो उसमें घायल हुए हैं उनके इलाज की व्यवस्था की जाय । ट्रेनों में घटनायें बढ़ी हैं डकैती की बुन्देलखण्ड और तराई के क्षेत्र

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में बसों और ट्रेनों पर यह घटनायें कुछ ज्यादा बढ़ी हैं । इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर पर्याप्त इन्तजाम करने की व्यवस्था की जाय ।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

मान्यवर, एक साथी विधायक आज जीवन मरण के प्रश्न पर झूल रहे हैं, भगवान करे उनकी जिन्दगी लम्बी हो । मान्यवर, आज साफ हो गया है कि प्रदेश में किसी की जिन्दगी सुरक्षित नहीं है । एक विधायक को ट्रेन में दो चार आदमी घायल कर देते हैं और आराम से वह चले जाते हैं इससे सहज ही कल्पना की जा सकती है कि आम आदमी की जिन्दगी कितनी कष्टकर हो गयी है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में बार-बार घोषणा की है कि अब स्थित में सुधार कर लिया जायेगा, अब आगे गड़बड़ी नहीं होगी लेकिन रोज ब रोज यह घटनायें हो रही हैं जो सहज ही कानून और व्यवस्था की गिरती स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट करती हैं । मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहती हूं कि एक विधायक जैसे व्यक्ति की अगर जिन्दगी इतनी असुरक्षित हो गयी है तो अराजकता की इस स्थिति से निपटने के लिये सरकार आगे क्या-क्या कदम उठा रही है इस पर गम्भीरता से सोचकर जानकारी दें । इसके अलावा जिस विधायक की स्थिति इतनी गम्भीर हो गयी है उसकी दवा की व्यवस्था तुरन्त दिल्ली में स्थानान्तरण करके करानी चाहिये । सरकार जानकारी दे कि वह हत्यारों को पकड़ने के लिए कौन से क्या कदम उठा रहे हैं । जिससे हम सब आश्वस्त हो सकें कि आगे हमारी अव्यवस्था सुव्यवस्था में बदलेगी ।

आज न केवल एक विधायक के साथ गुण्डागर्दी हो रही है, बल्कि आज हर एक के साथ, हर एक के घर में, हर जिले में यह स्थिति हो गयी है । जब एक विधायक के साथ चलती हुई ट्रेन में हो गया तो यह निश्चित ही एक गंभीर मामला है इसलिए सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर विचार किया जाये ।

* श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, यह जो घटना घटी है यह बड़ी ही दुःखद घटना है । मान्यवर, जब विधायिका की सेवा करने वाला व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा तो यह विधायिका, यह सरकार निश्चित रूप से प्रश्नों के घेरे में आकर खड़े हो जायेंगे । मान्यवर, आश्चर्य तो यह है कि पूरी घटना, एक सुनियोजित घटना है क्योंकि जब श्री राजीव कुमार जी काशीपुर से चले तो उनके साथ 7,8 लोग और चढ़े उसके बाद उनकी संख्या एक दर्जन हो गयी तो निश्चित तरीके से विधायक पर हमला करने की योजना थी । कुछ लोग काशीपुर से चले और कुछ लोग रुस्तमपुर से चढ़े और उन पर हमला किया । मान्यवर, पूरे डिब्बे को बन्द करके जिस तरीके से आतंक मचाया गया है, यह इस बात का संकेत है कि शासन और प्रशासन बदमाशों और डकैतों को खुला संरक्षण दे रही है और जिस तरीके से आज विधायकों का जीवन सुरक्षित नहीं रह गया है, इस सरकार को यह विचार कर लेना चाहिए कि इस प्रदेश का यदि महत्वपूर्ण व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा तो यह प्रदेश कहां जायेगा । मान्यवर, उनके अभिन्न मित्र, अनिल कुमार जी व उनके अंगरक्षक उनकी सुरक्षा करते समय घायल हो गये और आज विधायक जी भी अस्पताल में पड़े हुए हैं आज जिस तरीके से लूटमार की गयी है, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए । मैं यह भी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज पूरे पहाड़ों में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बंगला देश से आ रहे हैं और वहां के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लोगों का जीवन असुरक्षित हो गया है तो यह पहाड़ का प्रश्न है अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो स्थिति बेकाबू हो जायेगी ।

* श्री समरपाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि श्री राजीव अग्रवाल जी एक बहुत भोले-भाले इंसान थे और कई बार उन्होंने मेरे साथ ट्रेन में यात्रा भी की मुरादाबाद से । आज वह यहां उपस्थित नहीं हैं मैं उनकी जल्दी से जल्दी स्वास्थ की कामना करता हूं । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि मुरादाबाद में जो आज नंगा नाच मचा हुआ है उसमें पुलिस लिप्त है अभी हमारे एक साथी ने यह कहा कि पुलिस का लिप्त होना पाया गया है तो मैं इसका समर्थन करता हूं । उस एरिया के इंस्पेक्टर हैं, सुदर्शन सिंह, कई बार उनका नाम अखबारों में भी आया है, जो अपराधियों को शह देता है, पालता है और पैसे देकर कत्ल करवांता है, डकैती करवाता है, लूट करवाता है । कई बार रोडवेज की बसों को बदमाशों ने लूटा मगर कई बार उन्होंने लूटा हुआ पैसा वापस कर दिया और यह कहा कि हम इसको नहीं देंगे । मान्यवर, उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ इस क्षेत्र के माननीय सदस्य श्री रिजवानुल हक, जो तीन बार इस सदन के सदस्य रहे चुके हैं पर हमला हुआ और उन्होंने इस संबंध में उनकी शिकायत की । उनके छोटे भाई जो उन्हीं की शक्ल के लगते हैं को रिजवानुलहक समझकर भोला गिरोह के लोगो ने मार गिराया । तो यह स्थिति हो रही है मुरादाबाद की । उनके भाई को जब वह घर से निकल रहे थे तो घर के सामने ही, 30 मीटर की दूरी पर, गोली मार दी । माननीय रिजवानुल हक साहब ने कई बार शिकायत की कि भोला गिरोह मेरे पीछे लगा हुआ है, मगर प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंगी । उस गैंग ने कहा कि हमने धोखे से तेरे भाई को मार दिया है परन्तु तुझे भी मारेंगे ।

मान्यवर, मैं वही बात कहना चाह रहा हूं । यह कानून व्यवस्था की बात है । आज राजीव जी पर हमला हुआ है, पहले रिजवानुल हक के हमशक्ल भाई को मारा गया । इन सब घटनाओं के पीछे, चाहे कोई इंस्पेक्टर हो, चाहे कोई पुलिस कर्मचारी हो, उनको तुरन्त गिरफ्तार किया जाय और जेल भिजवाया जाय ।

* श्रीमती रानी देव लता–

मान्यवर, आज हमारे लिये यह सबसे दुख का कारण है कि पुरुष विधायक होते हुये, उनके साथ घटित दुखद घटना सुनने को मिल रही है । मुझे आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना है कि महिला विधायक, आम महिला और आम पुरुष के साथ सरकार क्या जन सुरक्षा दे सकती है, जब एक विधायक के साथ यह हो रहा है । मान्यवर, उनके साथ शैडो था, पिस्टल भी साथ में था, लेकिन हमलावरों ने उन पर हमला किया । मान्यवर, इस मामले में पुलिस के ऊपर तो कार्यवाही की ही जाय, इस घटना को जिन लोगों ने किया है, उनको भी सख्त सजा देने की कृपा की जाय ।

* श्री बदन सिंह–

मान्यवर, राजीव कुमार जी के साथ जो दुर्घटना हुयी है, उसने इस प्रदेश की शान्ति-व्यवस्था को उजागर कर दिया है कि यह कितनी दोषपूर्ण है । इस घटना के परिप्रेक्ष्य में, व्यवस्था के संबंध में दो-तीन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बातें कहना चाहता हूं। इस मार्ग पर जो काशीपुर से ट्रेन चलती है, इस तरह की घटनायें अक्सर इस ट्रेन में होती रहती हैं और अपराधी इतने अभ्यस्त हो गये हैं कि उन्होंने राजीव कुमार जी के जीवन को लेने के लिये कुचेष्टा की। इस शासन के द्वारा, जनसामान्य की सुरक्षा के लिये जिम्मेदार पुलिस विभाग द्वारा इन घटनाओं से सबक न लेकर, कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण सीधे पुलिस विभाग इसका जिम्मेदार है।

माननीय राजीव कुमार जी के साथ शैडो थे, सुरक्षा का साधन था, लेकिन उसे चिन्ता इस बात की थी कि यदि हथियार का प्रयोग करते हैं तो अन्य बहुत से यात्रियों की जान जा सकती है, लेकिन अपराध करने वालों को इसकी कोई चिन्ता नहीं थी, वह राजीव जी की जान लेने के लिये एक योजना के तहत चले थे, उन लोगों ने पूरी ट्रेन को लूट लिया और ऐसे स्थान पर, जहां सुरक्षित जानकर गाड़ी को रुकवाकर वह उतर गये। जहां से ये लोग रेल में बैठे थे, वह रेलवे स्टेशन थे, वहां पर पुलिस व्यवस्था थी और छूरे, चाकू लेकर यह लोग ट्रेन में बैठ रहे थे, उनको नहीं रोका गया, इससे शासन की सुरक्षा-व्यवस्था के नाम पर कमी साफ नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस इतने निकम्में अधिकारियों के हाथ में दे दी गयी है, जिसका मैं पहले ही सदन में कारण बता चुका हूं। प्रदेश में आमजन की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, विशिष्ठ व्यक्तियों की रक्षा नहीं हो पा रही है और स्थिति यहां तक पहुंच गयी है कि विशिष्ट से विशिष्ट और संरक्षित से संरक्षित स्थान पर अपराधी आदमियों की हत्या कर लाशों को फेंक सकते हैं, तो मैं आपके माध्यम से शासन को यह बताना चाहता हूं कि इनके अधिकारी स्वयं अचेत हैं क्योंकि आगरा के अन्दर लूट की एक घटना एस० पी० के गनर और चालक द्वारा की गयी और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुयी।

मैं तो यह कहना चाहता हूं कि ऐसा एस० पी० जिसके गनर और चालक लूट का काम करते हों और उस एस० पी० को यह आभास न हो सके कि मेरे साथ कैसे चालक और गनर लगे हुये हैं वह व्यक्ति कैसे शांति व्यवस्था कायम कर सकेगा आज इस प्रदेश के अन्दर घटनायें होती हैं और लाश मध्य प्रदेश की पुलिस ले जाती है। मैं चाहूंगा कि आज जिस प्रकार से पूरा सदन दुःखी है। माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी भी जब सुबह मिले थे तो उनका हृदय भी बड़ा दुःखी था। जब घटनायें हो जाती हैं तो उससे दुःखी होने से क्या होता है ? इन घटनाओं से सबक लेकर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे इनकी पुनरावृत्ति न हो। आज प्रदेश की शांति व्यवस्था का भार अयोग्य अधिकारियों के हाथों में है। आज आवश्यकता इस बात की है कि उनको हटाकर योग्य व्यक्तियों को यह व्यवस्था दी जाये जिससे इस प्रदेश की जनता की जान-माल की सुरक्षा हो सके। आपने जो बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिये मैं आभार व्यक्त करता हूं। अन्त में यह कहना चाहता हूं कि श्री राजीव अग्रवाल को बचाने के लिये उनको अच्छे से अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया जाये जिससे वह हमारे बीच आ सकें और उन्हें जनसेवा करने का मौका मिल सके।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

मान्यवर, इस माननीय सदन के वर्तमान सदस्य श्री राजीव अग्रवाल की अपराधियों ने जो निर्मम हत्या करने का प्रयास किया और जो गोलियां बरसायी गयी यह अत्यन्त दुःखद है और शांति-व्यवस्था के लिये एक चुनौती है।

राजस्व मंत्री (श्री बाबू राम यादव)–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय सदस्यगण हंस रहे हैं जबकि श्री राजीव अग्रवाल जी को गम्भीर चोटे आयी है । इनको जरा भी गम नहीं है । यह कितना गम्भीर विषय है । लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनको कोई चिन्ता नहीं है ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

मान्यवर, इस प्रदेश की जनता के अन्दर एक भय कायम हो गया है । सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले जन-प्रतिनिधियों, विधायकों के जीवन की सुरक्षा हो । कई बार कानून और व्यवस्था के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया और ये कानून-व्यवस्था के बारे में चुनौती को स्वीकार भी करते हैं लेकिन श्रीमन् शासन और प्रशासन विफल है, अपराधियों के हौसले बढ़ गये हैं, उन पर कोई अंकुश नहीं है । श्रीमन्, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जो श्री राजीव अग्रवाल पर प्राणघातक हमला करने का प्रयास किया गया, इस घटना को अगर आप राजनीतिक चश्में से न देखकर माननीय मंत्री जी गंभीरता से इस प्रकरण पर विचार करें और जो भी दोषी व्यक्ति या अपराधी हैं, उन अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही करने की व्यवस्था माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी करें । मान्यवर, यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों आज उत्तर प्रदेश की सरकार जो सुरक्षा चाहे शैडो हो या गनर हो । विधायकों को कुछ नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है । हर जिले में अपराधी तत्वों के पास गनर और शैडो हैं । विधायकों के पास जो शैडो और गनर थे, हर जिले में उन शैडो और गनर को वापस ले लिया गया है । मान्यवर, मैं इस पीठ से आशा करता हूं कि श्रीमन् इस सरकार को बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे । विधायकों की सुरक्षा के लिये अपराधी तत्वों को बढ़ावा न दिया जाय । प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी, श्री प्रमोद तिवारी जी और प्रधानमंत्री जी की जिस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गयी है उसी प्रकार विधायिकों को भी मान्यवर, ए श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाय । एक शैडो और एक गनर प्रत्येक विधायक को सुरक्षा की बिगड़ती हुयी स्थिति को देखते हुये शासन और यह सरकार यह कहने की घोषणा करे । आजकल एक गिरहकट भी अपराधी हो गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

दीक्षित जी कृपया आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उनके जो गनर और शैडो हैं वह सब उन्हें ही दिये जाते हैं । शासन में बने मंत्रियों के नौकरों के पास भी शैडो हैं । इस मंत्रि मंडल के एक दर्जन मंत्रियों के चापलूसों के पास गनर और शैडो हैं इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है । श्रीमन्, राजीव अग्रवाल की विशेष चिकित्सा दिल्ली इन्स्टीट्यूट से करायी जानी चाहिए । चिकित्सा के लिये यह सरकार कहे उनकी भावना को देखते हुये, उनके इलाज के धन की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था इस सरकार को करानी चाहिए । जो हमलावर है और जो हमलावरों को पास बैठाते हैं तथा जिन्होंने इस प्रकार की चेष्टा की है, उन व्यक्तियों को, उन अपराधियों को बारह घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कराने की भावना होनी चाहिए, सदन आपके साथ है । श्रीमन्, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं .....

(श्री अधिष्ठाता द्वारा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को पुकारे जाने पर)

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, राजीव अग्रवाल जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं, कल यहीं सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिये आ रहे थे । रोशनपुर पीपल साना के बीच पांच-छः बदमाशों के द्वारा लूटपाट की गयी और उनको चाकू, गोली से घायल भी किया गया, उनके गनर को भी चोट आई है और जो शैडो था उसका रिवाल्वर भी बदमाशों ने कब्जे में लेकर छीन लिया, हलांकि शैडो ने पूरी कोशिश भी की बदमाशों से मुकाबला करने के लिये, फायर भी किया है, उनकी तादात ज्यादा थी । बदमाश काशीपुर रेलवे स्टेशन से सवार हुये थे । माननीय सदस्य से जो उसी ट्रेन में थे उसी कूपे में किया गया, वहीं शुरू हुयी थी । इसके बाद पीपल साना के आउटर पर जब ट्रेन धीमी हुयी तब वह कूदकर चले गये । पीपल साना के जी० आर० पी० की एक टुकड़ी चलती है, ट्रेन में हैड कान्सटेबिल और कान्सटेबिल आये, उनसे कहा गया कि एक गाड़ी मुरादाबाद भेजो, गाड़ी मुरादाबाद आई, उनको मुरादाबाद में तत्काल अस्पताल में ले जाया गया । वहां पर पुलिस अधीक्षक और जिला मैजिस्ट्रेट भी पहुंचे, उन्हें प्राइवेट नर्सिंग होम में दाखिल कराया गया क्योंकि उनके लीवर के पास गोली फंसी थी, प्राइवेट नर्सिंग होम में व्यवस्था न होने के कारण उन्हें तत्काल मेरठ मेडिकल कालेज भेजा गया । मेरठ मेडिकल कालेज को पहले से ही निर्देश दे दिये गये थे कि उनके इलाज व आपरेशन की तैयारी कर ली जाय । लिखित जानकारी तो मेरे पास नहीं है परन्तु टेलीफोन से हमने जो जानकारी प्राप्त की है, उसके अनुसार उनका आपरेशन हो चुका है और गोली निकाल दी गई है । स्थिति तो गम्भीर है लेकिन डाक्टरों ने उनके प्राणों की रक्षा करने का विश्वास दिलाया है । हम इस मामले को कोई राजनैतिक व वाद-विवाद से जोड़ना नहीं चाहते हैं । जैसा कि अन्य लोगों ने कहा कि सरकार नाकाबिल है और कानून-व्यवस्था पंगु हो गई है, उसका माकूल जवाब हम बाद में देंगे । इस समय तो हमारी चिन्ता केवल विधायक जी के प्राणों की रक्षा का है । उनके प्राणों की रक्षा के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी । जिन्होंने यह अपराध किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं, हम फिर से दुबारा निर्देश दे देते हैं ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, कई माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये । उसमें एक चीज यह उभर कर आई कि श्री राजीव जी के पास जो अंगरक्षक था, उसने हमलावरों का मुकाबला किया । यह भी कहा गया कि कुछ के गनर्स ले लिये गये हैं । यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है । इधर के लोग भी हो सकते हैं और उधर के लोग भी हो सकते हैं । बहुत लोगों को अभी तक अंग रक्षक नहीं मिल पाये हैं । इसलिए सरकार यह निर्णय ले ले कि जिन विधायकों को अंग रक्षक अभी तक नहीं दिये गये हैं, उनको अंग रक्षक दे दिया जायेगा ।

दूसरा, यह कि श्री राजीव अग्रवाल जी की जो अद्यतन स्थिति है, उसके बारे में यहां पर बताया गया । माननीय नेता विरोधी दल भी शासकीय साधन से वहां पर गये हैं स्थिति की जानकारी करने के लिए । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस घटना के लिए जो दोषी लोग हैं, उनका पता लगाने के लिए क्या कोई विशेष आदेश दिये गये हैं । माननीय नेता कांग्रेस दल ने भी चिन्ता प्रकट की है । आतंकवादी इलाका है । हम जानते हैं कि वहां पर स्टेशनों पर टास्क फोर्स लगायी गयी है । इसलिए इस बात की भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

जांच होनी चाहिये कि जिन अधिकारियों ने वहां पर शिथिलता बरती है, वे कौन हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, विधायकों को अंग रक्षक देने के निर्देश पहले से ही दे दिये गये हैं । माननीय गुप्ता जी बता दें कि किसको अंग रक्षक नहीं मिल पाया है, उनको अंग रक्षक मिल जायेगा । इस प्रकरण में कोई भी शिथिलता नहीं बरती जायेगी और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, पूरा सदन चिन्तित है कि उंनकी अद्यतन स्थिति क्या है ? जिलाधिकारी मेरठ से सम्पर्क कर लिया जाय और उससे सदन को अवगत करा दिया जाय । ताकि हम लोगों की चिन्ता कुछ कम हो सके ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, एक घण्टे पहले ही मालूम किया गया था कि आपरेशन हो गया है, गोली निकाल दी गई थी । यह सही है कि स्थिति गम्भीर है । डाक्टरों ने विश्वास दिलाया है कि उनके प्राणों की रक्षा हो जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

इस संबंध में मेरा एक निवेदन था .....

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, कार्यवाही समाप्त होने से पूर्व 4 बजे तक उनकी अद्यतन स्थिति से संसदीय कार्य मंत्री जी अवगत करा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने इस 311 की सूचना पर जो माननीय राजीव कुमार पर प्राणघतक हमला हुआ और उनके साथ जो थे उन पर हमला हुआ और लूटपाट हुई । उसके संबंध में मैंने जिन माननीय सदस्यों की नोटिस थी उनको सुना और उनके अलावा 5 और माननीय सदस्यों को सुना सब मिला कर 20 सदस्यों को सुना तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भी ध्यानपूर्वक सुना । इसमें ऐसा है कि यह नियम 311 का विषय नहीं बनता है । लेकिन इस निर्देश के साथ कि श्री राजीव कुमार के ऊपर जो प्राणघातक हमला हुआ है उसमें शासन तुरन्त श्री राजीव कुमार अग्रवाल की समुचित चिकित्सा शासकीय खर्च पर कराये और अपराधियों को पकड़ने के लिये जैसा माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कहा है कि कोई विशेष आदेश देकर अंगर प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही है, अपराधियों को गिरफ्तार किया जाय और उन पर मुकदमा चलाया जाय और उन्हें दण्डित किया जाय । शासन को यह भी निर्देश दे रहा हूं कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और अंकुश लगाने के लिये पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को और प्रशासनिक अधिकारियों को सम्यक कड़े से कड़े निर्देश दें ताकि भविष्य में माननीय सदस्यों और आम जनता के जानमाल की रक्षा हो । इस निर्देश कि साथ मैं इसे नियम 311 के बारे में अग्राह्य करता हूं आगे की कार्यवाही ले रहा हूं । कुछ मा० सदस्यों ने 311 के बारे में और नोटिस दी हैं जिनको पढ़ना जरूरी नहीं हैं इसलिये जो सूचनायें हैं मैं अग्राह्य करता हूं (व्यवधान)

औचित्य का प्रश्न की सूचनायें अग्राह्य करने की सूचना

श्री अधिष्ठाता–

नियम 300 की सूचना की जो नोटिस हैं उनको भी अग्राह्य करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा–

(व्यवधान) एक मिनट सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 4 (व्यवधान) श्री धनराज यादव।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, हमारी सूचना है (व्यवधान)

जिलाधिकारियों द्वारा विधायकों पर मुकदमें दर्ज करने विषयक औचित्य के प्रश्न के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान) परसों आपको स्मरण होगा औचित्य के प्रश्न के रूप में मैंने एक मामला उठाने का प्रयास किया था। यह पहला दिन था जब उस प्रश्न के औचित्य को समझते हुये सभी दलों के सदस्यों ने दलगत सीमा से ऊपर उठ कर उसका समर्थन किया था। जिलाधिकारियों की ओर से एक गलत तरीके से मुकदमा दायर किया जा रहा है। उस औचित्य के प्रश्न को अग्राह्य कर दिया था लेकिन अग्राह्य करते हुये उस समय अधिष्ठाता के रूप में माननीय अशोक बाजपेयी जी थे उन्होंने यह व्यवस्था दी थी कि आज के दिन किसी दूसरे रूप में दें तो जरूर विचार करेंगे। मैंने नियमावली देखने का प्रयास किया था आपके हिसाब से औचित्य के रूप में नहीं आता मेरे हिसाब से आता है।

श्री अधिष्ठाता–

इसलिये कि जो शेषन का मामला है उसके संबंध में जो इलैक्शन कमीशन का मामला है वह (व्यवधान) यहां नहीं लिया जा सकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है (व्यवधान) एक मिनट सुन लें।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने चुनाव आयोग का नाम नहीं लिया है बल्कि मैंने यह कहा है कि जिलाधिकारियों द्वारा जो सी० आर० पी० सी० की धारा 133 है, उसको देखें, उसका बहाना लेकर विधायकों पर मुकदमें दायर किये जा रहे हैं। इसलिये मैं आपकी अनुमति से।

श्री अधिष्ठाता–

क्या आप इस बात को बतायेंगे कि चुनाव आयोग ने चुनाव की प्रक्रिया जब शुरू किया था तो उस समय राज्य सरकार के अधिकारियों को भी चुनाव के कार्यों में लगाया था और वह जितने अधिकारी थे, जैसे प्रोसाइडिंग अधिकारी, पोलिंग आफिसर तक, सभी चुनाव आयोग के अन्तर्गत काम कर रहे थे, तो इसकी भी आप व्याख्या करें ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं आपका आभारी हूं कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया । मान्यवर, पहले चुनाव आयोग का काम तो सुन लें ।

संविधान की धारा 324 को मैं आपकी अनुमति से पढ़ना चाहता हूं जिसमें लिखा है–निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना–(1) इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मण्डल के लिए कराए जाने वले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक-नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण आयोग.का काम होगा । आयोग का काम है कि चुनाव का नोटिफिकेशन हुआ, चुनाव हुए और उसका रिजल्ट आऊट कर दिया । मान्यवर, चुनाव में हम लोगों ने स्वयं या हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने विवेक से दीवारों पर नाम लिखा था तो उस समय कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं की गयी थी कि दीवारों पर लिखेंगे तो उसको मिटायेंगे भी । इसलिये दीवरों पर लिखा गया । यदि पता होता, चुनाव निदेशन में होता कि दीवारों पर नहीं लिखा जाएगा तो न लिखते । चुनाव अब समाप्त हो गये हैं, हम लोग निर्वाचित होकर सदस्य बन गये हैं और समझता हूं कि संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग का काम समाप्त हो गया । फिर उसके बाद कोई वाह्य शक्ति, जिलाधिकारियों को अधिकार है कि सी० आर० पी० सी० की धारा 133 के तहत मुकदमें दायर कर सकते हैं, यदि वह राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो और व्यथित व्यक्ति इस बात की शिकायत करे कि दीवाल पर लिखने से उसे क्षति हुई है । मान्यवर, आई०पी० सी० की धारा 425 और 426 का सहारा लेकर मुकदमें दायर कर दिये गये हैं । लेकिन विचार करने की बात है कि जिलाधिकारी के संज्ञान में यह बात कौन लाएगा ? क्या कोई वाह्य शक्ति जिलाधिकारियों पर दबाव डाल सकती है कि वह विधायकों पर मुकदमें दायर करें ।

इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को प्राधिकृत किया है न्यूसेन्स को ध्यान में रखकर विधायकों के विरुद्ध मुकदमें दर्ज किये जाएं ? यदि सरकार ने आदेश नहीं दिया है तो क्या जिलाधिकारियों को मुकदमें दायर करने का अधिकार है ? मेरा आरोप है शासन पर कि दीवारों पर कुछ लिखा है तो उसमें भेद कैसे किया जाएगा क्योंकि अश्लील चित्र दीवारों पर बनें हैं, विज्ञापन बने हैं और उन पर रोक नहीं है । तो क्या मात्र चुनावी नारों ने ही व्यथित किया है, इसलिये विधायकों के विरुद्ध मुकदमें दायर किये जा रहे हैं ।.....

यह सभी तरह से औचित्य का प्रश्न बनता है, जिससे पूरे विधायकों में एक पैनिक पैदा हो रहा है कि कल मैं अपराधी घोषित कर दिया जाऊंगा । इसलिये इस सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा की जाये । यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है, यह सवाल विधि-व्यवस्था से सम्बद्ध है और इस बात से सम्बन्धित है जो गैर कानूनी तरीके से माननीय विधायकों को लम्बित करने का प्रयास किया जा रहा है।

(व्यवधान)

(श्री प्रमोद तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

यह चुनाव आयोग और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के अधीन है, इसलिये उनकी बात कुछ कहें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

उस काम के लिये आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

वह भी मिलेगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता जी, यह अत्यन्त गम्भीर विषय है । इससे चार बिन्दु है, जिन्हें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं । इस सदन को देखना पड़ेगा और भावनायें देखनी पड़ेगी कि इस समय चुनाव लड़ने कोई गया, उसके सामने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गयी कि जब चुनाव हो जायेगा तो उसे उसके सम्बन्ध में लिखी बाल राइटिंग भिजवानी पड़ेगी । तो हो सकता है कि बहुत से प्रत्याशी चुनाव लड़ना ही पसन्द न करते । तो क्या चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद पूर्व से प्रारम्भ होने वाला कोई निर्णय शेषन साहब इस तरह से ले सकते हैं ? क्या उनके इस निर्णय का उत्तर प्रदेश सरकार पालन करेगी ? जब चुनाव में गये तो हमसे नहीं कहा गया था, हमसे अपेक्षा नही की गई थी, कोई ऐसी शर्त सामने नहीं रखी गयी थी कि जब चुनाव के बाद वाल राइटिंग मिटानी, मिटवानी पड़ेगी । दूसरा प्रश्न, आज हमसे कहा जा रहा है, तो संविधान के विपरीत क्या यह हुआ ? क्योंकि संविधान में साफ तिथि दी गई है कि जिस दिन चुनाव घोषणा का नोटीफिकेशन होगा, उस दिन से हम लोग चुनाव आयोग के अधीन आजाते हैं । उसके बाद नामांकन और प्रचार, फिर मत गणना होती है और फिर चुनाव की घोषणा होती है और इस तरह घोषणा के बाद नोटीफिकेशन का अन्त हो जाता है । उसके बाद लडने वाला उम्मीदवार, पराजित होने वाला उम्मीदवार पूरे तरीके से चुनाव आयोग के बन्धन से, सिर्फ एक बिन्दु को छोडकर बाहर आ जाता है । और फिर वह बिन्दु यह है कि उसे चुनाव आयोग को चुनाव खर्च की जानकारी देनी होती है। तो क्या यह तुगलकी निर्णय जिसका संविधान में कहीं कोई दूर तक वास्ता नहीं है, तो चुनाव नोटीफिकेशन की तिथि बीत जाने के बाद चुनाव आयोग । चुनाव आयुक्त की कोई घोषणा हम पर लागू नहीं होती है । तींसरा बिन्दु यह है कि चुनाव में हमें जाना होता है तो बाल राइटिंग का कार्य हमारे कार्यकर्ता, समर्थक और शुभ चिन्तक किया करते हैं । किसी ने अपनी दीवाल पर हमारे नेता का, राष्ट्रीय नेता का नाम, नारा लिखवाना, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहीं दीवालों पर कोई नाम लिखा है, उनके किसी समर्थक भक्त ने लिखा है और हम पहुंच जायें उसको मिटाने के लिये तो हम मिटाने वालों को वह दीवाल मालिक हमें डंडा लेकर दौडा नहीं लेगा कि तुम कौन होते हो हमारी अपनी दीवाल में हमारे लिखे को मिटाने वाले । इसमें हमारे सामने दूसरा भय यह बना हुआ है कि जब मिटवाने जायेंगे तो उसमें खर्चा भी होगा, तो शेषन साहब हमसे यह न पूछ ले कि इसमें कितना खर्च हुआ है । यह खर्च उस में तो नहीं शामिल किया जायेगा, जो चुनाव आयोग को हमको देना है । तो हमारे जैसे लोग जिनके पास 1/2 हजार ही मार्जिन बची है, उस पर कैसे खर्च कर पायेंगे । इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि यह अधिकारियों के हाथ में असीमित अधिकार दे रखा है । जिससे अधिकारी वैमनस्य रखता होगा, उसके खिलाफ वह किसी भी कम्पलेंट ले लेगा और पांच-दस साल हम पर मुकदमा चलता रहेगा, तब कही दसों साल बाद जाकर यह तय हो पायेगा कि हमने लिखवाया या नहीं । हम दोषी हैं या नहीं ।

आज सात साल बाद 133 की जो परमीशन होती है लोअर कोर्ट से प्रारम्भ होगी । हम विधायक के रूप में अपना दायित्व पूरा करने में असमर्थ रहेंगे क्योंकि हर हफ्ते हमें हाजिरी के लिए कोर्ट में उपस्थित होना होगा । पांचवा बिन्दु जो आपने उठाया गम्भीर है । माननीय निर्वाचन आयुक्त महोदय ने जब हमारी सुविधायें ली थीं, एक स्पैसिफिक पीरियेड के लिए ली थीं । नोटीफिकेशन से लेकर नोटीफिकेशन के अन्त तक । अब कहां तक उनके हुकुम से सरकारी कर्मचारी बजाते हैं । होना तो यह चाहिए कि दृढ़ता के साथ उनके आदेश को नकार दें । कोई भी निर्देश इस तरह का चुनाव के समय नहीं था । इस तरह का कोई अनुबन्ध नहीं था कि चुनाव प्रक्रिया के बाद दीवारों पर मिटवायेंगे । मान्यवर, यह एक रहस्यमय बीमारी चली है ।

श्री अधिष्ठाता–

क्या चुनाव आयोग का यह निर्देश संविधान के खिलाफ है ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह तुगलकी आदेश है । संविधान की मूल भावना के विपरीत है । उनकी तुनकमिजाजी को सन्तुष्ट करने वाला है । मान्यवर, इधर यह परम्परा बन गयी है कि कोई इस तरह की बात वहां बैठे-बैठे कह देते हैं जिससे यह छाये रहें । इन बातों का संविधान से दूर-दराज तक कोई संबंध नहीं होता है । मैं किरन पाल जी के लिए कह दूं, इनके लिए बड़ी खतरनाक बात है । माननीय किरन पाल जी अगौता निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आये हैं । लगातार सत्र में यहां हैं । जो इनसे चुनाव हारने वाले हैं वह वहां चहारदीवारी पर लिखवा दें "किरन पाल जी को वोट दें" । मान्यवर, इस प्रकार से दीवारों पर जो कुछ चुनाव के समय लिखा जाता है उस पर कोई तिथि या लिखने वाले का नाम या सौजन्य से तो लिखा नहीं रहता है । इस तरह से यह कैसे साबित हो सकता है कि किसने लिखवाया है । अब पता चला कि माननीय किरनपाल जी उसे मिटवा रहे हैं । मान्यवर, यह अव्यवहारिक आदेश है । संविधान के विरुद्ध आदेश है । पूरी तरह से एक ऐसा आदेश है कि चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद उसके पूर्व के क्रिया-कलापों को नियंत्रित करने वाला है । चुनाव के समय कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं उसके बाद चुनाव लड़कर आते हैं । अब इसके बाद यह नई शर्तें रखी जा रही हैं । मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में नहीं मालूम कि वहां किस-किस गांव, गली में क्या-क्या दीवारों पर लिखा गया है और उसको मिटवाने में लग जाऊं तो मेरा बचा हुआ कार्य-काल पूरा इसी में निकल जायेगा और मैं अपने विधायक के कर्तव्य को पूरा करने में असमर्थ रहूंगा । मुझे दुख इस बात का है कि सरकार ऐसे आदेश का पालन क्यों कर रही है ? सरकार साफ-साफ कह दे कि इसका पालन नहीं करेंगे । विधायकों की गरिमा की रक्षा के लिए हम इसको नहीं मानते हैं । सम्पूर्ण सदन एक मत है ऐसे आदेश के खिलाफ । दलों के भेद को मिटाकर हम न्यायालय में जायेंगे, जनता की अदालत में जायेंगे परन्तु तुगलकी आदेश को नहीं मानेंगे ।

* श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, जो विषय इस समय सदन में चल रहा है, गम्भीर विषय है । चुनाव आयोग का नाम आ रहा है । मैंने भी कहा था कि चुनाव आयोग का न्यायिक दर्जा नहीं है । संवैधानिक दर्जा है । इसमें यहां पर चर्चा होने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए । चुनाव होता है । नोटीफिकेशन से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चुनाव की घोषणा तक कार्य होता है । जब नोटीफिकेशन समाप्त हो गया है तो क्या आज भी मुख्य चुनाव आयुक्त के अण्डर में काम हो रहा है । क्या जो रिटर्निंग आफीसर हैं वह आज भी हमारे रिटर्निंग आफीसर हैं ? चुनाव आयोग को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है कि इसमें नोटिफिकेशन के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होने पर कार्यवाही करे । श्रीमन्, 425/26 आई० पी० सी० की धारा है :–

नो मजिट्रेड कैन प्राहिविट ह्वाट वाज लाफुल विफोर दी डेट आफ हिज आर्डर कोई मजिस्ट्रेट इम्पावर्ड नहीं है ।

दूसरा देखिये इसमें जो है :–

नो आर्डर इ्यूली मेड बाई ए मजिस्ट्रेट अण्डर दिस सेक्सन शैल बी काल्ड इन क्वेश्चन इन एनी सिविल कोर्ट ।

सवाल इसमें यह है कि कोर्ट का इसमें आदेश होगा, सजा होगी फिर हम किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं । हम लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग को कोई अधिकार अब नहीं रह गया है चुनाव संबंधी मामलों में । एक धारा बाद में बचती है खर्चों के बारे में । रिटर्न न जमा करें तो डिवार कर सकते हैं । चुनाव आयोग ने कोई बात कही है उसका भय व्याप्त है । मैं सरकार से कहूंगा, निवेदन करूंगा कि इस आदेश को बिल्कुल न मानें । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इसमें कोई संशय है तो एडवोकेट जनरल से उत्तर प्रदेश सरकार इसमें राय मांग ले । सूचना आ गयी जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तरों में मुकद्दमें कायम हों, इसमें विधायकों को अपमानित किया जाये यह अच्छी बात नहीं है । एडवोकेट जनरल की राय लेकर सरकार कोई कार्यवाही कराये ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह लिखा नहीं जायेगा । कोई बात लिखी नहीं जायेगी । मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं । माननीय पाल जी, आपसे निवेदन कर रहा हूं । स्वर्गीय आत्माराम खेर जी होते तो इतने लोग खड़े होकर न बोलते । मैंने कह दिया किसी माननीय सदस्य को इसके आगे नहीं बोलने दूंगा ।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, परसों इस संबंध में प्रश्न उठाया गया था ।

श्री अधिष्ठाता–

आपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि जो माननीय सदस्य दीवारों पर लिखवाये हैं उनके ऊपर मुकदमा चलायें ? यह माननीय सदस्यों का प्रश्न है इसमें आप बतायें ?

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह सूचना मंगायी जा रही है निर्वाचन आयोग से मंगा रहे हैं संवैधानिक संस्था है । इस प्रश्न को परसों उपस्थित किया गया था ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं सरकार से घोषणा चाहता हूं कि अगर कोई विधायक के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है तो उसके विरुद्ध आप कार्यवाही करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जिलाधिकारी चुनाव आयोग के अधीन नहीं है । चुनाव आयोग चुनाव कराने तक ही आदेश दे सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग आसन ग्रहण करें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

आप व्यवस्था का सवाल सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

पहले संसदीय कार्य मंत्री को आप लोग सुन लें उसके बाद आप कोई बात उनसे पूछ सकते हैं ।

माननीय सदस्यों ने दो आपत्ति प्रकट की है । एक आपत्ति यह है कि चुनाव आयोग का काम जब खर्च दाखिल कर दिया जाता है तब समाप्त हो जाता है । उसके बाद क्या चुनाव आयोग इस तरह की कार्यवाहियां करने का संवैधानिक अधिकार रखता है । दूसरा क्या चुनाव आयोग के कहने पर जिलाधिकारियों ने आदेश निर्गत किए हैं कि जिन जिन माननीय सदस्यों ने दीवालों पर लिख रखा है, उसके खिलाफ मुकदमें चलाए जाएं । यह क्लेरीफिकेशन संसदीय कार्य मंत्री कर दें ।

(कई सदस्यों के साथ खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठ जाएं पहले संसदीय कार्य मंत्री को इस पर सुन लें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

क्या चुनाव आयोग को कानून बनाने का अधिकार है । जो यह आदेश दिए गए हैं तो क्या विधायक के पूर्ववर्ती कार्यों के लिए कानून बनाया जा सकता है । चूंकि इस तरह का आदेश दिया ही नहीं जा सकता है । वह सिद्धान्तों और मर्यादाओं के विपरीत है । तो क्या चुनाव आयोग के गलत कार्यों के सम्बन्ध में जिससे विधायक का सम्मान नष्ट होता है वह इस सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप पहले संसदीय कार्यमंत्री को सुन लें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मैंने पहले भी इस सम्बन्ध में अध्यक्ष पीठ से दिए गए निर्णयों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया है और भी आपको दृष्टान्त मिल जाएंगे । कोई भी माननीय सदस्य अपनी अनुज्ञा पर उत्तर देने के लिए सरकार को बाध्य नहीं कर सकता है । चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है । अध्यक्ष पीठ से तमाम निर्णय हो चुके हैं । चुनाव आयोग के कर्तव्य और अधिकारों के सम्बन्ध में विधान सभा को अधिकार नहीं है । यह संवैधानिक संस्था है । राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उसका सहयोग करे । इस पर चर्चा करने का श्रीमन्, हमको अधिकार नहीं है । चुनाव आचार संहिता के तहत अगर आयोग कोई आदेश दे रहा है तो उस पर चर्चा करने के लिए हम लोग अधिग्रहीत नहीं है । आप चुनाव आयोग से सम्पर्क करें ।

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई आदेश अपने जिलाधिकारियों को दिया है कि नहीं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरह के आदेश नहीं दिए हैं । आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में निर्वाचन आयोग की तरफ से यह कार्यवाही हो रही है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मेरे प्रश्न का उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया है ।

श्री अधिष्ठाता–

एक प्रश्न का उत्तर दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी कोई आदेश नहीं दिया है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, उन्होंने आदेश नहीं दिया है तो जो जिलाधिकारी हैं वह चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं । नोटीफिकेशन होने के बाद, चुनाव के बाद चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन जिलाधिकारी किन परिस्थितियों में कर रहे हैं । मेरा कहना है कि संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है लेकिन उन्होंने थोड़ा सा घुमाया है और कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है, उनकी जानकारी का मैं स्वागत करता हूं, मैं यह मानकर चलता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश नहीं दिया है । अगर इसके बावजूद कोई जिलाधिकारी या परगनाधिकारी मुकदमा कायम करता है तो वह दोषी होगा और मेरा निवेदन है कि ऐसा करने वाले अधिकारी को विधान सभा में बुलाया जाय और प्रताड़ित किया जाय कि वह जो कर रहे हैं वह विधान सभा के माननीय सदस्यों की भावनाओं के विपरीत कर रहे हैं । चुनाव आयोग अपने अधिकारों की परिधि से बाहर जा रहा है और अपने अधिकारों का अतिक्रमण करके विधायकों का अपमान कर रहा है । अगर कोई अधिकारी विधायकों के प्रति इस प्रकार की कार्यवाही करता है तो उसको यहां बुलायें और प्रताड़ित करें ताकि भविष्य में कोई विधायकों के खिलाफ, उनके सम्मान के खिलाफ इस तरह की कार्यवाही न कर सके ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं इस संबंध में संविधान निर्मात्री परिषद् की एक व्यवस्था की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अभी बहस नहीं हो रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जिलाधिकारियों का कर्तव्य क्या है चुनाव कराने में सहयोग प्रदान करना, निर्वाचक नामावलियां तैयार कराने का काम, यह जो काम हैं वह जिलाधिकारी के हैं । जिस दिन नोटीफिकेशन हो गया निर्वाचन होने का उसके बाद चुनाव आयोग का काम समाप्त हो जाता है । जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि यदि हम रिटर्न दाखिल न करें तो जिलाधिकारी को अधिकार है कि वह चुनाव आयोग को सूचित करें कि अमुक व्यक्तियों ने चुनाव खर्च का रिटर्न दाखिल नहीं किया है । इसके अलावा जिलाधिकारी का और कोई काम नहीं रह जाता है निर्वाचन के सम्बन्ध में । जिलाधिकारी का एक अधिकार और है कि पब्लिक न्यूसियेंस का नाम लेकर हम पर मुकदमा दायर कर सकता है लेकिन उसके लिये एक प्रक्रिया है । वह प्रक्रिया यह है कि व्यथित व्यक्ति सूचित करे या पुलिस सूचित करे तो वह मुकदमा कायम कर सकता है । इसके अलावा सी०आर०पी०सी० में कोई प्राविधान नहीं है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

अधिष्ठाता जी, गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है, अध्यक्ष महोदय आने वाले हैं । आप जिस पीठ पर विराजमान हैं अगर उस पीठ से आप हट गये तो हम लोगों को दोबारा बोलना पड़ेगा । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जब तक यह बहस समाप्त न हो जाय तब तक उस पीठ पर आप विराजमान रहें ।

(हंसी)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि जिलाधिकारी को कोई अधिकार नहीं है कि व्यथित व्यक्ति के अलावा अन्य किसी बाह्य शक्ति के आदेश को मानकर हम पर कार्यवाही करें । मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया और व्यथित व्यक्ति या पुलिस ने कोई सूचना नहीं दी है तो जिलाधिकारी किसके आदेश पर ऐसा कर रहे हैं । चुनाव आयोग को कोई अधिकार नहीं है कि वह जिलाधिकारी को निर्देशित करे और हम पर मुकदमा दायर कराये । अब अगर यहां पर प्रशासन, जिलाधिकारी, दण्डाधिकारी मजिस्ट्रेट जो हैं, वे प्रशासन से बिल्कुल अलग हो गये हैं, मुकदमा अगर दायर कर दिया, मुझे जानकारी मिली है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ मुकदमा दायर हो रहा है, मुकदमा सबके खिलाफ दायर हो रहा है । हम चुनाव आयोग के कार्य-कलाप का वर्णन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन होने के बाद, चुने जाने की घोषणा के बाद, चुनाव आयोग को अधिकार नहीं है कि वह जिलाधिकारी को आदेशित करे । इस संबंध में माननीय जनता दल के नेता किरन पाल सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही । इस सन्दर्भ में पहले भी बात आयी है । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस संबंध में आप कोई व्यवस्था न दें, व्यवस्था सुरक्षित कर लें, शासन को निर्देश दे दें कि जब तक एडवोकेट जनरल की बात आदरणीय सदन न सुन ले, तब तक कोई मुकदमा किसी सदस्य पर न दायर किया जाय । एडवोकेट जनरल इस सदन में पहले भी आये हैं । एडवोकेट जनरल को यहां पर बुलाकर उनकी राय मान्यवर, जान लें, तब तक के लिए इस संबंध में शासन आश्वासन दे दे कि किसी भी विधायक के ऊपर मुकदमा दायर नहीं किया जायेगा ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं अपनी व्यवस्था को सुरक्षित रखता हूं। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने इंगित किया है कि एडवोकेट जनरल कई बार पहले भी यहां पर आये हैं, हमारे सामने भी कई बार यहां पर आये हैं। इसको मैं स्थगित करता हूं और सरकार को निर्देशित करता हूं कि इसके ऊपर व्यवस्था देने से पूर्व एडवोकेट जनरल को यहां पर बुलाकर उनकी राय जान ली जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह भी सरकार को निर्देशित कर दें कि जब तक एडवोकेट जनरल यहां पर नहीं आते हैं, उनकी राय जब तक सदन नहीं जान लेता है, तब तक मुकदमा दायर होना स्थगित रहेगा।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इस पर व्यवस्था हो गयी, तो आप लोग क्यों खड़े हो गये ?

(घोर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, विधान सभा को निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों के संबंध में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

वह स्वयंशासी संस्था है, इस पर चर्चा नहीं होनी है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यहां पर निर्वाचन आयोग के संबंध में चर्चा नहीं हो सकती है, इसके संबंध में पहले भी दृष्टांत है मान्यवर,।

(घोर व्यवधान)

एडवोकेट जनरल की राय लिए बिना मा० सदस्यों पर मुकदमें कायम न किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक निवेदन सुन लें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, जब तक एडवोकेट जनरल यहां पर न आ जायं, तब तक मुकदमा न कायम किया जाय, सरकार की तरफ से यह आश्वासन आ जाना चाहिए। मान्यवर, इस बीच में कोई भी मुकदमा न दायर किया जाय, इसका तो आश्वासन सरकार से दिला दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी स्वयं आश्वासन दे दें।

लोकनिर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, हमको, आपको, किसी को यह अधिकार ही नहीं है कि निर्वाचन आयोग के संबंध में यहां पर कोई चर्चा करें। श्रीमन्, आपका आदेश शिरोधार्य है। आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है, लेकिन....

श्री अधिष्ठाता–

यह मसला संवैधानिक है और चुनाव आयोग संविधान के अन्तर्गत काम करता है, इसलिए एडवोकेट जनरल की राय ले ली जानी चाहिए।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जब तक एडवोकेट जनरल की राय नहीं आ जाती है, तब तक कोई भी मुकदमा न लिखा जाये। यह सरकार की ओर से आश्वासन आ जाना चाहिए।

श्री राम आसरे वर्मा–

सरकार को घोषणा करना चाहिए कि जब तक एडवोकेट जनरल की राय नहीं आ जाती है, तब तक कोई भी मुक़दमा न लिखा जाये।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सरकार की ओर से निर्देश हो जाये। अधिकारी तो राज्य सरकार के अधीन हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इस व्यवस्था के बाद कोई भी अधिकारी काम नहीं करेगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

सरकार को यह कहना चाहिए। चूंकि आपने एक व्यवस्था दे दी है...

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आपने बहुत ही साहसी निर्णय लिया है। क्या उनको अधिकार है कि राज्य सरकार के अधिकारियों या कर्मचारियों को निर्देशित करें। अब आप शासन को निर्देशित कर दें कि जब तक एडवोकेट जनरल की ओपीनियन नहीं आ जाती है और उनकी ओपीनियन के अनुसार आप और सरकार सन्तुष्ट न हो जाये, तब तक मुकदमें कायम न किये जायें। अगर कायम किये जाते हैं तो आपकी पीठ का अपमान होगा। मान्यवर, हम अपना तो अपमान बरदास्त कर लेंगे, लेकिन आपका नहीं कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आपने शानदार व्यवस्था देकर इस सदन का कीर्तिमान स्थापित किया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अब आपकी व्यवस्था हो जाने के बाद जिलाधिकारियों को किसी कार्यवाही करने का अधिकार नही रहा।

श्री अधिष्ठाता–

दूसरी व्यवस्था के बारे में भी निर्देशित करता हूं कि जब तक एडवोकेट जनरल की राय न आ जाये, कोई मुकदमा कायम न किया जाये। यह तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार कहे।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि अपनी व्यवस्था पर पुर्नविचार कर लें, कोई ऐसा निर्णय न हो जाये....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अब तो केवल अधिकारियों को निर्देशित करना है कि कोई मुकदमा कायम न करें। मैं सरकार का दृष्टि-कोण इस व्यवस्था के प्रति जानना चाहता हूं।

(इस समय 2 बजकर 25 मिनट पर अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा पुनः पीठासीन हुए।)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

(घोर व्यवधान)

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, 425 और 426 की धारा के आधार पर सभी विधायक संकट में हैं। आप हमारे संरक्षक हैं। हम सभी लोग चाहते हैं आपकी पीठ से निर्णय दिया गया है, उस निर्णय के आधार पर जब तक एडवोकेट जनरल यहां आकर व्यवस्था नहीं दे देते हैं तब तक कुछ न किया जाय, यह निर्देशित करें।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

कोई व्यवस्था नहीं, आप बैठें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मुझे बोलने दें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है। पहले आप उनको सुन लीजिये, कोई व्यवस्था नहीं है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

तो क्या यहां अव्यवस्था रहेगी।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पहले ही माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमें डर है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री बाहें क्यों समेट लेते हैं, पहले बाहें नीचे करें।

निर्वाचाधिकारियों द्वारा विधायकों पर मुकदमें दर्ज करने विषयक सूचना के संबंध में श्री अधिष्ठाता द्वारा दिये गये निर्णय पर पुनर्विचार तथा श्री अध्यक्ष का निर्णय

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, अभी आपके पहले जो पीठासीन अधिकारी थे अधिष्ठाता महोदय, उन्होंने यहां पर बहुत गम्भीर व्यवस्था दी, हम अनुरोध ही करते रहे कि इस पर पुर्नविचार कर लिया जाय। निर्वाचन आयोग एक स्वतन्त्र संस्था है, हम लोग विधायिका के अंग जरूर हैं लेकिन हम लोगों को उसके संबंध में निर्णय करने का अधिकार नहीं है। इस पीठ से तमाम दृष्टान्त भी परसों उद्धृत किये गये थे और आज भी रखे गये हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जो आपकी पीठ से निर्णय हुआ है, एक निर्देश दिया गया है, उस पर पुर्नविचार कर लें, कहीं ऐसा न लगे कि हम लोग अपने को बचाने के लिए नियम कानून से बचने का प्रयास कर रहे हैं।

(अनेक विपक्षी सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

पहले मेरी बात को सुन लें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय वर्मा जी, आप यह बतायें कि नियमावली में "व्यवस्था" कहां लिखी हुई है, यह गलत परम्परा है।

श्री राम आसरे वर्मा–

नियम तो उसको समझायें जो नियमों को जानता न हो।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो माननीय अधिष्ठाता जी के निर्णय पर पुनर्विचार करने की बात रखी है उस पर विचार करते हुए मैं यह निर्णय देता हूं कि नियम 311 के अन्तर्गत जो चुनाव आयोग के संबंध में नोटिस दी गयी थी, उसे सुना ही नहीं गया। मनमाने ढंग से प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अपने विचार अवश्य रखें हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक इकाई है उसके कार्यकलापों आदि के संबंध में इस सदन में न ही इस पीठ को नोटिस देने का अधिकार है और न ही किन्हीं माननीय सदस्यों की राय जानने का औचित्य है। ऐसी स्थिति में मैं सूचना को निरस्त करते हुए और माननीय अधिष्ठाता जी के निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए निर्णय देता हूं कि न तो एडवोकेट जनरल को सदन में बुलाने की कोई वैधानिकता शेष रह जाती है और न ही सरकार को, अधिकारियों को मुकदमें न दायर करने का निर्देश देने का ही कोई प्रश्न उठता है।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह आप क्या कह रहे हैं ?

(श्री जगदम्बिका पाल, श्री श्याम सुन्दर शर्मा, श्री वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री राकेश सचान आदि अनेक विपक्षी सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये, जिससे सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–4 ले रहा हूं, माननीय धनराज यादव जी अपनी याचिका प्रस्तुत करें।

(सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्य कहते रहे कि जिस तरह का निर्णय आपने दिया यह संसदीय परम्पराओं के विपरीत दिया है, जिससे घोर व्यवधान होता रहा)

वे याचिका नहीं उपस्थित कर रहे हैं। अब मैं मद संख्या–5 ले रहा हूं। माननीय बुदन सिंह जी अपनी याचिका प्रस्तुत करें।

(सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्य नारे लगाते रहे "तानाशाही नहीं चलेगी-नहीं चलेगी" जिससे घोर व्यवधान होता रहा)

वे याचिका नहीं उपस्थित कर रहे हैं। अब मैं मद संख्या–6 ले रहा हूं। माननीय सचान जी अपनी याचिका प्रस्तुत करें।

(सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

वे याचिका नहीं उपस्थित कर रहे हैं। अब मैं मद संख्या–7 ले रहा हूं।

कार्य मंत्रणा समिति के संशोधित कार्यक्रम का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 22 मार्च, 1994 की बैठक में सदन के दिनांक 24 मार्च, 1994 के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

दिनांक 24 मार्च, 1994

1–उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार एवं उसका पारण –आधा घन्टा।

2–वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

3–जनपद गाजियाबाद के किसानों को भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 28-ए के अन्तर्गत प्रतिकर का भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री बालेश्वर त्यागी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा। –एक घण्टा।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

कार्य मंत्रणा समिति की जो सूचना माननीय अध्यक्ष ने सदन को दी है, उससे यह सदन सहमत है ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्य नारे लगाते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1994 †

नगर विकास मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

† दिनांक 25-3-94 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रमा शंकर कौशिक–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को निरस्त करने की सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 24 मार्च, 1994 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनायें प्राप्त हुईं, मैं इन सबको निरस्त कर रहा हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1994

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय किरन पाल सिंह जी अपना संकल्प रखें । वे नहीं रख रहे हैं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से खण्ड 5 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1994

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम 1994 कहा जायेगा ।

(2) धारा 2 और 4 दिनांक 1 जुलाई, 1993 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी, धारा 3 दिनांक 18 फरवरी, 1994 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2–उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में,– उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

(क) उपधारा (4) में, खण्ड (ख) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्–

"प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1994 की धारा 2 के प्रारम्भ के पूर्व इस खण्ड के अधीन नियुक्त किसी प्रशासक या कमेटी को सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा और उसके द्वारा कृत कार्यवाही या प्रयोग की गयी शक्ति या सम्पादित कृत्य को न तो अविधिमान्य समझा जायगा और न किसी न्यायालय में इस आधार पर, कि इस रूप में उसकी नियुक्ति में कोई त्रुटि थी या इस आधार पर कि प्रबन्ध कमेटी का पुर्नगठन समय से नहीं हुआ था या उसके पद का कार्यकाल सम्यक् रूप से बढ़ाया नहीं गया था, आपत्ति की जायेगी ।"

(ख) उपधारा (6) में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्–

"प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (4) के खण्ड (ख) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट कोई प्रशासक या कमेटी 31 दिसम्बर, 1994 तक प्रबन्ध कमेटी के पुर्नगठन की व्यवस्था करेगी ; "

3–मूल अधिनियम की धारा 34 में,– धारा 34 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायगा ;

(ख) उपधारा (1–क) और (1–ख) निकाल दी जायेंगी ।

4–मूल अधिनियम की धारा 35 में,– धारा 35 का संशोधन

(क) उपधारा (3) में, द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1983 की धारा 3 के खण्ड (क) के प्रारम्भ के पूर्व" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1994 की धारा 4 के प्रारम्भ के पूर्व" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (6) में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "इस प्रतिबन्धात्मक खण्ड के प्रारम्भ के पूर्व समाप्त हो गया है, प्रबन्ध कमेटी के पुनस्संगठन की व्यवस्था 30 जून, 1993 तक करेंगे के स्थान पर शब्द और

अंक "उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पूर्व समाप्त हो गया है, प्रबन्ध कमेटी के पुनस्संगठन की व्यवस्था 31 दिसम्बर, 1994 तक करेंगे।". रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

5–उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश 1994 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 1994

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम की धारा 3 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

(3) मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (4) के अधीन नियुक्त प्रशासक या प्रशासक कमेटी द्वारा या धारा 35 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन नियुक्त कमेटी, प्रशासक या प्रशासकगण द्वारा 1 जुलाई, 1993 को या उसके पश्चात् मूल अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही विधिमान्य होगी मानो इस अधिनियम की धारा 2 और 4 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 5 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्य नारे लगाते रहे "तानाशाही नहीं चलेगी-नहीं चलेगी" जिससे घोर व्यवधान बना रहा)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–2 आवास विभाग

(घोर व्यवधान)

नगर विकास मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–2 आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 76,78,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर कोई कटौती का प्रस्ताव रखना चाहे ।

(सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्य नारे लगाते रहे "तानाशाही नहीं चलेगी-नहीं चलेगी" और यह भी कहने लगे कि जब सदन व्यवस्थित नहीं है तो यह अनुदान कैसे पास हो रहे हैं)

कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत कर रहा है ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–2 आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 76,78,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–37 नगर विकास विभाग

नगर विकास मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,18,34,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर कोई कटौती का प्रस्ताव रखना चाहे ।

(सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष–

कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहा है ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,18,34,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(जनता दल व भाजपा के सदस्य शेम-शेम की आवाजें लगाते रहे व मेजें थपथपाते रहने से सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

विधान सभा में जनता दल के नाम से अभिज्ञात दल के सदस्यों द्वारा समता ग्रुप का गठन किया जाना तथा श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी को ग्रुप का नेता चुना जाना

श्री अध्यक्ष–

अब मैं सदन को एक सूचना दे रहा हूं ।

आज दिनांक 24 मार्च, 1994 को प्रातः 10.00 बजे माननीय श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, सर्वश्री ज्वाला प्रसाद यादव, सतीश कुमार, अरिमर्दन सिंह, समीर भाटी, राम आधार यादव, मुख्तार अनीस, हाजी मुहम्मद हयात, मुनव्वर हसन तथा मो० अखलाक उपरोक्त सभी विधान सभा सदस्यों ने सामूहिक रूप से मेरे समक्ष उपस्थित होकर एक पत्र दिया जिसमें यह उल्लेख है कि वे विधान सभा में जनता दल के नाम से अभिज्ञात 27 संख्या वाले जनता दल के सदस्य हैं, किन्तु अब उन्होंने विधान सभा में उक्त जनता दल से अलग होकर एक नये समता ग्रुप का गठन किया है, जिसके नेता पद पर श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी को सर्वसम्मति से चुना गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर यह अनुरोध किया गया है कि विधान सभा में उन्हें समता ग्रुप के रूप में अभिज्ञात किया जाय तथा ग्रुप का नेता श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी को घोषित किया जाय ।

श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी ने मुझे यह भी सूचित किया है कि जनता दल विधान दल के कई अन्य सदस्य भी समता ग्रुप के साथ हैं और वे भी पत्र पर हस्ताक्षर करने को तैयार थे, परन्तु कतिपय अपरिहार्य कारणोंवश वे आज उपस्थित नहीं हो सके हैं । श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी ने यह भी सूचित किया है कि ऐसे माननीय सदस्य बाद में प्रार्थना-पत्र के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे ।

मैंने व्यक्तिगत रूप से उपर्युक्त पत्र को उपरिलिखित सभी विधान सभा सदस्यों के समक्ष पढ़ा तथा सभी उपस्थित माननीय सदस्यों ने इस पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि की तथा मेरे समक्ष हस्ताक्षर भी किये ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आप यह क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

(श्री श्याम सुन्दर शर्मा, श्री बी०एन० सिंह, श्री राकेश सचान, श्री जगदम्बिका पाल आदि अनेक सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये और नारे लगाने लगे कि तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी)

उपर्युक्त पत्र स्पष्टतः भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रस्तर–3 के अन्तर्गत आता है । इस ग्रुप की संख्या जनता दल विधान दल की संख्या के एक तिहाई से कहीं अधिक है । अतः उपर्युक्त सभी विधायक इस विधान सभा में समता ग्रुप के सदस्य के रूप में अभिज्ञात किये जाने के अधिकारी हैं ।

मैं पूर्णतया संतुष्ट हूं और निर्देश देता हूं कि विधान सभा की कार्यवाही के सुचारु रूप से संचालन हेतु उपरिलिखित सभी विधान सभा सदस्य जिनके इस पत्र पर हस्ताक्षर हैं और जो स्वयं ही मेरे समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए हैं और मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं, को अग्रिम आदेशों तक उत्तर प्रदेश विधान सभा में समता ग्रुप के रूप में अभिज्ञात किया जाये तथा श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी को उस ग्रुप के नेता के रूप में मान्यता दी जाये । मैं यह भी निर्देश देता हूं कि उक्त समता ग्रुप के माननीय सदस्यों को विधान सभा में बैठने हेतु अलग स्थान निर्धारित किया जाये । यदि बाद में वर्तमान जनता दल विधान दल के कोई सदस्य अपने को समता ग्रुप के रूप में अभिज्ञात कराना चाहते हों तो दिनांक 30 मार्च, 1994 तक लिखित निवेदन कर सकते हैं जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री बालेश्वर त्यागी जी इस पर चर्चा प्रारम्भ करें ।

(विपक्षी दलों द्वारा लगातार शेम-शेम की आवाजें आती रहीं) इसमें उनकी रूचि नहीं दिख रही है । इसलिए मैं अब दूसरी मद ले रहा हूं ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 24 मार्च, 1994 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुईं । इसमें पहली सूचना डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की इलाहाबाद परिक्षेत्र की बिगड़ती कानून-व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है इसमें वक्तव्य के लिए स्वीकृत करता हूं । दूसरी सूचना श्री रंगनाथ मिश्र जी की वाराणसी जनपद में भदोही स्थित इन्दिरा ऊलेन मिल्स की बन्दी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । इसे मैं केवल वक्तव्य के लिए स्वीकृत करता हूं । तीसरी सूचना श्री सतीश भाटिया की लखनऊ नगर में छितवापुर रोड स्थित तथा महापालिका द्वारा संचालित एक प्राइमरी स्कूल के भवन और उसकी सम्पत्ति को एक समिति को मामूली टोकन किराए पर देने का निर्णय लिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । इस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । चौथी और पांचवी सूचना श्री शिवदानी व श्री रमेश पोखरियाल "निशंक" की जनपद इलाहाबाद के चायल क्षेत्र एवं जनपद पौड़ी चमोली के सैकड़ों ग्रामों में पेयजल की भारी समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । इस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । छठी सूचना श्री सत्य प्रकाश विकल जी की जनपद लखनऊ के चिनहट थानान्तर्गत श्री राजेन्द्र कुमार वाल्मीकी व उनकी पत्नी की हत्या तथा मकान को लूटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । इस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । सातवीं सूचना श्री बदन सिंह जी की जनपद आगरा के किरावली तहसील के अन्तर्गत सिकन्दरा रजवहा के सीपेज से किसानों को फसलों में हो रही क्षति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । इस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । शेष सूचनाएं जो श्री विश्राम सिंह यादव, श्री अमर नाथ यादव, श्री सुन्दर सिंह नेगी, श्री अजय कुमार पोइया, श्री रमेश कांत लवानिया, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री किशन लाल, श्री बालेश्वर त्यागी, श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, श्री मातवर सिंह कण्डारी व श्री बैजनाथ रावत की है, को अस्वीकृत करता हूं ।

जनपद हरदोई के थाना सुरसा ग्राम ओदरा में घटित गृहसहत्या काण्ड के सम्बन्ध में दी गयी सूचनाओं पर नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

ग्राम ओदरा नेवलिया थाना सुरसा जनपद हरदोई में श्री कुतुब फकीर .....

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[रहता था जिसके 7 लड़के सर्वश्री जफ्फू, खैराती, अशरफ, नासिर, कल्लू, फतेह मोहम्मद उर्फ गूंगे एवं मजीद थे । बड़े होने पर लड़कों के बीच जमीन के बटवारे को लेकर आपस में झगड़ा प्रारम्भ हुआ । जमीन के बटवारे को लेकर वर्ष 1980 में श्री कुतुब अली फकीर के लड़के श्री फतेह मोहम्मद उर्फ गूंगे की श्री कल्लू एवं उसके लड़कों सर्वश्री सफी मोहम्मद, नवी गौस, पप्पू, मस्सू ने दिनांक 3-2-80 को हत्या कर दी थी । इस हत्या के अभियोग में इन सभी अभियुक्तों को ए० एस० जे० प्रथम के न्यायालय द्वारा अजीवन करावास की सजा हुई थी । अभियुक्तगण माननीय उच्च न्यायालय से जमानत पर छूटे । इसी रंजिश एवं प्रतिशोध की भावना के फलस्वरूप श्री कल्लू के पुत्र धुन्नू की हत्या कर दी गयी थी । इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच आपसी पारिवारिक रंजिश के कारण आपस में 5 हत्यायें की जा चुकी हैं ।

श्री नबी गौस एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था जिसके जनपद के अपराधिक किस्म के लोगों से सम्बन्ध थे । इस कारण श्री जफ्फू के लड़के विगत कुछ वर्षों से गांव में नहीं रहते थे केवल उसके परिवार की औरतें एवं बच्चे रहते थे । कभी-कभी चुपके से गांव में आते थे । दिनांक 3-3-94 को श्री लल्लन ने अपने भाई फारूक, रफीक, बाबू तथा अन्य 14-15 रिस्तेदारों/साथियों को साथ लेकर मय बन्दूकों कट्टों आदि असलहों के साथ करीब सायं 5-45 बजे ग्राम ओदरा नेवलिया आकर श्री कल्लू के घर पर हमला करके नबी गौस व पप्पू पुत्रगण कल्लू एवं कल्लू की पत्नी गुलसुमन एवं अमीजन पत्नी जाहिद की गोली मारकर हत्या कर दी । अभियुक्तों ने पेट्रोल व मिट्टी का तेल छिड़क कर घर में आग लगा दी जिससे आग में जलकर रुखसाना पत्नी नबी गौस, नाजिमा पुत्री मुस्सू की मृत्यु हो गयी । शकीला पत्नी पप्पू जलने के कारण गम्भीर रूप से घायल हो गयी थी जिसकी जिला अस्पताल हरदोई में मृत्यु हो गयी थी । नवाब अली पुत्र सफी मोहम्मद, गुड्डू पुत्र मुस्सू, छोटेल्ले उर्फ छोटू पुत्र मुस्सू, पत्नी रहीसुद्दीन, केशरजहां पुत्री जाहिद अली की मृत्यु घर के अन्दर धुंए से दम घुटने के कारण हो गयी । इसी प्रकार कुल 12 लोगों की मृत्यु हुई तथा वाहिद नामक बच्चे को उठा ले गये थे ।

इस घटना की सूचना मिलते ही जनपद के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे । पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ जोन तथा पुलिस उप महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र द्वारा भी घटना स्थल पर पहुंच कर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया । माननीय वन मंत्री श्री भगवती सिंह उ० प्र० शासन के द्वारा भी घटना स्थल का निरीक्षण किया गया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ मान्य गया ।

वादी श्री मुस्सू पुत्र कल्लू की सूचना के आधार पर घटना के सम्बन्ध में थाना सुरसा पर मु०अ०सं० 20/94 धारा 147/148/149/302/307/364/323/436 भा०दं०वि० विरुद्ध (1) नूर मोहम्मद (2) नौशाद (3) अली साहेब (4) फारूक (5) श्रीमती रजन्ना (6) रफीक (7) टुल्लू (8) गौहर (9) लल्लन (10) श्रीमती सुन्दरा (11) कल्लू (12) अनिल कुमार सिंह (13) मो० नबी (14) भयन्नू (15) सलीम (16) बाबू (17) असफाक (18) आजाद तथा तीन अभियुक्त अज्ञात पंजीकृत किया गया था। घटना से सम्बन्धित 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया अभियुक्त मो० नबी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त रियाजुद्दीन को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इस प्रकार 17 अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है। दो नामजद अभियुक्तों अनिल कुमार सिंह एवं कल्लू के विरुद्ध धारा 82/83 दं०प्र०सं० की कार्यवाही की जा चुकी है। इन दोनों नामजद एवं प्रकाश में आये अभियुक्तगण जमालुद्दीन उर्फ जम्मलू एवं अली हसन की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। मृतकों के आश्रितों हेतु जिलाधिकारी हरदोई द्वारा श्री मुस्सू को एक लाख रुपया तथा मुस्सू की बहन के पुत्र को 25000/- रुपये की आर्थिक सहायता के रूप में दिया जा चुका है। अपहृत (बालक) वाहिद को भी बरामद किया जा चुका है।]

श्री अध्यक्ष–

इसमें कोई स्पष्टीकरण पूछना चाहे तो पूछें।

इसमें किसी की रुचि नहीं दिखायी दे रही है इसलिए अब मैं मद संख्या–19 ले रहा हूं।

(सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्य लगातार नारे लगाते रहे)

शस्त्रों के लाइसेन्स के नवीनीकरण सम्बन्धी शासन की नीति तथा प्रदेशों में व देश में शस्त्र लेकर चलने की अनुमति विषयक 18 मार्च, 1994 के तारांकित प्रश्न सं० 12 मदों 'ग' के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा न किया जाना

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल व श्री जगदम्बिका पाल जी चर्चा प्रारम्भ करें।

(सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्य लगातार नारे लगाते रहे)

इसमें किसी की रुचि नहीं दिख रही है।

अब हम उठते हैं। दिनांक 30 मार्च, 1994 को 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 2 बजकर 38 मिनट पर बुधवार 30 मार्च, 1994 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

लखनऊ : **प्रेम चन्द्र सक्सेना,**

24 मार्च, 1994 सचिव,

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० सं० 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 17 पर)

शासन के समक्ष जिले के सृजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

क्र०सं०	जिला के सम्बन्ध में प्रस्ताव		वर्तमान स्थिति
1	मुरादाबाद	जनपद मुरादाबाद का विभाजन कर सम्भल/अमरोहा को नया जिला बनाने का प्रस्ताव।	प्रस्ताव अपूर्ण है।
2	जौनपुर	तहसील शाहगंज को नया जिला बनाने का प्रस्ताव।	तदैव
3	हमीरपुर	महोबा को नया जिला बनाने का प्रस्ताव।	तदैव
4	नैनीताल	काशीपुर को नया जिला बनाने का प्रस्ताव।	तदैव
5	नैनीताल	रूद्रपुर को नया जिला बनाने का प्रस्ताव।	तदैव
6	पिथौरागढ़	कालीकुमायूं को नया जिला बनाने का प्रस्ताव।	तदैव
7	पिथौरागढ़	चम्पावत को जिला बनाने का प्रस्ताव।	तदैव
8	पिथौरागढ़	डीडीहाट को जिला बनाने का प्रस्ताव।	तदैव
9	चमोली	रूद्रप्रयाग को नया जिला बनाने का प्रस्ताव।	तदैव
10	पौड़ी गढ़वाल	कोटद्वार को नया जिला बनाने का प्रस्ताव।	तदैव
11	अल्मोड़ा	बागेश्वर को नया जिला बनाने का प्रस्ताव।	तदैव
12	अल्मोड़ा	रानीखेत को नया जिला बनाने का प्रस्ताव।	तदैव
13	इलाहाबाद	जमुनापार को नया जिला बनाने का प्रस्ताव।	तदैव
14	एटा	कासगंज को नया जिला बनाने का प्रस्ताव।	तदैव

तहसील के सृजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

क्र०सं०	तहसील के सम्बन्ध में प्रस्ताव		वर्तमान स्थिति
1	उत्तरकाशी	भौरी, चिलयानी सांड़ में अलग-अलग तहसील का सृजन	प्रस्ताव अपूर्ण है। ,,
2	टिहरी गढ़वाल	उप सहसीलवच्यूड को तहसील बनाने का प्रस्ताव	,,
3	अल्मोड़ा	विकास खण्ड गरड को नयी तहसील बनाने का प्रस्ताव	,,

1	2		3
4	टिहरी गढ़वाल	ब्लाक जौनपुर को अलग परगना व तहसील बनाने का प्रस्ताव	प्रस्ताव अपूर्ण है ।
5	पौड़ी गढ़वाल	श्रीनगर को तहसील बनाने का प्रस्ताव	प्रस्ताव पूर्ण है ।
6	चमोली	पोधरी को नयी तहसील बनाने का प्रस्ताव	प्रस्ताव अपूर्ण है ।
7	बांदा	राजापुर एवं पैलानी में तहसील बनाने का प्रस्ताव	,,
8	गाजीपुर	जखनी व गाजियाबाद में तहसील बनाने का प्रस्ताव	,,
9	आगरा	पिनहट एवं कस्बा नगला में नयी तहसील का प्रस्ताव	,,
10	सुल्तानपुर	कादीपुर में कस्बा लभुवा में नयी तहसील बनाने का प्रस्ताव	,,
11	बुलन्दशहर	किदवई क्षेत्र को तहसील बनाने का प्रस्ताव	,,
12	आजमगढ़	परशुराम को नयी तहसील बनाने का प्रस्ताव	,,
13	वाराणसी	पिण्डारा नामक नयी तहसील के सृजन का प्रस्ताव	,,
14	सोनभद्र	पिपरी नामक नयी तहसील का सृजन	,,
15	अलीगढ़	जलासी नामक नयी तहसील का प्रस्ताव	,,
16	लखनऊ	बक्शी का तालाब (महोना) की नयी तहसील इन्दारा में बनाने का प्रस्ताव	,,
17	देवरिया	कप्तानगंज तथा खड्डा को नयी तहसील बनाने का प्रस्ताव	,,
18	बहराइच	नयी तहसील बौडीराजा के सृजन का प्रस्ताव	,,
19	बस्ती	सेहंदावल को नयी तहसील का दर्जा देने का प्रस्ताव	,,

1		2	3
20	सिद्धार्थनगर	सोहरतगढ़ को नयी तहसील बनाना	प्रस्ताव पूर्ण है ।
21	,,	रुदौली को नयी तहसील बनाने का प्रस्ताव	प्रस्ताव अपूर्ण है ।
22	इलाहाबाद	कोरांवा को नयी तहसील बनाने का प्रस्ताव	,,
23	महराजगंज	परतावल में नयी तहसील बनाने का प्रस्ताव	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०–एल० 78 विधान सभा (120)–1994–813 (डी० टी० पी०) ।